Thursday, 14 December, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

[खंड 11 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 23, गुरुवार, 14 दिसम्बर, 1967/ 23 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 23, Thursday, December 14, 1967/Agrahayana 23, 1889(Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
661. राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project	..	3201—3203
662. हल्दिया में उद्योग समूह	Industrial complex at Haldia	..	3203—3204
663. दिल्ली के अस्पतालों में दुग्धचूर्ण की सप्लाई	Supply of Milk Powder in Hospitals in Delhi	..	3204—3205
665. दिल्ली में अनधिकृत झोपड़ियां	Unauthorised huts in the capital	..	3205—3208
669. पंजाब में उर्वरक कारखाने	Fertilizer factories in Punjab	..	3208—3210
672. अमरीकी सहायता	US Aid	..	3210—3214
675. चांदी का निर्यात	Export of Silver	..	3214—3215
676. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	..	3216—3217
अ० सू० प्र० संख्या			
S. N. Q. No.			
14. कठुआ नहर में जल की सप्लाई	Supply of water in Kathua Canal	..	3217—3220

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
664. गांधी जी के सिद्धान्त और परिवार नियोजन	Gandhian Principles and Family Planning	..	3220
666. गाजीपुर के अफीम कारखाने में चोरी	Theft in Opium Factory, Ghazipur	..	3220—3221
667. आयकर की बकाया राशि	Income-Tax Arrears	..	3221—3222
668. बोकारो ताप बिजलीघर	Bokaro Thermal Power Station	..	3222

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
670. इम्फाल नगरपालिका	Imphal Municipality ..	3222—3223
671. नोट छापने का कागज (सिक्योरिटी पेपर)	Security Paper ..	3223
673. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	Report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	3223
674. अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	3224
677. अवमूल्यन	Devaluation ..	3224
678. नगरीय क्षेत्र में सम्पत्ति की अधिकतम	Ceiling on Property in Urban Areas	3224
679. मैसर्स स्ट्रैचलोन (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s. Stretchlon (P) Ltd.	3225
680. जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of L. I. C.	3225
681. विकासशील देशों से सहायता	Aid from Developing countries ..	3225—3226
682. सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क के मामलों में कार्यकारी तथा न्यायिक कार्यों का पृथक्करण	Separation of Executive and Judicial functions in respect of customs and Excise cases	3226
683. कृष्णा गोदवारी जल-विवाद	Krishna Godavari Water Dispute ..	3227
684. बैंक दर	Bank Rate	3227
685. ब्रिटेन द्वारा अवमूल्यन	Devaluation by U. K. ..	3227—3228
686. आवेजक पदार्थों (कैटेलिस्ट्स) का आयात	Import of Catalysts	3228
687. परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programmes ..	3228—3229
688. घाटे की अर्थ-व्यवस्था	Deficit Financing ..	3229
690. बम्बई के निकट कोलाबा जिले में पकड़ा गया सोना	Gold Seized in Kolaba District near Bombay ..	3229—3230
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4171. गुजरात में अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की शिक्षा के लिये धन का नियतन	Allocation for Education of Scheduled Tribes in Gujarat ..	3230

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

4172. गुजरात के आदिम जाति के शिक्षा संस्थानों को विशेष अनुदान	Special Grants to Tribal Educational Institutions in Gujarat ..	3230
4173. महाराष्ट्र बिजली बोर्ड को वित्तीय हानि	Financial Loss by Maharashtra Electricity Board ..	3230
4174. फ्रैंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प-लायीज कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, नई दिल्ली	Friends Central Government Employees Co-operative House Building Society, New Delhi ..	3231
4175. युनाइटिड प्राविंसिज कमर्शियल कारपोरेशन	United Provinces Commercial Corporation ..	3231—3232
4176. व्यास बांध परियोजना	Beas Dam Project	3232
4177. चेचक वैक्सीन	Small Pox Vaccines ..	3232—3233
4179. लेखा बाह्य धन का बम्बई में पकड़ा जाना	Unaccounted Money seized in Bombay ..	3233
4180. सरकारी उपक्रमों के प्रमुखों की परिषद	Council of Heads of Public under-takings	3233
4181. पाइराइट्स एन्ड कैमिकल्स डेवलेपमेंट कम्पनी, लिमिटेड	Pyrites and Chemicals Development Co., Ltd. ..	3234
4182. महाराष्ट्र में पम्पों को बिजली से चलाना	Electrification of Pumps in Maharashtra ..	3234—3235
4183. महाराष्ट्र में ग्रामीण आवास योजना	Rural Housing Scheme in Maharashtra ..	3235
4184. चोरी छिपे लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled Watches ..	3235—3236
4185. राष्ट्रीय जल-सम्भरण तथा स्वच्छता योजना	National Water Supply and Sanitation ..	3236—3237
4186. मध्य प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	First aid posts in Madhya Pradesh ..	3237
4187. गुजरात में अनुसूचित जातियां	Scheduled Castes in Gujarat ..	3237—3238
4188. गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आवास योजना	Housing Scheme for Rural Areas in Gujarat ..	3238
4189. महंगाई भत्ते में वृद्धि के फल-स्वरूप अधिक समय तक कार्य करने के भत्ते में वृद्धि	Rise in Overtime Allowance Consequent on Increased Dearness Allowance ..	3238—3239

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

4190.	डी०आई०जेड०क्षेत्र नई दिल्ली में सरकारी भूमि पर अलाटियों के अनधिकृत कब्जे को समाप्त करना	Removal of Encroachments made by Allottee in DIZ New Delhi ..	3239
4191.	डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा	Encroachment on Government land in DIZ area, New Delhi ..	3240
4192.	मंत्रियों के निवास-स्थानों की सजावट पर व्यय	Expenditure on Decoration of Minister's Residences ..	3240
4193.	कृत्रिम गुर्दा परीक्षण मशीन	Artificial Kidney Testing Machine ..	3240—3241
4194.	रोगनिदान मनोवैज्ञानिकों का प्रशिक्षण	Training of Clinic Psychologists ..	3241
4195.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों की भर्ती	Recruitment of Engineers in C.P.W.D. ..	3241—3242
4196.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वितीय श्रेणी के इन्जीनियरों की संस्था की मांगें	Demands of Class II Engineers Association of C.P.W.D. ..	3242—3243
4197.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी इन्जीनियरों को स्थाई बनाना	Confirmation of Executive Engineers in C.P.W.D. ..	3243
4198.	किराया न्यायधिकरण, दिल्ली	Rent Tribunals, Delhi ..	3243—3244
4199.	निजामाबाद जिला (आन्ध्र प्रदेश) में इक्ट्ठा किया गया राजस्व	Central Revenues collected in Nizamabad District (Andhra Pradesh) ..	3244
4200.	पाकिस्तान में चोरी छिपे वस्तुओं का ले जाया जाना	Goods being smuggled into Pakistan ..	3244—3245
4201.	भारत सहायता सार्थ संघ	Aid India Consortium ..	3245
4202.	अपना धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासी लोगों को रियायतें	Concessions for Adivasis who change their Religion ..	3245—3246
4203.	विश्व बैंक के प्रेजिडेंट का भाषण	World Bank President's speech ..	3246
4204.	पाकिस्तान को पानी की सप्लाई	Water Supply to Pakistan ..	3246

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4205. परिवार नियोजन के लिये अमरीकी सहायता	U. S. Aid for Family Planning ..	3247
4206. उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री	Ex-Chief Minister of Orissa ..	3247—3248
4207. उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री	Ex-Chief Minister of Orissa ..	3248—3249
4208. पूर्व योरुपीय देशों के साथ ऋण सम्बन्धी समझौते	Credit Agreement with East European Countries ..	3249
4209. पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ ऋण सम्बन्धी करार	Credit Agreements with East European States ..	3249—3250
4210. उड़ीसा में आदिम जातीय खण्ड	Tribal Blocks in Orissa ..	3250
4211. अट्टापदी विकास योजना	Attapady Development Scheme ..	3250—3251
4212. कृषि विकास निधि	Agricultural Development Fund ..	3251
4213. लेखन-सामग्री सम्बन्धी कार्यालय में वरिष्ठता	Seniority List in Stationery Office ..	3251—3252
4214. आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का विकास	Promotion of Ayurvedic System of Medicine ..	3252
4215. विलिंगडन तथा इर्विन अस्पतालों के कर्मचारियों का रोगियों के साथ व्यवहार	Behaviour of Staff of Willingdon and Irwin Hospitals with patients ..	3252
4216. अट्टापदी घाटी विकास निधियां	Attapady Valley Development Funds ..	3252—3253
4217. सुयोग्य कर्मचारियों द्वारा सरकारी उपक्रमों के बाहर चला जाना	Brain Drain in Public Undertakings ..	3253
4218. कर अपवंचन करने वालों की सम्पत्ति का जब्त किया जाना	Confiscation of property of tax evaders ..	3253—3254
4219. अट्टापदी आदिम जाति खण्ड	Attapady Tribal Block ..	3254
4220. नेफ्था आधारित कारखानों में उर्वरकों का उत्पादन	Output of Fertilizers from Naphtha Based Plants ..	3255
4221. सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था	Security arrangements in Public Sector Industrial undertakings ..	3255
4222. उड़ीसा के लिए आयकर आयुक्त	Income-tax commissioner for Orissa ..	3256

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

4223.	मंत्रियों तथा विधायकों के विदेशों के दौरों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent on tours abroad of Ministers and Legislators ..	3256
4224.	स्वर्गीय जे० बी० सिंह, संसद् सदस्य की मृत्यु	Death of late J. B. Singh, M. P. ..	3256—3257
4225.	मंत्रालयों में अनुवाद कर्मचारियों के वेतन-क्रम	Pay Scales of Translation staff in Ministries ..	3257
4226.	पीने के पानी की कमी	Shortage of Drinking Water ..	3257—3258
4227.	विदेशों से सहायता	Aid from abroad ..	3258—3259
4228.	गोल मार्केट (नई दिल्ली) में दूकानें	Shops in Gole Market, New Delhi ..	3259
4229.	गोल मार्केट, नई दिल्ली में दूकानें	Shops in Gole Market, New Delhi ..	3259—3260
4230.	मैसर्स श्रीराम बेयरिंग लिमिटेड को ऋण	Loan to M/s Sri Ram Bearings, Ltd. ..	3260—3261
4231.	दिल्ली में पूसा रोड तथा अन्य क्षेत्रों में बसे हुए विस्थापित व्यक्तियों को हटाया जाना	Eviction of Displaced persons settled in Pusa Road and other Areas in Delhi ..	3261
4232.	संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन निधि के माध्यम से अमरीका से प्राप्त वीविल कीड़ा लगे हुए सोयाबीन के खाद्य पदार्थ	Weevil infested corn soya Meals received from U. S. from UNICEF ..	3261—3262
4233.	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा खर्च की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent by public and Private Sectors ..	3262
4234.	कोलार की स्वर्ण खानें	Kolar Gold Mines ..	3262—3263
4235.	कोलार स्वर्ण खानें	Kolar Gold Mines ..	3263
4236.	कोलार स्वर्ण खानें	Kolar Gold Mines ..	3263
4237.	भारत तथा पाकिस्तान के बीच तस्कर व्यापार	Smuggling between India and Pakistan ..	3263—3264
4238.	कोलार स्वर्ण खानें	Kolar Gold Mines ..	3264
4240.	पोस्ते की खेती	Poppy Cultivation ..	3264—3265
4243.	शान्ति वन में बाग	Garden at Shantivan ..	3265

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4245. चिकित्सा कालेजों में दाखिला	Admission in Medical Colleges ..	3265—3266
4246. सरकारी उपक्रमों के लिये अर्जित भूमि	Land acquired for Public Undertakings ..	3266
4247. मनीपुर में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण	Pay Revision of P. W. D. Employees in Manipur ..	3266—3267
4248. बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये पाठ्य पुस्तकें	Text books for Flood affected areas	3267
4249. विदेशी सहायता के लिये किये गये करारों / संविदाओं पर बचनबद्ध सम्बन्धी शुल्क / कमीशन / सेवा शुल्क	Commitment charges commission service charges on Foreign Aid Agreements Contracts ..	3267—3268
4250. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बालकों की शिक्षा	Education of Children of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	3268
4251. हरिजनों के लिए कुएं	Well for Harijans ..	3268—3269
4252. कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	Cancer Institute, Calcutta	3269
4253. पेट्रोल का मूल्य	Price of Petrol ..	3269—3270
4254. पालम हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापारियों का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of International Smugglers at Palam Airport	3270
4255. राष्ट्रीय जल सप्लाई योजना	National Water Supply Scheme ..	3270—3271
4256. बी० ओ० ए० सी० के विमान से पकड़ा गया सोना	Gold Seized from B.O.A.C. Plane ..	3271
4257. जीवन बीमा निगम द्वारा बिड़ला उद्योग समूह को ऋण	L.I.C. Loan to Birlas ..	3271—3273
4258. दिल्ली के फल व्यापारियों द्वारा करापवंचन	Income-tax evasion by Fruit Merchants of Delhi ..	3273
4259. फिल्मी कलाकारों द्वारा आयकर का अपवंचन	Income-tax evasion by Film People ..	3273
4260. दिल्ली में सरकारी क्वार्टर	Government Quarters in Delhi ..	3274
4261. गोल मार्केट क्षेत्र में बहुमंजिली क्वार्टर	Multi Storeyed Quarters in Gole Market Area ..	3274

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

4262. हृदय तथा फेफड़ों के रोगों के इलाज का नया तरीका	Discovery on Treatment of Heart and Lung Diseases ..	3274—3275
4263. आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of Tribals ..	3275
4264. मूल्यों को बढ़ने से रोकना	Freezing of Prices ..	3275
4265. ब्रिटेन द्वारा ऋण	U. K. Loan ..	3276
4266. मिदनापुर जिले (पश्चिम बंगाल) में बाढ़	Floods in Midnapore District (West Bengal) ..	3276—3277
4267. गगरेट (हिमाचल प्रदेश) में गैस का कुआं	Gas well in Gagret (Himachal Pradesh) ..	3277
4268. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली स्थित पार्क को सुन्दर बनाना	Beautification of Park at Chanakyapuri, New Delhi ..	3277—3278
4269. आदिम जातियों के कल्याण के लिये नियत राशि में कटौती	Cut in Allocation for Tribal Welfare	3278
4270. अट्टापदी (केरल) के विकास के लिये बृहत योजना	Master Plan for Development of Attapady (Kerala) ..	3278—3279
4271. दिल्ली में पेट्रोल पम्प	Petrol Filling Station in Delhi ..	3279
4272. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बन्धीकरण के मामले	Sterilization cases in U. P. and Madhya Pradesh ..	3279—3280
4273. निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सोने का पकड़ा जाना	Gold seized at Nizamuddin Railway Station ..	3280
4274. राज्यों से बकाया आयकर	Income-tax due from States ..	3280—3281
4275. श्री बीजू पटनायक द्वारा देय आयकर की बकाया राशि	Income-tax due from Shri Biju Patnaik ..	3281
4276. क्षयरोग का अस्पताल, महरौली (नई दिल्ली)	T. B. Hospital Mehrauli, New Delhi ..	3281
4277. अवमूल्यन	Devaluation ..	3282
4278. अवमूल्यन के बाद आयात किये गये संयंत्र	Plants Imported after Devaluation ..	3282
4279. आन्तरिक मूल्यों में वृद्धि	Rise in Internal prices ..	3282
4280. अवमूल्यन से वित्तीय लाभ	Financial advantage from devaluation ..	3283
4282. स्टर्लिंग पौंड का अवमूल्यन	Devaluation of Pound Sterling ..	3283

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4283. आत्म-हत्या के मामले	Suicide cases ..	3283—3284
4284. भारतीय तेल निगम में बजट सम्बन्धी प्रक्रिया	Budgeting procedure in I. O. C. ..	3284
4285. विदेशी ऋण	Foreign loans ..	3284—3285
4287. दिल्ली में मकानों की कमी	Shortage of Houses in Delhi ..	3285—3287
4288. दिल्ली में आयकर की वसूली	Income-tax collection in Delhi	3287
4289. दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालय	C. G. H. S. Dispensaries in Delhi ..	3287
4290. स्वास्थ्य सेवाओं का महा-निदेशक	Director General of Health Services ..	3287—3288
4291. नेपाल को धनराशि का प्रेषण	Remittances to Nepal ..	3288
4292. मेसर्स झुनझुनवाला एण्ड ब्रदर्स	M/s Jhunjhunwala & Bros. ..	3288
4293. आयकर का बट्टे खाते में डाला जाना	Income-tax written off ..	3289
4294. गर्भपात के मामले	Abortion cases ..	3289
4295. उत्तर प्रदेश और मद्रास में नलकूपों का लगाया जाना	Allotment of Tube-wells in U. P. and Madras ..	3289—3290
4296. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में रोगियों का दाखिला	Admission in Safdarjung Hospital, New Delhi ..	3290
4297. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में मरने वालों की अत्यधिक संख्या	Higher incidence of Deaths in Safdarjung Hospital, New Delhi ..	3290
4299. बिजली के विकास के लिये राज्यों को प्रति व्यक्ति आधार पर नियतन	Per capita allocations to states for Development of Electricity ..	3290—3291
4301. नशाबन्दी समिति को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Nasha Bandi Samiti	3291
4302. जाली मुद्रा का परिचालन	Circulation of Forged Currency	3292
4303. गोहाटी में रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Reserve Bank of India, Employees at Gauhati ..	3292—3293

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4304. भूतपूर्व नरेशों को दी गई कर से छूट	Tax Exemption Benefits given in Exrulers	3293
4305. विदेशी दूतावासों के कर्मचारियों द्वारा बाहर से शराब का लाया जाना	Wine brought from outside by staff of Foreign Embassies ..	3293
4306. भूतपूर्व नरेशों द्वारा लाई गई विदेशी शराब	Imported Wine brought by Princes ..	3294
4307. उत्तर प्रदेश में कृषकों को बिजली का दिया जाना	Supply of Electricity to Farmers in U.P...	3294
4308. रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में खाली क्वार्टर	Vacant Quarters in R. K. Puram, New Delhi ..	3295
4309. आयकर अपवंचन	Income-tax evasion ..	3295—3296
4310. आयकर आयुक्तों का सम्मेलन	Conference of Income-tax Commissioners..	3296—3297
4311. कर पदाधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन	All-India Conference of Tax Executives ..	3297
4312. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	International Monetary Fund ..	3298
4313. गैस का मूल्य	Price of Gas ..	3298—3299
4314. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा वेधन (ड्रिलिंग) कार्य	Drilling operations by O and N.G.C. and Oil India Ltd ..	3299
4315. खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां	Oral Contraceptives ..	3299—3300
4316. भारत सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के कारण हानि	Loss due to strike by workers of Government of India Presses ..	3300
4317. सरकारी उपक्रमों में विकास तथा डिजाइन विभागों का विकास	Development of Design Cells in Public Undertakings ..	3300
4318. भारत विदेशी शिक्षा तथा सांस्कृतिक समिति	Indo-foreign Educational and Cultural Society ..	3301
4319. दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी समितियों के लिये भूमि का नियतन	Allotment of land to Housing building Cooperative Societies in Delhi ..	3301—3302

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4320. जल को दूषित होने से बचाने के लिये गोष्ठी	Seminar on Water Pollution Control ..	3302—3303
4321. कोयली तेल शोधक कारखाने को कलोल और नवाबगंज क्षेत्रों से जोड़ने सम्बन्धी पाइप-लाइन परियोजना	Pipeline project to connect Koyali Refinery with Kalol and Nawabganj areas..	3303
4322. गाजियाबाद में उर्वरक कारखाना	Fertilizer plant at Ghaziabad ..	3303
4323. सिंचाई क्षमता का उपयोग	Utilisation of Irrigation Potential ..	3303—3304
4324. क्षेत्रीय बिजली ग्रिड	Regional Power Grids ..	3304—3305
4325. अन्तर्राज्यीय नदी जल बोर्ड	Inter State River Boards ..	3305
4326. सरकारी उपक्रम	Public Undertakings ..	3305
4327. विदेशी पूंजी	Foreign Capital ..	3305—3306
4328. अल्प बचत विभूतियों में धन लगाना	Investment in small saving securities ..	3306
4329. अनुसूचित बैंकों के निदेशकों तथा अधिकारियों पर ऋण की राशि	Debts due from directors and officers of Scheduled Banks ..	3307
4330. रॉक फास्फेट और गंधक की प्राप्ति	Procurement of Rock Phosphate and Sulphur ..	3307—3308
4331. नर्मदा नदी पर गोरा में बांध	Dam on River Narbada at Gora ..	3308
4332. नर्मदा नदी का कैचमेंट एरिया	Catchment areas of Narbada River ..	3308—3309
4333. फिल्म कलाकारों द्वारा देय करों की बकाया राशि	Tax Arrears due from Film-Stars ..	3309—3310
4334. तीन रुपये और चार रुपये के नोट	Three rupee and Four Rupee Currency Notes ..	3310
4335. सहकारी कताई मिलें	Cooperative Spinning Mills ..	3310—3311
4336. फास्फेट पर आधारित उर्वरक उद्योग	Phosphatic Fertilizer Industry ..	3311—3312
4337. मनीपुर लोक निर्माण विभाग	Manipur P.W.D. ..	3312

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

4338. मनीपुर में इंडियन आयल कम्पनी के पेट्रोल के व्यापारी	I.O.C. Petrol Dealers in Manipur ..	3312—3313
4339. मध्य प्रदेश में दर्ज किये गये अस्पृश्यता के मामले	Cases of Untouchability registered in M.P. ..	3313
4340. राज्यों में बिजली का विकास	Development of Electricity in States ..	3313
4341. मध्य प्रदेश में मकान	Houses in Madhya Pradesh ..	3314
4342. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	International Monetary Fund	3314
4343. अस्पृश्यता	Untouchability ..	3314
4345. पौंड पावना	Sterling Balances ..	3314—3315
4346. बम्बई में सोने और चांदी का पकड़ा जाना	Seizure of Gold and Silver in Bombay ..	3315
4347. कुपोषण के कारण रक्त की कमी होना तथा रक्त भंडारों का अभाव	Incidence of Nutritional Anaemia and shortage of Blood Banks ..	3315—3316
4348. दिल्ली में पानी की कमी	Scarcity of Water in Delhi ..	3316—3317
4349. सामान्य भविष्य निधि	General Provident Fund ..	3317
4350. अर्द्ध सरकारी संगठनों में नियुक्त किये जाने पर पिछली सरकारी सेवा के लाभ	Benefits of past Government service when absorbed in semi-Government organisations ..	3317—3318
4351. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को सहायक अनुदान	Grant in aid to scheduled castes and Scheduled tribes	3318
4352. मनीपुर में लोकटाक परियोजना	Loktak project in Manipur ..	3318
4353. सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋण की सीमा निश्चित करना	Limit on Public Borrowings ..	3319
4354. मंत्रालयों में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार	Internal Financial Advisers in Ministries ..	3319
4355. इण्डियन आयल कारपोरेशन के पाइपलाइन्स तथा रिफाइनरीज डिवीजन	Pipelines and Refineries Divisions of I. O. C. ..	3319—3320
4356. स्वीडन के लिये चिकित्सक तथा गर्भ निरोधक उपकरण	Medical personnel and Contraceptives for Sweden ..	3320

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

4357.	पंजाब में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये मकान	Houses for Central Government Employees in Punjab ..	3320—3321
4358.	शिमला में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Accommodation to Central Government Employees in Simla ..	3321
4359.	चौथी योजना की अवधि में मध्य प्रदेश की सिंचाई योजनाएं	Irrigation Schemes of M. P. during Fourth Plan ..	3322
4360.	अंदमान लोक निर्माण विभाग के बढ़ई	Carpenters of Andaman P. W. D. ..	3322
4361.	निर्यात शुल्क में कमी	Reduction in Export Duty ..	3322—3323
4362.	हथकरघा उपकर	Handloom Cess ..	3323
4363.	पटना में भारत के रिजर्व बैंक के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Reserve Bank of India Employees in Patna ..	3323—3324
4364.	सरकारी शिष्टमंडलों तथा मंत्रियों द्वारा दौरों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent on tours by Government Delegates and Ministers ..	3324
4365.	चंदा समिति का प्रतिवेदन	Chanda Committee's Report ..	3324
4366.	कलकत्ता में तैनात सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय	Medical Expenses of Government Employees posted at Calcutta	3325
4367.	फिल्मी कलाकारों द्वारा विदेशी मुद्रा के विनियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange Violation by Film Stars ..	3325
4368.	बम्बई में चांदी का पकड़ा जाना	Seizure of Silver in Bombay ..	3326
4369.	झनपुली सिंचाई परियोजना	Jhanpuli Irrigation Project ..	3326
4370.	जवाहर सागर बांध	Jawahar Sagar Dam ..	3326—3327
4371.	उड़ीसा को सहायता	Assistance to Orissa ..	3327
4372.	मंजूर बस्तियां	Approved Colonies ..	3327—3328
4373.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	Dearness Allowance to Central Government Employees ..	3328

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

4374.	फिल्म अभिनेता श्री देवानन्द द्वारा दिया गया आयकर	Income-Tax paid by Film star, Shri Devanand ..	3328
4376.	एक फिल्म अभिनेता द्वारा आयकर की चोरी	Evasion of income-tax by a Film star ..	3328—3329
4377.	बिहार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance sought by Bihar ..	3329
4378.	राजौरी गार्डन (दिल्ली) में श्मशान भूमि	Crematorium, Rajouri Garden, Delhi ..	3330
4379.	जीवन बीमा निगम द्वारा स्वचालित मशीनों का प्रयोग	Automation in L.I.C.	3330
4380.	गंगा नदी में बाढ़ को रोकना	Prevention of Floods in Ganga ..	3330—3331
4381.	ऋषिकेश में प्रतिजीवाणु पदार्थ कारखाना	Anti Biotics plant at Rishikesh ..	3331
4382.	ऋषिकेश में प्रतिजीवाणु औषधि कारखाना	Anti Biotics plant at Rishikesh ..	3331—3332
4383.	प्रतिजीवाणु औषधि निर्माण कारखाना, ऋषिकेश	Anti Biotics plant Rishikesh ..	3332—3333
4385.	आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली	All India Institute of Medical Sciences, New Delhi ..	3333
4386.	आसाम सिलिमेनाइट	Assam Salimanite ..	3333
4387.	फर्मों के निलम्बन अथवा काली सूची में रखे जाने के लिये नियम	Rules for suspension or black listing of Firms ..	3333—3334
4388.	नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में मकानों का अलाटमेंट	Allotment of shops in N.D.M.C. areas ..	3334—3335
4389.	रणजीत होटल	Ranjit Hotel ..	3335
4390.	वनस्पति निर्माताओं द्वारा अदा किया गया आयकर	Income-tax paid by Vanaspati Manufacturers ..	3335—3336
4391.	फिल्मी कलाकार द्वारा कर का अपवंचन	Tax evasion by a Film Star ..	3336
4392.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में आयकर दाता	Income-tax payers in Andaman and Nicobar Islands ..	3336

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

4393. मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं	Power Projects in Madhya Pradesh ..	3336—3337
4394. अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये रियायतें	Safeguards for Scheduled Castes and Backward Classes ..	3337
4395. पश्चिमी जर्मनी से सहायता	Aid from West Germany ..	3337
4396. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पृथक मंत्रालय	Separate Ministry for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	3337
4397. परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये विदेश सहायता	Foreign Assistance for Family Planning Programmes ..	3338
4398. निष्पादन के आधार पर बजट का बनाया जाना	Introduction of Performance Budgeting ..	3338—3339
4399. नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में खतरनाक तथा हानिकारक व्यापार	Dangerous and offensive trades in N.D.M.C. area ..	3339
4400. ग्रांड होटल, शिमला	Grand Hotel, Simla	3339
4401. कोयली तेल शोधक कारखाना	Koyali Refinery ..	3340
4402. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवास योजनाएं	Housing Scheme for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	3341
4403. दिल्ली में फलों के व्यापारी के निवासस्थान पर छापा	Raid on the Residence of a Fruit Merchant of Delhi ..	3341—3342
4404. दिल्ली की फल विक्रेता फर्म द्वारा तस्करी व्यापार का किया जाना	Delhi Fruit Merchant firm involved in smuggling ..	3342
4405. वित्त आयोग	Finance Commission ..	3342—3343
4406. पार्श्व गायकों द्वारा दी गई आयकर की राशि	Tax paid by Play back Singers ..	3343
4407. सिंचाई तथा विद्युत की सम्भाव्यताओं के बारे में प्रतिवेदन तैयार करना	Preparation of Reports on Irrigation and Power Potentials ..	3344
4408. सिंचाई और विद्युत क्षमता के बारे में प्रतिवेदन तैयार करना	Preparation of Reports on Irrigation and Power Potentials ..	3344

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4409. औषधियों के मूल्य की वृद्धि पर प्रतिबन्ध	Price Freeze on Drugs ..	3344—3345
4410. फरक्का बांध परियोजना	Farakka Barrage Project ..	3345
4411. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का कलकत्ता से स्थानान्तरण	Transfer of staff of C. P. W. D. from Calcutta ..	3345—3346
4412. बम्बई के एक उद्योगपति को दिया गया 'पी' फार्म	'P' form issued to a Bombay Industrialist	3346
4413. उपभोक्ता मूल्य देशनांक	Consumers price index ..	3346—3347
4414. दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना	Demolition of jhuggis in Delhi ..	3347
4415. हस्ताल तथा नांगलोई (दिल्ली) में भेजे गये झुग्गी निवासियों की दशा	Condition of jhuggi Dwellers Shifted to Hastal and Nangloi (Delhi) ..	3347—3318
4416. उत्तर प्रदेश में बाढ़	Floods in U. P. ..	3348
4417. उत्तर प्रदेश में बाढ़	Floods in U. P. ..	3348—3349
4418. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति के लिये परीक्षा	Promotion Examination in C.P.W.D. ..	3349
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ..	3349—3354
उत्तर प्रदेश के दो मंत्रियों की दिल्ली में गिरफ्तारी	Arrest of two Ministers of Uttar Pradesh in Delhi ..	3349—3354
सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में घोषणा	Announcement Re. Arrest of Member ..	3354
श्री राम गोपाल शालवाले	Shri Ram Gopal Shalwale ..	3354
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	3354—3356
बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Social Control of Banks ..	3356
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	3356
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member ..	3357—3358
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani ..	3357
राजभाषा (संशोधन) विधेयक	Official language (Amendment) Bill ..	3358—3375
खंड 2	Clause-2 ..	3358—3375
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	3375
ग्यारहवां प्रतिवेदन	Eleventh Report ..	3375

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 14 दिसम्बर, 1967/23 अग्रहायण, 1889 (शक)

Thursday, December 14, 1967/Agrahayana 23, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Rajasthan Canal Project

*661. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the thirty per cent. retrenchment effected in the staff working in the Rajasthan Canal project has affected the schedule laid down for the project; and

(b) if so, the action proposed to be taken keeping in view its impact on the prospects of the project?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad): (a) Yes, Sir.

(b) If adequate funds are not forthcoming, the schedule of construction will alter and completion date of the first stage itself will extend beyond 1970-71.

Shri Shiv Kumar Shastri: What was the target date of the completion of the project, the reasons for the delay and the time by which it is likely to be completed.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : राजस्थान नहर परियोजना का प्रथम प्रक्रम 1970-71 तक पूरा किया जाना था। परन्तु अब वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह स्पष्ट

नहीं है कि क्या हम उसे समय पर पूरा कर सकेंगे अथवा उसकी अवधि में विस्तार करना होगा ।

Shri Shiv Kumar Shastri : May I know whether, in view of limited financial resources of the State Government, the Central Government proposes to take it over.

डा० कु० ल० राव : केन्द्रीय सरकार द्वारा परियोजना को अपने हाथ में लेने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा । कुछ समय से इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या परियोजना को योजना के अन्दर अथवा उसके बाद पूरा करने के लिये अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी ।

श्री न० कु० सांघी : क्या वित्त मंत्री के बदलने से भारत सरकार की नीति भी बदल जाती है । श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने मंत्री होते हुए यह आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान नहर परियोजना को अपने हाथ में ले लेगी । राज्य सरकार भी इस बात की इच्छुक थी । केन्द्रीय सरकार द्वारा अब ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

डा० कु० ल० राव : ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । यह ठीक है कि श्री कृष्णमाचारी के वित्त मंत्री होने के समय इस पर विचार किया गया था परन्तु इस बारे में उस समय कोई निर्णय नहीं हुआ था ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि परियोजना केन्द्रीय सरकार के हाथ में हो अथवा राज्य सरकार के, क्योंकि मंत्री महोदय ने 13 जुलाई, 1967 को कहा था कि परियोजना पर समूचा व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा । अतः मैं पूछना चाहता हूँ कि अब इस परियोजना में अधिक विलम्ब क्यों किया जा रहा है और क्या इस बात पर ध्यान दिया जायेगा कि परियोजना 1970-71 के अन्दर पूरी हो जायेगी ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य का यह विचार ठीक है कि इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि परियोजना केन्द्र के अन्तर्गत हो अथवा नहीं । मुख्य बात यह है कि अगले दो-तीन वर्षों में इस परियोजना के लिये अधिक धन प्राप्त किया जाये ताकि इसका बहुत बड़ा भाग 1970-71 तक पूरा हो सके । मंत्रालय का भी यही विचार है ।

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know whether at the Chief Minister's Conference held recently in Delhi, the Chief Minister of Rajasthan demanded that additional resources for Rajasthan Canal should be provided by the Centre ?

डा० कु० ल० राव : यह ठीक है कि राजस्थान सरकार समय-समय पर ऐसी मांग करती रही है । इसी कारण हम बार-बार यह विचार करते रहते हैं कि इस परियोजना के लिये धन की व्यवस्था कैसे की जाये । इस परियोजना के लिए निर्धारित वार्षिक राशि निश्चय ही कम है ।

Shri Onkar Lal Berwa : My question has not been replied.

डा० कु० ल० राव : राजस्थान के मुख्य मंत्री न केवल राष्ट्रीय विकास परिषद् में बल्कि सभी स्थानों पर प्रत्येक अवसर मिलने पर इस पर बल देते रहे हैं कि अधिकतम निर्धारित राशि से अधिक राशि इस प्रयोजन के लिये दी जाये।

Shri Achal Singh : I would like to know the estimated cost of Rajasthan Project, how much work has been done and how much still remains.

डा० कु० ल० राव : प्रथम क्रम पर 75 करोड़ रुपये की लागत होनी है। अब तक हमने 47 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। इस वर्ष के लिये 3 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं और मार्च, 1968 के अन्त तक हमारा कुल व्यय 50 करोड़ रुपये हो जायेगा।

हल्दिया में उद्योग समूह

+

*662. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया में प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने के उपोत्पादों पर आधारित एक उद्योग समूह वहां स्थापित करने की सम्भावना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). हल्दिया में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के बारे में फैसला किया गया है इसके अतिरिक्त पेट्रो-केमीकल्स पर एक कार्यकारी ग्रुप ने पोलीएथीलीन वाइनल एस्टिट, पोली प्रोपीलीन जैसे दूसरे मदों के उत्पादन के लिये एक पेट्रो-केमीकल समूह की स्थापना की सिफारिश की है। किन्तु इस मामले में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है। समाचार-पत्रों में समाचार छपे हैं कि हल्दिया में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में प्रस्तावित विदेशी सहयोगियों के साथ करार करने में कोई कठिनाई है।

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : ऐसी कोई कठिनाई नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को 1969-70 तक स्थगित करने के निर्णय से तेल शोधक कारखाने के निर्माण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

श्री अशोक मेहता : जी नहीं। परियोजना का काम चालू रहेगा।

Shri S. C. Samanta : May I know whether it is a fact that a team sent by the Central Government has recommended that Haldia National Highway No. 6 must be connected with Haldia Refinery? What action is being taken by the Government.

श्री अशोक मेहता : इसका सम्बन्ध परिवहन मंत्रालय से है ।

Supply of Milk Powder in Hospitals in Delhi

+

*663. **Shri Prakash Vir Shastri:** **Shri Raghuvir Singh Shastri:** **Shri Ram Avtar Sharma:** **Shri Y. S. Kushwah:** **Shri Shiv Kumar Shastri:** **Shri Ramji Ram:**

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the milk powder being supplied in the hospitals in Delhi is unfit for human consumption;

(b) the reasons for not utilising that milk powder in time; and

(c) the action taken against the persons responsible for the same?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों से एकत्र की गई सूचना से पता चलता है कि जहां भी दुग्ध पाउडर प्रयोग किया जाता है, वहां यह सुनिश्चित करके ही किया जाता है कि यह पाउडर अच्छी किस्म का है ।

(ग) यदि कोई विशेष मामला ध्यान में लाया जायेगा तो उस पर जांच की जाएगी ।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether the attention of the Government has been drawn to the press reports that unfit milk powder is being used in Delhi hospitals? If so, whether Government have tried to ascertain the veracity thereof and action taken thereon.

श्री ब० सू० मूर्ति : छः अस्पतालों अर्थात्, सफदरजंग अस्पताल, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांयसिज, लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज और अस्पताल, गोविन्द वल्लभ पंत अस्पताल आदि के बारे में जांच कर ली गई है । उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई दुग्ध चूर्ण नहीं दिया है ।

Shri Prakash Vir Shastri: Shri Satya Narain Sinha may kindly reply my question.

The Minister of Health, Family Planning and Urban Development (Shri Satya Narain Sinha): The Deputy Minister has given a correct reply. In certain hospitals the milk powder is not used and where it is used, it is fully examined. The paper reports are not correct.

Shri Prakash Vir Shastri: I would like to know whether any bungling is done at the source from which the powder is purchased and whether it is purchased from authorised dealers.

Shri Satya Narain Singh: We satisfy ourselves regarding quality while purchasing the milk powder from foreign countries or from any source. However, we will enquire if there is anything wrong anywhere.

Shri Ramavtar Sharma: Is it not possible that the hospitals be supplied with pure milk and the milk powder thus saved be used elsewhere?

Shri Satya Narain Sinha: It has been observed that this milk powder is better than the milk generally available in the Bazars.

Shri Shiv Kumar Shastri : Whether any complaints from the patients or their guardians have been received regarding the ill effects of milk powder on the health ?

Shri Satya Narain Singh : No, Sir.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Anything that is received free of cost, is not considered good. In view of that will the Government give the milk powder, which is obtained free of cost, to other institutions and provide the milk obtained on payment to the hospitals.

Shri Satya Narain Singh : Even the things obtained free of cost are fully examined. It is not within my power to send the milk powder elsewhere and we use it in hospitals.

Shri Balraj Madhok : The Minister is aware that there is an acute shortage of milk in Delhi. Delhi Milk Scheme is not in a position to meet the minimum needs of Delhi. May I know whether it is fact that factories for making milk powder have been set up in the areas surrounding Delhi, from where milk used to be supplied here ? Whether the Government is taking any action to ensure the supply of milk to Delhi instead of it being supplied to such factories.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बिल्कुल भिन्न है ।

दिल्ली में अनधिकृत झोपड़ियां

+

*665. **श्री बलराज मधोक :**
श्री मरण्डी :
श्री मयाबन :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनधिकृत झोपड़ियों के प्रश्न पर विचार करने के लिये उनके मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय समिति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) इस समिति की कितनी सिफारिशें मान ली गयी हैं और क्रियान्वित की गई हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) गृह-मंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में, दिल्ली में झुग्गी तथा झोपड़ी की समस्या पर विचार करने के लिए निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में एक स्टैडी ग्रुप स्थापित किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) स्टैडी ग्रुप की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

Shri Balraj Madhok : Whether it is a fact that the study group has given a suggestion that all the unauthorised Jhuggies in Delhi should be removed as soon as possible so that they could settle at the new site ?

Shri Iqbal Singh : This study group was constituted to go into the problem of Jhuggies in Delhi. The study group has decided that a solution of the whole problem should be found in such a way that no one is put to any hardship.

Shri Balraj Madhok: May I know whether those eligible persons which have been allotted a plot of 25 yards will be authorised to put up a pucca structure.

Shri Iqbal Singh: The study group has recommended that these 25 yards plots should be allotted to such persons who can pay its price in instalments in three or four years.

Shri K. N. Tiwary: May I know the number of Jhuggi dwellers uprooted in 1967 and the number of those of them which have been resettled by the Administration? Whether certain persons carrying on small scale industries were also uprooted and those industries have been closed.

Shri Iqbal Singh: I do not have figures of the persons whose jhuggies were demolished last year but at a number of places they were removed and those of them, which were eligible for accommodation, have been provided alternative accommodation and as far as possible ineligible persons have also been settled at other places but it cannot be said about all such cases. The commercial establishment, which were unlawfully occupying Government accommodation, have to arrange alternative accommodation themselves.

Shri George Fernandes: In view of scarcity of accommodation, will the Government provide residential accommodation to all the Jhuggi dwellers irrespective of the question of eligibility.

Shri Iqbal Singh: It is a fact that there is a shortage of about 7.5 crore houses in the country. For that purpose Rs. 30 crores are required and we do not have resources for that. We have to work within our resources and that is what we are doing.

Shri Atal Bihari Vajpayee: It is severe cold these days in Delhi. Could this demolition of huts not be postponed till the end of winter?

Shri Iqbal Singh: The programme of removal of Jhuggies is formulated by the Administration and it is presented before a committee. After arrangements for alternative accommodation have been made, the huts are removed. If we take winter or rains into consideration, the programme cannot be implemented. However, they are not removed during the days of actual rain.

Shri Prem Chand Verma: I would like to know how the number of Jhuggi dwellers increased by 50 per cent. in 1967 as compared to 1966? Whether it is a fact that people owning bungalows have got land allotted under Jhuggi Jhonpri Scheme.

Shri Iqbal Singh: I have no such information. If the member writes to me about any such matter, I will look into it.

Shri Kanwar Lal Gupta: There were about 25,000 jhonpries in Delhi in 1961 and inspite of clearance programme their number now is 1,10,000. I would like to know the recommendations made by the study group in this direction? I would also like to know the number of persons who will be provided alternative accommodation before 31-3-68.

Shri Iqbal Singh: It is for Delhi Administration to see that new huts do not come up. The Delhi Administration and Delhi Municipal Corporation prepare phased programmes for removal of Jhuggies and the work is carried on accordingly. The Study Group has recommended

that an ordinance providing for punishment and fine to the person illegally occupying Government land should be promulgated. The Ministry of Law is being consulted in the matter. The programme of removal is prepared by Delhi Administration and Municipal Corporation.

Shri Sheo Narain: In the 1,10,000 jhuggies in Delhi about five lakh persons are living. I would like to know the number of Harijans among them and the steps being taken to settle them in Harijan Colony set up by Mahatma Gandhi.

Shri Iqbal Singh: There are no statistics of Harijans among those Jhuggi dwellers.

Shri Ram Charan: May I know whether Government will take the properties of such persons who own a number of houses in Delhi for the purpose of rent and after making small tenements there allot them to Jhuggi dwellers?

Shri Iqbal Singh: This does not relate to the main question. We are trying to do what we can for the poor people in Delhi.

Shri Molahu Prasad: The problem of housing is becoming acute not only in Delhi but also in other big towns like Bombay and Calcutta. If it is due to industrialisation, the steps taken by Government to decentralise factories and offices?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न का सम्बन्ध दिल्ली से है।

Shri Iqbal Singh: Alongwith factories, houses for workers are also constructed. The Government have formulated a programme for dispersal of factories throughout the country.

श्री सूपकार: क्या मैं जान सकता हूं कि इन अनधिकृत झुग्गियों के हटाने के बाद प्लाट के पात्र कितने प्रतिशत व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा किया गया है।

Shri Iqbal Singh: Out of about 50,000 eligible persons nearly 21,000 persons have been allotted plots. Of them seven or eight thousand were not eligible. They are charged more rent. About 34,000 persons are to be given plots.

Shri O. P. Tyagi: The hut dwellers are generally poor. The alternative accommodation allotted to them is far away from the town? May I know whether the Government have made arrangements for employment opportunities at those places so that they could continue to stay at such places?

Shri Iqbal Singh: Colonies are settled where land is available. We try to get land as near as possible but the land nearer is very costly and more cost means lesser plots. All those things have to be taken into account.

श्री स० मो० बनर्जी: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ओबराय होटल कांटीनेंटल में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने के कारण उस स्थान को साफ सुथरा बनाने के लिये उस होटल के निकट झुग्गियों में रहने वालों को वहां से जबरदस्ती हटाया जा रहा है; यदि हां, तो क्या उन्हें हटाने से पहले उन्हें कोई वैकल्पिक स्थान दिया गया है?

Shri Iqbal Singh: It is for Delhi Administration and Delhi Municipal Corporation to take decision about the removal of Jhuggies.

Shri Chandrika Prasad: May I know State-wise figures of people living in jhuggies particularly in respect of East U. P. and West Bihar?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हमारे पास इस सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं।

Shri Shiv Charan Lal: Jhuggi dwellers are being rehabilitated outside Delhi.

May I know whether any arrangement is being made to provide facilities to Government servants working in Delhi/New Delhi, who are living in jhuggies, to enable them to attend office punctually?

Shri Iqbal Singh: It is not the question of Government servants. It is entirely different question.

पंजाब में उर्वरक कारखाने

*669. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिये उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से तकनीकी सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस सहायता का ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). जी हां। प्रस्ताव यह है कि केन्द्रीय सरकार के साथ, नेफ्था पर आधारित, यूरिया के रूप में 200,000 मीटरी टन नाइट्रोजन क्षमता का, एक उर्वरक प्लांट, भाटिण्डा-जाखल समूह में लगाया जाए। पंजाब राज्य उद्योग विकास निगम (पंजाब सरकार का एक उपक्रम) ने भी भाटिण्डा में एक उर्वरक प्लांट को स्थापित करने के लिए एक ऐसा प्रस्ताव भेजा है; जो सरकार के परीक्षाधीन है। उत्पादन के भविष्य कार्यक्रम को बनाते समय पंजाब सरकार तथा पंजाब राज्य उद्योग निगम के प्रस्ताव को ध्यान में रखा जायेगा।

Shri Yajna Datt Sharma: New Fertilizer Factory is a liability and not an asset to Punjab Government. More than half of electricity generated in Bhakra is consumed in this factory. In view of this I want to know the policy of Central Government with regard to encouragement of food production to enable surplus States to multiply their production.

श्री रघुरामैया : हमारी नीति इन सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखने और यथासम्भव उत्पादन में वृद्धि करने की है। परन्तु यह कार्य उपलब्ध साधनों पर आधारित किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत ही किया जा सकता है।

Shri Yajna Datt Sharma: I want to know that keeping in view the suggestions made by Punjab Government and corporation to Central Government and in order to implement them expeditiously and also in order to establish a Naphtha-based Fertilizer Factory in Bhatinda when the Central Government would give them necessary assistance?

Minister of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): I have made this statement in the House in the past also that there are four factories in the Public Sector which are producing fertilizers. Another two factories would also start their production. We have also undertaken the work for establishing five more factories. In our future programme we hope to take into account the requirement of such factories in Punjab. However as it has been stated that investigations are being made with regard to the expansion of Nangal factory and for establishing another factory in Bhatinda.

Shri Maharaj Singh Bharati: Nangal factory is producing fertilizers by having electricity at much cheaper rates. The Government have decided not to establish such a factory in any other part of the country as they have to supply electricity to it at such a cheap rate. When it has been decided that such a factory is not to be established throughout the country the question of its expansion is also ruled out. In view of this whether Government is contemplating to establish factories in Punjab, Haryana and in its adjacent areas and in Uttar Pradesh, where raw material for production of fertilizer is not available and only electricity can be used as raw material and where electricity can be produced by installation of new type of nuclear feeder or reactors at cheaper cost?

Shri Asoka Mehta: It is not correct to say that the question of expansion of Nangal factory is ruled out because its expansion is proposed to be based on Naphtha and not on the basis of electricity. I do not want to go into the question of installation of Atomic Station for establishing fertilizer factory but we are contemplating to establish a refinery in North-West in future so that arrangement can be made for availability of Naphtha in this area also which would be used for the production of fertilizers.

श्री दी० चं० शर्मा : पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार लक्षमण सिंह गिल पंजाब में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की आवश्यकता के बारे में केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार करते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि पंजाब को उर्वरकों की आवश्यकता कितनी है और सरकार इन उर्वरकों की सप्लाई कैसे करेगी ? कितने प्रतिशत सप्लाई की जायेगी और वे पंजाब की उर्वरक सम्बन्धी कमी को कैसे पूरा करेंगे ?

श्री अशोक मेहता : विभिन्न राज्यों को कितने उर्वरकों की आवश्यकता है, इसका निर्णय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय करता है। इस समय ये आवश्यकताएं देश में उत्पादन द्वारा तथा विदेशों से आयात द्वारा पूरी की जाती हैं। जहां तक मुझे जानकारी है पंजाब सरकार किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं कर रही।

श्री नम्बियार : क्योंकि विदेशी मुद्रा की कमी है और तरल एमोनिया के आयात की आवश्यकता होती है और क्योंकि भारतीय इंजीनियरों और विशेषज्ञों की यह राय है कि हमारे देश के लिये नेफ्था पर आधारित उर्वरक हानिकारक है और इसलिये वे कोयले पर अधिक आधारित होने चाहिये, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार की नीति तरल अमोनिया के आयात को प्रोत्साहन देने की है..............

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नम्बियार : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित है। मेरा अभिप्राय यह है कि क्या नेफ्था पर आधारित संयंत्र जनता के हित में है या कोयले पर आधारित संयंत्र, जो देश में सुगमता से उपलब्ध है और फिर विदेशी मुद्रा की कमी भी है ?

श्री रघुरामैया : माननीय सदस्य ने अपने पहले वक्तव्य में जिन धारणाओं का उल्लेख किया है, वे बिल्कुल गलत हैं। जहां तक नेफ्था से उर्वरकों के उत्पादन का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकतीं। यदि और जब तरल अमोनिया के आयात का प्रश्न उठता है तो इस बात का निर्णय उस मामले के संदर्भ में किया जाता है।

Shri A. S. Saigal: I want to know the names of States which have asked for coal based fertilizer factories and sent their applications to Central Government ?

श्री रघुरामैया : कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों के बारे में हम कोरबा के प्रयोग पर विचार कर रहे हैं।

अमरीकी सहायता

+
*672. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** :
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मिस्टर विलियम एस० गौड़ के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि अमरीका को भारत के लिये विदेशी सहायता कार्यक्रम में बहुत अधिक कटौती करनी पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका विदेशी सहायता की सम्भावना पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अमरीका के सहायता-कार्यक्रम में प्रस्तावित कमी के बारे में श्री गौड़ ने संयुक्त राज्य अमरीका की सीमेंट एप्रोप्रियेशन कमेटी के सामने जो चिन्ता व्यक्त की है उसके सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में छपी खबरों पर सरकार का ध्यान गया है।

(ख) हालांकि सहायता के लिए मंजूर की जाने वाली रकम संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन द्वारा जिस रकम की सिफारिश की गयी थी उससे कम होगी, परन्तु भारत को मिलने वाली सहायता में कितनी कमी होगी, यह तभी मालूम होगा जब कानून बनाने की आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी हो जायेंगी।

(ग) चूंकि सहायता की मात्रा के बारे में अभी स्पष्ट रूप से कुछ मालूम नहीं है, इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जायेंगे । फिर भी यह आशा की जाती है कि मिलने वाली सहायता हमारी अनिवार्य आवश्यकताओं से बहुत कम नहीं होगी ।

Shri O. P. Tyagi : I want to know whether cuts in the American assistance would affect the Fourth Five Year Plan.

Shri Morarji Desai : We have to think about Fourth Five Year Plan only next year. How can it be affected now ?

Shri O. P. Tyagi : I mean to say that whether it would affect the Fourth Five Year Plan which is being formulated ?

Shri Morarji Desai : Fourth Five Year Plan would be affected by what we would get in the coming years. It would not be affected this year.

Shri O. P. Tyagi : Whether Government have made effort to secure assistance from other countries in order to make good the said deficiency ? If so; whether they have been successful in securing the same ?

Shri Morarji Desai : I do not think that we would get sufficient assistance from other countries. If by making efforts he means to say that we should beg from some one then I am not going to do so.

Shri Rabi Ray : I want to know whether any condition is imposed on the assistance given by the World Bank and if so ; whether any change is likely to be made in that condition ?

Shri Morarji Desai : No condition is imposed.

श्री लोबो प्रभु : क्या वित्त मंत्री यह बता सकेंगे कि अमरीका द्वारा पहले से दी गई ऐसी कितनी सहायता है जिसका उपयोग नहीं किया गया ?

दूसरे क्या मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे कि अमरीका से मिलने वाली सहायता पर हाल ही में ब्रिटेन द्वारा किये गये अवमूल्यन का प्रभाव कैसे पड़ेगा ? क्या सशर्त सहायता हमें महंगी पड़ेगी ?

तीसरे क्या मंत्री महोदय............

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न केवल एक ही पूछा जाना चाहिये ।

श्री मोरारजी देसाई : इतने प्रश्न इकट्ठे पूछे गये हैं कि मैं भूल गया हूं । मुझे यही याद नहीं कि पहले कौन-सा प्रश्न पूछा गया था ।

श्री लोबो प्रभु : मेरा पहला प्रश्न यह है कि अमरीका द्वारा दी गई ऐसी कितनी सहायता है जिसका उपयोग अभी नहीं किया गया ।

श्री मोरारजी देसाई : मेरे लिये यह आंकड़े बताना आज सम्भव नहीं । यदि वे मांगे जायें तो मैं बाद में बता दूंगा ।

परन्तु जहां तक अप्रयुक्त सहायता का सम्बन्ध है यह अप्रयुक्त नहीं है। कुछ सहायता ऐसी होती है जिसका प्रयोग कुछ समय तक होना होता है और इस लिए वह कुछ समय के लिये अप्रयुक्त रहती है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : और यह कोई नयी बात भी नहीं है।

श्री लोबो प्रभु : अमरीकी सशर्त सहायता पर ब्रिटेन द्वारा किये अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ा है? क्या यह सहायता अधिक महंगी पड़ती है और इसलिये यह हमें कम लाभप्रद है?

श्री मोरारजी देसाई : ऐसी बात नहीं। यदि 'टाइड' सहायता है तो इस अवमूल्यन से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें अमरीका से खरीदना है। उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

श्री बेदव्रत बरुआ : मंत्री महोदय हाल ही में अमरीका गये थे। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इन सम्भावनाओं के बारे में कुछ बताया गया था और क्या उन्होंने उस समय अमरीकी प्रशासन से इस संबंध में चर्चा की थी?

श्री मोरारजी देसाई : कैसी सम्भावनाएं?

श्री बेदव्रत बरुआ : सहायता की कटौती की सम्भावनाओं के बारे में। क्या उस समय उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया था? क्या ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया गया था?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे पता था कि इस सम्बन्ध में बातें हो रही हैं। इस विषय पर चर्चा करना बेकार था। इसका निर्णय कांग्रेस को करना था।

श्री कृष्णमूर्ति : क्या यह सच नहीं है कि जब कि अन्य सरकारें परियोजनाओं के लिये सहायता दे रही हैं, अमरीकी सहायता परियोजना से इतर कार्यों के लिये दी जाती है? क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने अमरीका पर कभी इस बात के लिये जोर डाला है कि अमरीका सहायता के लिये परियोजनाओं से इतर कार्यों की अपेक्षा परियोजनाओं के लिये अधिक होनी चाहिये? यदि हां, तो अमरीकी सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

श्री मोरारजी देसाई : इस देश से परियोजना सम्बन्धी तथा गैर-परियोजना संबंधी दोनों ही प्रकार की सहायता प्राप्त हो रही है।

श्री कृष्णमूर्ति : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बात पर जोर डाला है; यदि हां, तो अमरीका की उस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया थी?

श्री मोरारजी देसाई : अमरीका में हमारा कोई नकद रुपया जमा नहीं है कि हम उन पर जोर डालें कि वे हमें परियोजनाओं के लिये अधिक सहायता दें...................... **(अन्तर्बाधायें)**

श्री कृष्णमूर्ति : वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री कृष्णमूर्ति : अमरीका हमारा मित्र देश है और मित्र देश पर हम जोर डाल सकते हैं कि "आप जो कुछ देते हो वह परियोजनाओं के लिये सहायता के रूप में देते हो और न कि गेहूं के लिये या पी० एल० 480 के लिये" क्योंकि परियोजनाओं के लिये दी गई सहायता की अपेक्षा गैर-परियोजना के लिये दी गई सहायता का हमारे देश पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

श्री मोरारजी देसाई : ऐसा प्रतीत होता है कि गैर-परियोजना और परियोजना के लिये सहायता के बारे में माननीय सदस्य के विचार बिल्कुल भिन्न हैं। कच्चे माल तथा पुर्जों के आयात के लिये परियोजनाओं के लिये सहायता की अपेक्षा गैर-परियोजना सहायता की अधिक आवश्यकता है। इसलिए हम एक प्रकार की सहायता को छोड़ कर दूसरे प्रकार की सहायता के लिये नहीं कह सकते। दोनों प्रकार की सहायता की आवश्यकता है और वे अपनी इच्छा के अनुसार हमें सहायता दे रहे हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know the assistance that was expected from U. S. A. and the extent of cut therefrom and how the Hon'ble Minister says that the cut is not materially effective ?

Shri Morarji Desai : I have already said that I am not in a position to give figures today. The extent of cut will be known only after final decision to be taken by U.S.A.

Shrimati Lakshmikanthamma : I want to know the efforts being made to mobilise the sources from within the country keeping in view these cuts and the progress made in that respect ?

Shri Morarji Desai : The progress is there but during these two or three years the progress is not so much because the condition is bad.

Shri Shiva Chandra Jha : Is it not a fact that America wants to put some strings to the assistance which amounts to interference in our internal affairs and as India is not agreeable to these strings, they are reducing the assistance ?

Shri Morarji Desai : This is entirely incorrect.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : उप-प्रधान मंत्री कई बार कह चुके हैं कि वह यथाशीघ्र विदेश सहायता लेना बन्द कर देंगे, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह अमरीका से सहायता लेना कब तक बन्द कर देंगे क्योंकि यह सहायता उनकी इच्छा, सनक और राजनीतिक इरादों पर निर्भर करती है ?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य मेरी और इस सरकार की आलोचना तो कर सकते हैं परन्तु उन्हें अमरीका की सरकार के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहिये। इस सहायता के प्रश्न का सम्बन्ध सनक या अन्य बातों के साथ नहीं है बल्कि इस बात का सम्बन्ध उनकी अपनी परिस्थितियों से है और इस बात से भी है कि वह स्वयं अपने प्रयोजन के लिये उसका प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें स्वयं इस कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये यह बात ठीक नहीं है।

एक निश्चित तिथि निर्धारित करना बहुत कठिन बात है परन्तु हमें आशा है कि हम 10 वर्षों में आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

Shri S. S. Kothari : Is there any automatic link between the assistance given by U. S. A., World Bank and other countries and if there is a cut in the assistance given by U.S.A. there will be proportionate cut in the assistance to be given by other countries ? Is there any such link ?

Shri Morarji Desai : There is no such link. But if there is cut in U.S.A., it may affect the assistance to be given by World Bank.

चांदी का निर्यात

*675. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या वित्त मंत्री 10 अगस्त, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1726 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भी रूप में चांदी के निर्यात की अनुमति देने के मामले में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). गैर-सरकारी व्यापार द्वारा चांदी के निर्यात की अनुमति न देना हमारी नीति है। फिर भी चांदी की बनी वस्तुओं का निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है यदि जहाज में लदाई तक मूल्य लंदन या न्यूयार्क में विद्यमान चांदी के मूल्य, जो भी अधिक हो, से 5 प्रतिशत से कम न हो।

श्री नन्द कुमार सोमानी : वर्तमान विनियमों के कारण जैसाकि उप-प्रधान मंत्री को पता है, भारत से कुवैत के रास्ते अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बड़े पैमाने पर चोरी छिपे चांदी जा रही है। ऐसी स्थिति में गैर-सरकारी व्यापारियों के माध्यम से चांदी की सिलों का निर्यात करने की अनुमति देने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री मोरारजी देसाई : क्योंकि हम नहीं चाहते कि भारत से चांदी बाहर जाये।

श्री नन्द कुमार सोमानी : भारत के रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुसार भारत में चांदी का स्टाक लगभग 66 लाख औंस है। उप-प्रधान मंत्री यह तो स्वीकार करेंगे कि चांदी कोई अनिवार्य वस्तु नहीं है बल्कि यह एक ऐसी वस्तु है जिससे हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन विनियमों के कारण इस देश से बड़े पैमाने पर चोरी छिपे चांदी बाहर जा रही है। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : इन विनियमों के कारण बड़े पैमाने पर तस्करी नहीं हो रही है बल्कि अन्य देशों में ऊंचे मूल्य होने के कारण तस्करी हो रही है। हम इसे बन्द करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु गैर-सरकारी व्यापार की अनुमति दी जाये या नहीं, उससे तस्करी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।

श्री दामानी : तस्करी करते हुए कितनी चांदी पकड़ी गई है और क्या उसमें से कुछ चांदी छोड़ दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बिल्कुल भिन्न है ।

श्री मोरारजी देसाई : इसका उत्तर देने के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

Shri Madhu Limaye : I want to know whether we suffer loss because of Import of gold and we are benefited by gold and silver which is brought in our country through smuggling ? What steps have been taken to stop the import of gold and export of silver through smuggling ?

Shri Morarji Desai : We are making every effort to stop smuggling. But it is useless to think that the smuggling will be stopped altogether in the world.

Shri Madhu Limaye : But Government should make effort at least.

Shri Morarji Desai : That we are doing we are arresting persons and they are being sentenced.

Shri Ram Sewak Yadav : How far these efforts have been successful ?

Shri Morarji Desai : We have been successful to the extent human beings can be successful. There are cases of both failures and successes.

Shri Madhu Limaye : I am not asking about philosophical success, I am asking about the policy of Government ?

Shri Morarji Desai : I am not Philosopher to the extent others are there. I agree it is not the question of philosophy and therefore we are making every efforts to stop smuggling but there is certain limit to everything. I do not say that it will be stopped altogether during our regime.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know the quantity of silver which is brought in our country every year and how much silver is exported in the form of finished goods ? How far the gold control has been proved successful ?

Shri Morarji Desai : Silver is not coming in from other countries because its cost is higher there and it is cheaper here.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is coming from Tibbet.

Shri Morarji Desai : It has been coming previously but not now because rate of silver is higher in other parts of the world. Therefore some people have started sending it out. There is nothing else.

Shri Hukam Chand Kachwai : How much silver is being sent out ? How far gold control has been successful ?

Shri Morarji Desai : Had I known the quantity of silver being sent out, I would have stopped it. As I do not know, I could not stop it. How can I draw any estimate ? It is very difficult.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

+

*676. श्री रणधीर सिंह :

श्री प्र० रं० ठाकुर :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा पिछले वर्ष के और इस वर्ष के अपने प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों को सरकार ने पूर्णतया क्रियान्वित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). इन सिफारिशों पर, जो अनिवार्य नहीं हैं, विचार कर लिया गया है, और उन्हें राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बद्ध लोगों के पास भेज दिया गया है। इन प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही के बारे में एक विवरण निकट भविष्य में सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

Shri Randhir Singh : I want to ask the Hon'ble Minister the quota for Schedule Castes in the I. A. S., I. F. S. and I.P.S. during the last five years and the number of persons belonging to Scheduled Castes appointed in these services, if it has not been, the reason therefor? If there is any deficiency, whether that deficiency will be made up or not?

श्रीमती फूलरेणु गुह : यह सारी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। आप जैसे कहें, हम यह सूचना या तो सभा-पटल पर रख देंगे या उन्हें दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप सभा-पटल पर रख सकते हैं। यदि आप उन्हें यह सूचना देने को तैयार हैं तो अच्छा है, अन्य लोगों को भी यह सूचना मिल जायेगी।

Shri Randhir Singh : There is increase in untouchability in the Scheduled Castes themselves. Chamars, Dhanak and Scavengers have separate wells and they draw water from separate wells. Whether Government have implemented the recommendations made by Scheduled Castes and Scheduled Commissioner in order to root out untouchability? If not, the reasons therefor? If they would implement them, by when?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : जैसा कि मैंने पहले वचन दिया है क्रियान्विति के बारे में इसी सत्र में ब्योरेवार विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा। माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि पहले वे इस प्रतिवेदन को पढ़ लें और फिर वह प्रश्न पूछें।

Shri Ram Singh Ayarwal : The Hon. Minister has not indicated as to when he would submit the report. He should clarify it.

Secondly by what time are you correctly going to implement the report of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

Shri Asoka Mehta: Action has been taken on the last report and the report would be submitted during this session. I have already stated that report of the Commissioner for Scheduled castes and Scheduled Tribes would be presented during the Budget Session.

Shri Ram Sewak Yadav: They only say and not actually do a thing.

Shri Asoka Mehta; We actually do things. Do not talk in the air.

Shri Molahu Prasad: What steps are the Government taking to give constitutional right. Are you going to constitute a parliamentary committee for it and if so when and will it then be given constitutional position?

श्री अशोक मेहता : समिति के गठन के बारे में हमने सभा के दोनों पक्ष के सदस्यों से बात की थी तथा विभिन्न राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों से भी बात की थी। उन बातचीतों के तदानुरूप कुछ सुझाव निकले उन पर विचार हो रहा है। पूरी सूचना के लिये मैं अलग नोटिस चाहता हूं।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

कठुआ नहर में जल की सप्लाई

अ० सू० प्र० सं० 14. श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगला बांध के निर्माण के पश्चात् रावी नदी के जल के बारे में 1905 के रीवाज पंचाट पर सिन्धु नदी जल संधि पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) रबी और खरीफ की फसलों के मौसमों में जम्मू में कठुआ नहर के लिये कितने क्युसेक जल उपलब्ध होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख). 1895 के रीवाज पंचाट के अन्तर्गत कश्मीर नहर के लिये खरीफ की फसल के लिये अधिक से अधिक 120 क्युसेक पानी लिया जा सकता है परन्तु रबी के लिये कुछ भी नहीं लिया जा सकता। सिन्धु नदी जल संधि के अन्तर्गत खरीफ फसल के लिये रावी नदी में से पानी लेने पर भारत पर कोई नियन्त्रण नहीं है तथा कठुआ नहर पहले ही खरीफ के मौसम में पूरा पानी अर्थात् 400 क्युसेक प्राप्त कर सकती है सिवाय 1 से 10 अप्रैल तक तथा 21 से 30 सितम्बर तक जब सेन्ट्रल बारी दाआब नहरों द्वारा पाकिस्तान को पानी देना होता है।

मंगला बांध तथा संयुक्त नहरें पूरी होने पर भारत को सिन्धु नदी जल संधि के अन्तर्गत और अधिक पानी मिलना आरम्भ हो जायेगा जोकि रबी के मौसम में 11 से 30 सितम्बर तक

मिलेगा तथा पानी की प्रत्येक वर्ष की मात्रा के बारे में सिन्धु नदी जल के आयुक्तों द्वारा समझौता होगा और यह समझौता 31 मार्च 1970 तक के लिये होगा। इस वर्ष की रबी फसल के लिये यह फैसला हो गया था कि 21 नवम्बर से मार्च के अन्त तक 1.60 लाख एकड़ फुट पानी भारत के प्रयोग के लिये छोड़ा जाये। इसका अर्थ होगा कि औसत रूप में लगभग 600 क्युसेक पानी मिलेगा। इसमें पानी की धारा के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर के लिये 16 से 28 क्युसेक होगा। 1968-69 तथा 1969-70 में रबी की फसल के लिये जम्मू तथा कश्मीर का भाग और भी अधिक हो सकता है परन्तु उसकी ठीक मात्रा का इस समय पता नहीं। इस 30 मार्च 1970 संक्रमण काल के पश्चात नदी का सारा पानी भारत को मिलेगा तथा उस समय जम्मू तथा कश्मीर को रबी के मौसम में औसत रूप में लगभग 300 क्युसेक पानी मिलेगा।

Shri Gulam Mohammad Bakshi: What is the specific position of Riwaz Award after the Indus Water Treaty and whether that has finished now? What will be the fate of the canal dug five years back on the advice of the Ministry of Irrigation and Power and on which much money has been spent if after 1970 we do not get water ?

डा० कु० ल० राव : रीवाज पंचाट अब समाप्त हो गया है तथा कठुआ नहर में पानी सिंधु नदी जल संधि के अन्तर्गत प्राप्त होगा। खरीफ फसल के लिये बहुत पानी है। इस वर्ष रबी फसल के लिये थोड़ा पानी होगा परन्तु अगले वर्ष और उसके बाद उसमें अधिक पानी होगा तथा 3 वर्ष बाद 300 क्युसेक का पूरा कोटा प्राप्त होगा।

Shri Gulam Mohammad Bakshi: What proposal do you have to feed the canal till 1970 so that full use may be made of it.

डा० कु० ल० राव : 1963 में पंजाब सरकार ने रबी फसल के लिये 20 क्युसेक पानी दिया।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : यह पानी तो पीने के लिये भी कम रहेगा, सिंचाई की तो बात ही अलग रंही।

डा० कु० ल० राव : यह बात तो मैं स्वीकार करता हूं परन्तु पंजाब सरकार इससे अधिक दे नहीं सकी।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : क्या सरकार पंजाब सरकार से बात करके जम्मू तथा कश्मीर सरकार को पीने तथा खरीफ तथा रबी की फसलों के लिए सिंचाई का पानी बढ़वाने का प्रयास करेगी ?

डा० कु० ल० राव : मै आपसे बिल्कुल सहमत हूं। मैं पंजाब सरकार से बात करूंगा कि अधिक पानी दे।

श्री हेम बरुआ : मंत्री जी ने कहा कि मंगला बांध बनने के पश्चात् कुछ पानी और मिल सकेगा। क्या यह पानी अपने आप प्राप्त होगा अथवा पाकिस्तान देगा ?

डा० कु० ल० राव : 1970 तक आयुक्तों की सहमति से पानी प्राप्त होगा। इस वर्ष के लिये निर्णय हो चुका है तथा हमें औसत 600 क्युसेक पानी प्राप्त होगा।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : लगभग चार वर्ष पूर्व मंत्री महोदय ने श्रीनगर में कहा था कि वह इसके बारे में पंजाब सरकार से बात करेंगे परन्तु अभी कहा कि उन्होंने इस मामले पर बात नहीं की है। क्या कठिनाई थी कि उन्होंने इस अवधि में बात नहीं की थी। तथा क्या वह रबी फसल के लिये पानी देने के बारे में बात करेंगे।

डा० कु० ल० राव : आपने मुझे ठीक समझा नहीं है। 1963 में पंजाब सरकार स्वयं 20 क्युसेक पानी देने को तैयार थी। इस वर्ष और अधिक पानी मिल गया है। पंजाब सरकार जो पानी देगी वह क्या सिंधु नदी जल संधि के द्वारा मिलने वाले पानी के अतिरिक्त होगा या नहीं, इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार से बात करनी है।

श्री बलराज मधोक : कठुआ नहर रेतीले क्षेत्र से होकर गुजरती है और इस कारण वहां न तो नलकूप खोदे जा सकते हैं न ही वर्षा का पानी रोका जा सकता है। पंजाब में नलकूप खोदे जा सकते हैं। क्या सरकार पंजाब सरकार से कहेगी कि जम्मू तथा कश्मीर की कठिन समस्या को देखते हुए वह उन्हें अधिक पानी दें।

डा० कु० ल० राव . मैं आपकी बात समझता हूं। परन्तु पहले मैं पंजाब सरकार से इस सम्बन्ध में बात कर लूं।

श्री सूपकार : क्या कारण है कि जब सिंधु नदी जल संधि के बारे में बात कर रहे थे तो पानी पीने तथा सिंचाई के लिये आवश्यक पानी प्राप्त करने का प्रबन्ध नहीं किया ?

डा० कु० ल० राव : विभिन्न राज्यों के बीच बातचीत होने के फलस्वरूप 4% पानी सिंधु नदी पानी संधि के अन्तर्गत जम्मू तथा कश्मीर को दिया गया और उन्हें उसका अधिकार है।

श्री स० कुण्डू : 1970 में सिंधु नदी जल संधि समाप्त हो जायेगी। इस अवधि में पाकिस्तान हमें केवल 4 करोड़ रु० दे रहा था तथा हमें बहुत धन व्यय करना पड़ रहा था तथा पाकिस्तान अधिक पानी भी प्राप्त कर रहा है। इन बातों को देखते हुए क्या सरकार इस संधि को समाप्त करेगी ?

डा० कु० ल० राव : यह संधि भारत तथा पाकिस्तान के बीच है तथा इसको हम कार्यान्वित करेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : कठुआ नहर के लिये 400 क्युसेक पानी चाहिये परन्तु उन्हें कुल 20 क्युसेक पानी मिलता है। क्या सरकार कोई ऐसी कार्यवाही करेगी कि उन्हें 200 क्युसेक पानी तो प्राप्त हो ?

डा० कु० ल० राव : यह असम्भव है।

Shri Prakash Vir Shastri : Most of the water of rivers Jhelum, Chenab and Sindh will go into Mangla Dam. Now only river Ravi remains. Are you going to do something that people may utilise the water of river Ravi for drinking and irrigation purposes?

डा० कु० ल० राव: यही तो हम कर रहे हैं। 1970 में रावी का सारा पानी भारत को मिलेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गांधी जी के सिद्धान्त और परिवार नियोजन

*664. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन को कठोरतापूर्वक लागू करने के लिये विवाह की आयु को बढ़ाने, गर्भपात सम्बन्धी कानून को नर्म बनाने तथा तीन बच्चों के बाद अनिवार्यत: बंध्यीकरण कराने आदि कुछ उपायों को लागू करने के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(ख) क्या ये उपाय गांधी जी के सिद्धान्तों से मेल खाते हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). विवाह योग्य आयु को बढ़ाने और गर्भपात कानून को उदार बनाने के प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। उन सभी नागरिकों के लिए जिनके तीन या अधिक बच्चे हैं, नसबन्दी को अनिवार्य करने का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने रखा था, परन्तु उन्होंने ही इसे वापिस ले लिया है और इसे कार्यान्वित न करने का फैसला किया गया है। विवाह योग्य आयु को बढ़ाना गान्धीवादी सिद्धान्तों के अनुरूप है क्योंकि, व्यापक रूप में, इसका अर्थ संयम ही है। गर्भपात कानून को उदार बनाना स्वास्थ्य तथा सामाजिक दृष्टि से अच्छा समझा जाता है।

गाजीपुर के अफीम कारखाने में चोरी

*666. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले गाजीपुर के अफीम कारखाने से अफीम चुराई गई थी;

(ख) यदि हां, तो चुराई गई अफीम की मात्रा तथा मूल्य कितना था और यदि कोई जांच की गई है तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अफीम के कारखानों से अफीम की चोरी के मामलों में पुलिस और उत्पादन शुल्क अधिकारियों की सह-अपराधिता सिद्ध हो चुकी है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सह-अपराधिता के तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की चोरी होने के पश्चात उसकी जांच करने का काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं। गाजीपुर अफीम कारखाने में कुछ समय पहले अफीम की कोई चोरी नहीं हुई। हां, 15 सितम्बर, 1967 को बड़े सबेरे सरकारी अफीम कारखाना, मन्दसौर, में अफीम की चोरी हुई थी।

(ख) और (ग). विभाग को अब तक जिस अफीम के नुकसान का पता चला है वह 18 थैलों का है, जिनका (शुद्ध) वजन 628.500 किलोग्राम है और मूल्य 19,325.34 रुपये होता है।

जांच-पड़ताल के परिणामस्वरूप अब तक 39 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं। वर्तमान में उपलब्ध सूचना के अनुसार इन व्यक्तियों में से 15 व्यक्ति अफीम कारखाने के कर्मचारी हैं और 10 पुलिस विभाग के।

(घ) चोरी के तुरन्त बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो से परामर्श किया गया और ब्यूरो ने स्थानीय पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच-पड़ताल में अपने एक अधिकारी का सहकार देना स्वीकार कर लिया। जांच-पड़ताल का काम अब स्थानीय पुलिस से मध्य-प्रदेश के गुप्तचर विभाग ने अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन केन्द्रीय जांच ब्यूरो का जांच-पड़ताल में सहकार अभी चालू है।

(ङ) सवाल ही नहीं उठता।

आयकर की बकाया राशि

*667. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयकर की 540 करोड़ रुपये की राशि की वसूली बकाया रहने के क्या कारण हैं और यह बकाया राशि किस आय-वर्ग के करदाताओं से वसूल की जानी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : 31 मार्च, 1967 को आयकर की बकाया की रकम 541.71 करोड़ रुपये थी। इसमें से 145.02 करोड़ रुपये की रकम 31 मार्च, 1967 तक वसूली करने के योग्य नहीं हुई थी। बाकी 396.69 करोड़ रुपये निम्नलिखित कारणों से बकाया रहे हैं :

	(करोड़ रुपयों में)
(क) दोहरे आयकर से राहत का फैसला होने के लिये पड़ी रकम	4.19
(ख) जिन व्यक्तियों ने भारत छोड़ दिया है उनसे वसूल होनी रकम	6.53
(ग) परिसमाप्त हो रही कम्पनियों से वसूल होनी रकम	6.24
(घ) अपीलों पर फैसला होने के लिये पड़ी रकम	23.44
(ङ) भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा रही रकम	166.01
(च) संरक्षणात्मक कर-निर्धारण के अन्तर्गत पड़ी रकम	5.22
(छ) कर की रकम को कम करने के लिये दी गयी याचिकाओं पर फैसला होने के लिये पड़ी रकम	9.33
(ज) अन्य कारणों से पड़ी रकम	175.73
जोड़	396.69

जिन निर्धारितियों से ये बाकी रकमें वसूल होनी हैं, आय के विभिन्न खण्डों के अनुसार उनके वर्गीकरण सम्बन्धी सूचना विभाग द्वारा नहीं रखी जाती हैं ।

Bokaro Thermal Power Station

***668. Shri Nihal Singh.** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the 110-ton transformer of the Bokaro Thermal Power Station which was set on fire by the anti-national elements has burnt down completely;

(b) if so, the action taken by Government in regard thereto; and

(c) the amount of loss sustained as a result thereof?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) to (c). A short circuit occurred in the 132 KV Bokaro-Barhi Transmission Line on 25th July, 1967, because of the failure of the bulk oil breaker resulting from a fault in one of its bushings. The damage to the breaker caused power failure at the Bokaro Thermal Power Station. There was no damage to the transformer. The matter was investigated by the technical experts of the Damodar Valley Corporation who have come to the conclusion that the occurrence was due to an electrical fault in one of the oil circuit breakers. They have ruled out the possibility of sabotage. The damage to the oil circuit breaker is very extensive and therefore it has to be replaced. The cost of its replacement and rectification of the generator bearings will amount to about Rs. 2.7 lakhs

इम्फाल नगरपालिका

*670. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल नगरपालिका को धन की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है और उसे अपना दैनिक खर्च चलाना तथा कर्मचारियों का वेतन देना कठिन हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि करों की देय बकाया राशि बढ़ती जा रही है और उसके हिसाब-किताब की लेखा-परीक्षा नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) कर की बकाया राशि करीब एक लाख रुपये है । इस बकाया की वसूली के लिये नगरपालिका कदम उठा रही है । असम तथा नागालैण्ड का महालेखाकार नगरपालिका के हिसाब-किताब की नियमित रूप से जांच करता है । 1966-67 के हिसाब-किताब की जांच गत अक्तूबर 1967 में हुई थी ।

(ग) यद्यपि नगरपालिका की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है तथापि वह अपने प्रशासन सम्बन्धी खर्चों और कर्मचारियों के वेतन के खर्च को पूरा करने में समर्थ है। इम्फाल नगरपालिका की अर्थ-व्यवस्था सुधारने के लिये मणिपुर सरकार को उपयुक्त सलाह दे दी गई है।

नोट छापने का कागज (सिक्योरिटी पेपर)

*671. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक नोट छापने के कागज के मामले में भारत आत्म-निर्भर हो जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भर होने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). आशा है कि 1969-70 तक करेंसी नोटों और बैंक नोटों के कागज के सम्बन्ध में देश आत्मनिर्भर हो जायगा। यह आशा भी है कि 1971 के अन्त तक, चिपकने वाले टिकटों (स्टाम्पों) के कागज की थोड़ी मात्रा को छोड़कर अन्य सिक्योरिटी पेपर की आवश्यकताओं को भी देशी साधनों से पूरा किया जा सकेगा। इण्डिया सिक्योरिटी मिल में, 1969-70 तक पूरा उत्पादन होने पर वहां चिपकने वाले स्टाम्पों के कागज के उत्पादन की सम्भावना का भी पता लगाया जायगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

*673. **श्री मयाबन :**

श्री प्र० रं० ठाकुर :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य मंत्रियों के दिल्ली में हुए दो दिवसीय सम्मेलन में यह सिफारिश की गई है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये एक व्यापक तदर्थ समिति की स्थापना की जाये;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस समिति की स्थापना कब तक हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) इसके कृत्य तथा शक्तियां क्या होंगी?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) कुछ किसी प्रकार की भी समिति नहीं चाहते थे; कुछ ने वृहत् आधार की समिति का पक्षपोषण किया था।

(ख) से (घ). यह मामला विचाराधीन है।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

*674. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी सांवैधानिक उपबन्धों को लागू करने के लिये केन्द्र, राज्य और स्थानीय सराकरों के स्तर पर क्या प्रशासनिक व्यवस्था है; और

(ख) इन लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये विभिन्न सरकारों के पास क्या अधिकार और साधन हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) यह सूचना अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्टों में दी गई है । आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों का हाल में पांच जूनल कार्यालयों के रूप में पुनर्गठन किया गया है ।

(ख) सरकार के कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग संविधान के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है ।

अवमूल्यन

*677. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका भारत पर रुपये का दुबारा अवमूल्यन करने के लिये दबाव डाल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Ceiling on Property in Urban Areas

*678. **Shri Deorao Patil**
Shri Amrit Nahata

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the measures adopted by Government to fix a ceiling in respect of the individual ownership of urban land; and

(b) if the reply to part (a) above be in the negative the reasons therefor?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). The question of ceiling on the individual ownership of urban lands forms part of the urban land policy which is a States subject. In 1963, the Government of India had appointed an inter-State Committee on urban land policy which had considered the various aspects of the question, including the enforcement of a ceiling on urban lands. A summary of this Committee's recommendations was laid on the Table of the House by the Minister of Health in September, 1965. The implementation of these recommendations is the concern of the State Governments.

मेसर्स स्ट्रैंचलोन (प्राइवेट) लिमिटेड

679. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्ट्रैंचलोन (प्राइवेट) लिमिटेड ऐसी फर्म है, जिसका मेसर्स अमीचन्द प्यारेलाल सार्थ-समूह से कुछ सम्बन्ध है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 1966 के संतुलन पत्र के साथ लगे हुए टिप्पणों की ओर दिलाया गया है, जिसमें विभिन्न अनियमितताओं तथा विभिन्न कानूनों के उल्लंघन के अनेक मामलों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि ये टिप्पण अब दबा दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिसके मालिक मेसर्स अमीचन्द प्यारेलाल के सम्बन्धी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इन दो फर्मों के पारस्परिक सम्बन्ध की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) कम्पनियों के रजिस्ट्रार तथा आयकर विभाग द्वारा इस मामले में जांच-पड़ताल जारी है।

(घ) किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न जांच-पड़ताल के पूरी हो जाने के बाद ही पैदा होगा।

Reorganisation of L. I. C.

*680. **Dr. Surya Prakash Puri:** **Shri Ram Avtar Sharma:** **Shri Shiv Kumar Shastri:** **Shri Ram Gopal Shalwale:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the question of reorganisation of the Life Insurance Corporation ; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) (a) and (b) : The matter is under consideration.

विकासशील देशों से सहायता

*681. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नई दिल्ली में हाल ही में रुई तथा कपड़ा उद्योगों के पांचवें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह कहा था कि संयुक्त राज्य संघ की सिफारिश को पूरा करने

के लिये विकसित देश अपने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का एक प्रतिशत भाग विकासशील राष्ट्रों को सहायता के रूप में दें;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उस सम्मेलन के सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया रही; और

(ग) उस सम्मेलन में हुई चर्चा और किये गए निर्णयों के अनुसार हमारे देश में कपड़ा उद्योग विकास के लिये उन विकसित देशों से क्या रियायतें और सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उस अवसर पर मैंने यह कहा था कि विकसित देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ की इस सिफारिश को अमल में लाने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए कि वे अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 1 प्रतिशत भाग विकासशील राष्ट्रों को सहायता के रूप में दें।

(ख) सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों से ऐसी आशा नहीं की गयी थी कि वे इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया बतायें ।

(ग) यह बात, रुई और सम्बद्ध कपड़ा उद्योगों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ द्वारा विभिन्न देशों में विभिन्न सरकारी संगठनों को विकासशील देशों की आवश्यकताओं के प्रति रचनात्मक रवैया अपनाने के लिए प्रभावित करने के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों पर निर्भर होगी ।

सीमाशुल्क तथा उत्पादन-शुल्क के मामलों में कार्यकारी तथा न्यायिक कार्यों का पृथक्करण

*682. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क तथा उत्पादन-शुल्क के मामलों के बारे में कार्यकारी तथा अदालती (न्याय निर्णय) कार्य भिन्न-भिन्न अधिकारियों द्वारा अथवा एक ही अधिकारी द्वारा किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शक्तियों का पृथक्करण क्यों नहीं किया गया और एक न्यायाधिकरण को न्याय-निर्णय सम्बन्धी कार्य क्यों नहीं सौंपे गये; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभागों के कार्यकारी अधिकारी न्याय-निर्णय के न्यायिक-तुल्य कार्य भी करते हैं। किन्तु दोनों कार्यों को अलग-अलग रखा जाता है, क्योंकि जो अधिकारी किसी विशिष्ट मामले की जांच-पड़ताल करता है, वह उस मामले का न्याय-निर्णय नहीं करता । इस बात को ध्यान में रखते हुए न्याय-निर्णय के कार्य को न्यायाधिकरण को सौंपना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

कृष्णा-गोदावरी जल विवाद

*683. **श्री श्रीचंद गोयल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने कृष्णा-गोदावरी जल विवाद के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार को एक कानूनी नोटिस दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार ।

(ख) भारत सरकार चाहती है कि अन्तर्राज्यीय विवादों को आपसी बातचीत द्वारा निपटाने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

बैंक दर

*684. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बैंक दर 6 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने के परिणाम-स्वरूप वाणिज्यिक बैंक दर 7 प्रतिशत से बढ़कर $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा अधिक हो गई है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि बैंक दर में वृद्धि की जाने से खपत में कमी का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक केवल उत्पादन के लिये ऋण देते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या बैंक दर कम करने और बैंक दर के समान दर पर ऋण की दर का तथा जमा धनराशि की दरों का विनियमन करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह बात स्पष्ट नहीं है कि यह सवाल अब क्यों उठाया जा रहा है, जबकि बैंक-दर, दो वर्ष से अधिक पहले, अर्थात, फरवरी, 1965 में बढ़ायी गयी थी और तब से उसमें और वृद्धि नहीं की गयी है। बैंक-दर में वृद्धि हो जाने के बाद, वाणिज्यिक बैंकों की दरों में भी वृद्धि हुई ।

(ख) उस समय की स्थिति में, बैंक-दर में की गयी वृद्धि से, ऋणों पर पहले से अधिक अच्छा नियंत्रण रखने और उनके और अधिक उत्पादनशील कार्यों के लिए इस्तेमाल किये जाने में सहायता मिली ।

(ग) सरकार और रिजर्व बैंक दोनों, व्याजदर सम्बन्धी नीति पर नजर रखते हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में क्या नीतियां अपनायी जायेंगी, इसके बारे में कुछ बताना सम्भव नहीं है ।

ब्रिटेन द्वारा अवमूल्यन

*685. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन द्वारा पौण्ड के अवमूल्यन के फलस्वरूप स्टर्लिंग आस्तियों के मूल्य में होने वाली कमी का अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जैसा कि मैंने 20 नवम्बर, 1967 को सभा में अपने विवरण में कहा है, ब्रिटेन में अवमूल्यन होने के कारण 340 लाख पौंड के मूल्य की हमारी स्टर्लिंग निधि का मूल्य सोने या डालर के रूप में 14.3 प्रतिशत कम हो गया।

आवेजक पदार्थों (कैटेलिस्ट्स) का आयात

*686. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 16 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 116 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्धक के तेजाब, संशलिष्ट अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, वनस्पति घी, ऐथेलिन और अन्य रसायनिक उत्पादों के निर्माण के लिये अपेक्षित प्रत्येक आवेजक पदार्थ के आयात पर प्रति-वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है;

(ख) भारतीय उर्वरक निगम ने किन श्रेणियों के आवेजकों के लिये औद्योगिकीय विकास किया है;

(ग) भारत में इन आवेजकों के कब तक उत्पादन किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) आवेजकों के निर्माण किये जाने के लिये और क्या कार्यवाही की जा रही है और किस प्रकार के आवेजकों का निर्माण किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-** 2005/67]

Family Planning Programmes.

*687 **Shri Shashibhusan Bajpai :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the measures other than the present ones being adopted by Government in order to inculcate a feeling in the masses that Family Planning is most essential ; and

(b) whether Government have any proposal to give it a statutory form in the near future ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The present strategy of the Family Planning Programme cf creating social awareness and acceptance of the message of small family through the extension approach and use of all channels and media of communication which reach out to the people including those in the rural areas and also through various categories of workers/ social and voluntary organisations etc. is considered by the Government as comprehensive for bringing home to the people the essential need of family planning.

(b) Family Planning Programme depends upon voluntary acceptance by the people of the norm of a small family, for which necessary publicity and educational efforts are made and services and supplies provided by the Government. No proposal for making family planning as legally binding is under consideration. Government are, however, considering a proposal for amending the existing law with a view to raising the age of marriage for boys and girls.

घाटे की अर्थ-व्यवस्था

*688. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री और मैसूर के मुख्य मंत्री ने उत्पादक प्रयोजनों के लिये घाटे की अर्थ-व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निश्चयात्मक विचार व्यक्त किये हैं;

(ख) क्या उन विचारों पर ध्यान दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को पता है कि इस तरह के वक्तव्य दिये गये हैं ।

(ख) और (ग). घाटे की अर्थ व्यवस्था का होना या न होना परिस्थितियों पर निर्भर करेगा । अर्थ-व्यवस्था की हालत को ध्यान में रखते हुए इस मामले की निरन्तर रूप से समीक्षा की जाती है ।

बम्बई के निकट कोलाबा जिले में पकड़ा गया सोना

*690. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारियों ने 28 नवम्बर, 1967 को एक बहुत बड़ा छापा मार कर बम्बई से लगभग 70 मील दूर कोलाबा जिले में खोपाली के पास 83 लाख रुपये के मूल्य के सोने से बने बिस्कुट और गिन्नियां पकड़ी थीं;

(ख) क्या यह सच है कि उस सोने पर विदेशी चिह्न अंकित थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की विस्तृत जांच कराई है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बम्बई के अधिकारियों ने 28 नवम्बर, 1967 को कोलाबा जिले में पाली-खोपोली रोड पर, पाली गांव से लगभग आठ मील दूर स्थित एक स्थान पर सोने की छड़ें पकड़ीं, जिनका वजन 40,000 तोला था और अन्तर्राष्ट्रीय दर से मूल्य 39,37,600 रुपया होता है इसके साथ ही, सोने की 200 गिन्नियां भी पकड़ीं, जिनका मूल्य लगभग 1,20,500 रुपया होता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सीमाशुल्क अधिकारियों ने सीमाशुल्क कानून के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही करने के लिये इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है, और वे मामले में जांच-पड़ताल कर रहे हैं जो अभी भी चल रही है ।

गुजरात में अनुसूचित आदिम जातीय लोगों की शिक्षा के लिए धन का नियतन

4171. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की उच्च शिक्षा के लिये कितनी धन राशि नियत की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अभी तक नहीं बनी है ।

गुजरात में आदिम जातीय शिक्षा संस्थाओं को विशेष अनुदान

4172. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में आदिम जातीय शिक्षा संस्थाओं के विकास के लिये तथा आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितनी राशि का विशेष अनुदान देने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के वित्तीय परिमाण अभी निश्चित किए जाने हैं ।

महाराष्ट्र बिजली बोर्ड को वित्तीय हानि

4173. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उस हानि को रोकने के लिये सरकार ने किन उपायों का सुझाव दिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को 31 मार्च, 1967 को कुल 439.83 लाख रु० का घाटा था ।

(ख) और (ग). वेनकटरमन समिति की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य बिजली बोर्ड की प्रगति का पुनर्विलोकन करती है । महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड 1970-71 तक घाटे को, प्रशुल्क में वृद्धि करके तथा नये बिजली घरों का निर्माण करके समाप्त करना चाहता है ।

फ्रैंड्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायीज कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, नई दिल्ली

4174. **श्री प्र० के० देव :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को 'दी फ्रैंड्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लायीज कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी', बाबर लेन, नई दिल्ली-1, के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) वे शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) रजिस्ट्रार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) शिकायतें हैं:

(1) कि प्रबंध समिति सोसाइटी का धन उड़ा रही है।

(2) कि सोसाइटी के कुछ सदस्यों को गैर-कानूनी तौर से निकाल दिया गया है।

(3) कि सोसाइटी के उप-विधियों के उपबन्ध के विपरीत कुछ सदस्यों को शेयर मनी वापस कर दिया गया।

रजिस्ट्रार आफ कोआपरेटिव सोसाइटीज ने 7 सितम्बर, 1967 को बोम्बे कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 (जो कि दिल्ली में लागू है) की धारा 43 के अन्तर्गत कानूनी जांच का आदेश दे दिया है।

युनाइटिड प्राविंसिज कमर्शियल कारपोरेशन

4175. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युनाइटिड प्राविंसिज कमर्शियल कारपोरेशन के चेयरमैन द्वारा रोड रोलरों (सड़क कूटने के इंजनों) की सप्लाई के मामले में सरकार को 2,16,64,800 रुपये का धोखा दिये जाने के मामले में, उसको गिरफ्तार किया गया था और कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ने उसे जमानत पर छोड़ दिया था;

(ख) इस समय यह मामला किस स्थिति में है;

(ग) युनाइटिड प्राविंसिज कमर्शियल कारपोरेशन के अन्य निदेशकों तथा उस कारपोरेशन के चेयरमैन के अन्य भाइयों पर, जो उक्त धोखे की साजिश में भागीदार हैं, मुकदमा न चलाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उस चेयरमैन को अपनी आस्तियां स्विस बैंक में जहां उसकी पहले ही बहुत आस्तियां हैं, स्थानान्तरित कराने से रोकने के लिये सरकार ने सब संभव पूर्वोपाय किये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी, हां ।

ब्यास बांध परियोजना

4176. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यास परियोजना के दो एककों के लागत प्राक्कलनों में हाल में लगभग 80 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) व्यास परियोजना के यूनिट I और II के लागत प्राक्कलनों में वृद्धि हुई है और पुनरीक्षित आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) वृद्धि मुख्यतः अवमूल्यन, कीमतों में सामान्य वृद्धि और श्रम लागत में वृद्धि के कारण है ।

चेचक वैक्सीन

4177. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमाई हुई चेचक की वैक्सीन की भारत में कितनी आवश्यकता है;

(ख) भारत में इसका कितना उत्पादन होता है तथा इसका कितना आयात किया जाता है; और

(ग) इस वैक्सीन का आयात किन देशों से किया जाता है और उस पर कितना धन खर्च किया जाता है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति): (क) बीस करोड़ मात्राएँ प्रति वर्ष ।

(ख) अब जमाई हुई चेचक वैक्सीन की 36 लाख मात्राएँ प्रतिमास देश में ही तैयार की जा रही हैं और 1964 से अब तक वैक्सीन की 72 करोड़ 67 लाख 20 हजार मात्राएं आयात की जा चुकी हैं ।

देश में 1962 से इस वैक्सीन का उत्पादन होने लगा था और 1969 से इसके उत्पादन को प्रतिवर्ष 17 करोड़ 20 लाख मात्रा तक बढ़ाने की आशा है ।

(ग) यह वैक्सीन रूस सरकार से काफी मात्रा में उपहार के रूप में निःशुल्क प्राप्त की जा रही है और नीदरलैण्ड, स्विट्जरलैण्ड, ब्रिटेन, मैडागास्कर, जर्मन प्राटेस्टेण्ट आर्गनाइजेशन और अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से भी तदर्थ आधार पर थोड़ी बहुत मात्रा में यह वैक्सीन प्राप्त हुई है ।

लेखा-बाह्य धन का बम्बई में पकड़ा जाना

4179. **श्री न० कु० साल्वे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में बम्बई तथा अन्य स्थानों पर फिल्म अभिनेताओं तथा अन्य विभिन्न व्यक्तियों के पास से पकड़े गये अघोषित तथा काले धन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि उनके पास से काफी मूल्य की पकड़ी गई नकदी तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को स्वेच्छापूर्वक बताई गई माना जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों के प्रमुखों की परिषद्

4180. **श्री न० कु० साल्वे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों की एक परिषद् बनाई जाये जिसमें प्रशासनिक संचालन तथा व्यक्तिगत समस्याओं पर चर्चा हो तथा उपक्रमों के कार्यकलापों का समन्वय हो; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). ऐसी परिषद् बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, सामान्य हित के मामलों पर चर्चा करने के लिये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों की बैठकें हुई हैं।

पाइराइट्स एंड केमिकल्स डेवलेपमेंट कम्पनी, लिमिटेड

4181. **श्री न० कु० साल्वे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाइराइट्स एंड केमिकल्स डेवलेपमेंट कम्पनी लिमिटेड ने जिस की निर्माण की योजना सर्वप्रथम 1955 में बनाई गई थी और जिसका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 1960-61 में तैयार किया गया था और 1965 में सरकार ने इसको स्वीकार किया था अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना से सरकार को काफी विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां; परन्तु पाइराइट्स एण्ड केमिकल्स डेवलेपमेंट कम्पनी लि०, नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट कारपोरेशन के सहायक संस्था के रूप से 1960 में और एक स्वतंत्र कम्पनी के रूप से 1963 में स्थापित की गई। परियोजना रिपोर्ट का पुनरीक्षण और पुनः संशोधन करना पड़ा। परियोजना के 1968 के मध्य तक उत्पादन करने की आशा है ।

(ख) जी हां । कम्पनी की परियोजनाओं से विदेशी मुद्रा की उस हद तक बचत होगी जिस हद तक पाइराइट्स गंधक (जो इस समय आयात की जा रही है) के स्थान पर, सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के लिए इस्तेमाल होगा ।

(ग) मूल खनन मशीन के आयात के लिए अपेक्षित पर्याप्त विदेशी मुद्रा दे दी गई है और मशीन के आदेश दिये गये हैं । मशीन के कुछ अंश आ गये हैं । इसके अलावा खान के यन्त्रीकरण के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगभ से कुछ कोयला-टाइप उपकरण (coal type equipment) प्राप्त किये गये हैं । खनन कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए एक और एडिट्स (adits) को जोड़ा गया है ।

महाराष्ट्र में पम्पों को बिजली से चलाना

4182. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में कृषि प्रयोजनों के लिए पम्पों को बिजली से चलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को धनराशि का कोई विशेष नियतन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) . ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार को वर्ष 1967-68 के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में 413 लाख रु० की राशि देने के लिए नियत की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में ग्रामीण आवास योजना

4183. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार की आवास योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई आवास योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजनाएं कितने गांवों में क्रियान्वित की जायेंगी;

(ग) क्या खेतिहर मजदूरों के लिए कोई आवास योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा कितने गांवों में मकान बनाए गए हैं और कितने मकान बनाये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) जी हां, इस मंत्रालय की ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम महाराष्ट्र में चल रही है।

(ख) राज्य को नियत किये गये 470 ग्रामों में से, इस समय यह योजना राज्य सरकार के द्वारा 440 ग्रामों में क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ). ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अन्तर्गत खेतिहर मजदूर मकानों के निर्माण अथवा सुधार के लिए ऋण के पात्र हैं। योजना में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को मकान बनाने के लिए निःशुल्क स्थान देने की भी व्यवस्था है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्र, राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत अनुदान देता है, सितम्बर, 1967 के प्रगति विवरण के अनुसार राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है।

चोरी छिपे लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना

4184. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में विभिन्न छापों में चोरी छिपे लायी गई कुल कितनी और कितने मूल्य की घड़ियां पकड़ी गई थीं;

(ख) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में कितनी पकड़ी हुई घड़ियों की नीलामी की गई और इस नीलामी से कितना धन मिला;

(ग) इस समय कितनी और कितने मूल्य की ऐसी घड़ियां सरकार के पास हैं और उन्हें कब नीलाम करने का विचार है;

(घ) ये घड़ियां किन-किन देशों की बनी हुई हैं; और ये देश में किस प्रकार लाई गईं;

(ङ) क्या यह प्रयत्न किया गया है कि उन विदेशों में हमारे दूतावास घड़ी निर्माताओं से मिलकर मालूम करें कि वह घड़ियां उनसे किन व्यक्तियों ने खरीदी थीं और यदि हां, तो इन प्रयत्नों के क्या परिणाम निकले; और

(च) पिछले तीन वर्षों में पकड़े गये बीस सबसे बड़े तस्कर व्यापारियों के नाम क्या हैं और उनसे कितनी घड़ियां पकड़ी गई हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (च). इस बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

National Water Supply and Sanitation Scheme

4185 Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the extent and nature of assistance given by the Government to Madhya Pradesh during the Third Five Year Plan for the implementation of the National Water Supply and sanitation scheme in the rural and urban areas of the State ;

(b) the names of cities and the villages where this scheme has been implemented or will be implemented :

(c) the extent and nature of assistance given for Burhanpur and Khandwa cities under the National Water Supply Scheme ; and

(d) if no assistance has been given the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) In accordance with the procedure in vogue upto 1966-67, Central assistance to States for Centrally aided schemes was allocated/released in lump-sum for all **'Health'** Schemes including Rural Water Supply Schemes. It is, therefore, not possible to indicate the amount of Central assistance sanctioned to any State for any particular Centrally-aided **'Health'** Scheme. The following amounts were released to the Government of Madhya Pradesh during the Third Five Year Plan on account of all **'Health'** Schemes including Rural Water Supply :—

Year	**(Rs. in lakhs)**
1961—62	101.81
1962—63	148.28
1963—64	151.94
1964—65	136.06
1965—66	172.82

In so far as 'Urban Water Supply Schemes' are concerned, the Government of Madhya Pradesh was given Central assistance in the shape of loans during the Third Five Year Plan

period as detailed below:—

Year	(Rs. in lakhs)
1961—62	74.96
1962—63	70.00
1963—64	48.00
1964—65	69.50
1965—66	125.50

Under the National Water Supply and Sanitation Programme, Central assistance is being given in accordance with the following pattern:—

Urban Water Supply Scheme — 100% loan.

Rural Water Supply Scheme — 50% Grant-in-aid.

(b) to (d). Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

First Aid Posts in Madhya Pradesh

4186. Shri G. C. Dixit. Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount earmarked for the Madhya Pradesh Government for opening first-aid posts in Madhya Pradesh during 1966-67 ;

(b) the expenditure so far incurred in this connection ;

(c) the number of first-aid posts which have already been opened in Madhya Pradesh and the number of those which are proposed to be opened there ; and

(d) whether a proposal has been received to open one first-aid post in each of the Districts of Hoshangabad and East Nimar during 1967-68 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d). The requisite information is being collected from the State Government of Madhya Pradesh and will be placed on the Table of the House in due course.

गुजरात में अनुसूचित जातियां

4187. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य की 1961 की जनगणना के अनुसार वहां की अनुसूचित जातियों की अनुसूची में शामिल प्रत्येक जाति की जनसंख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या गुजरात राज्य में 1961 के बाद अनुसूचित जातियों के लोगों ने बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म अपना लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) यह सूचना "भारत की जनगणना, 1961-खण्ड 1-भारत भाग 5-ए (1) अनुसूचित जातियों के लिये विशेष तालिकाएं" में दी गई है, जो संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) और (ग). ऐसी सूचना सरकार द्वारा एकत्रित नहीं की जाती है।

गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आवास योजना

4188. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार की आवास योजना के अन्तर्गत गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कोई आवास योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजनाएँ कितने गांवों में क्रियान्वित की जायेंगी;

(ग) क्या सरकार केवल मकान बनाने के लिए ऋण देती है अथवा उसकी मुफ्त मकान देने की भी कोई योजना है; और

(घ) क्या खेतिहर मजदूरों के लिये कोई आवास योजना है और यदि हां, तो कितने मकान बनाये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां, इस मंत्रालय की ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम गुजरात में चल रही है।

(ख) राज्य को आवंटित किये गये 195 ग्रामों में से इस समय राज्य के द्वारा 31 ग्रामों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) सरकार मकानों के केवल निर्माण तथा सुधार के लिए ऋण देती है तथा निःशुल्क आवास की कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम में, मकानों के निर्माण अथवा सुधार के लिये ऋण देनें के अतिरिक्त, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को मकान बनाने के लिए निःशुल्क (अथवा नाममात्र के मूल्य पर) स्थान भी देने की व्यवस्था है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को 100 प्रतिशत अनुदान देती है। प्रगति विवरण के अनुसार 30 सितम्बर, 1967 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात सरकार ने 285 मकानों के लिए स्थान आवंटित किये हैं। जिन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को मकान के लिए स्थान आवंटित किये जायें, वे मकानों के निर्माण के लिये ऋण दिये जाने के भी पात्र हैं।

महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप अधिक समय तक कार्य करने के भत्ते में वृद्धि

4189. **श्री रमेश चन्द्र व्यास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में हाल ही में भूतलक्षी

प्रभाव से की गई वृद्धि से कई मामलों में 1 फरवरी, 1967 तथा 1 जुलाई, 1967 से अधिक समय तक काम करने का भत्ता लेने के प्रयोजन के लिये उपलब्धियों के वर्ग में परिवर्तन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिक समय तक काम करने के भत्ते में अन्तर के भुगतान के बारे में आदेश जारी कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). वर्तमान आदेशों के अनुसार, दफ्तरों में काम करने वाले तथा उनके समकक्ष कर्मचारियों को दिये जाने वाले अतिरिक्त-समय का सम्बन्ध उन कर्मचारियों की महंगाई भत्ता समेत उपलब्धियों से है। उपलब्धियों में वृद्धि के कारण पुनर्गणना उन मामलों में आवश्यक होगी जिनमें अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिए जाने से कर्मचारी अगले उच्चतर वेतन खण्ड में आ जाता है। ऐसे मामलों में उच्चतर दर से अतिरिक्त समय भत्ता देने के लिये किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है।

डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में सरकारी भूमि पर अलाटियों के अनधिकृत कब्जे को समाप्त करना

4190. **श्री रमेश चन्द्र व्यास** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० आई० जेड० क्षेत्र में सरकारी क्वार्टरों के अलाटियों से किये गये अनधिकृत कब्जे को खाली करने के लिये कहा गया था; जो कि उन्होंने अपने क्वार्टर के आगे बाजारी पथ पर कर रखा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ अलाटियों ने इस अनधिकृत कब्जे को खाली नहीं किया है अथवा फिर से अनधिकृत कब्जा कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार के नोटिस में पुनः अनधिकृत कब्जे का कोई मामला नहीं आया है किन्तु कुछ आवंटियों ने अभी तक अनधिकृत कब्जा नहीं हटाया है।

(ग) इन अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिए नियमों के अधीन आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।

डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा

4191. **श्री रमेश चन्द्र व्यास :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अनधिकृत लोगों ने डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली में 'सी' टाइप क्वार्टरों के ब्लाकों के बीच की सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिये कार्यवाही आरंभ कर दी गयी है।

मंत्रियों के निवास स्थानों की सजावट पर व्यय

4192. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रियों को उनके पद सम्भालते समय उनके निवास स्थानों को पुनः सजाने तथा आवश्यक साज-सज्जा की पुनः व्यवस्था करने के लिये, विभिन्न राशियों की स्वीकृत दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है और पिछले एक वर्ष में इस प्रयोजन के लिये विभिन्न मंत्रियों को कितनी राशि दी गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) मन्त्रियों के निवास स्थान की नियमावली 1962 के अन्तर्गत मन्त्रियों को उनके निवास स्थान में 38,500 रुपये के मूल्य का फर्नीचर तथा बिजली का सामान निःशुल्क दिया जाता है तथा उपमंत्रियों के सम्बन्ध में यह वित्तीय सीमा 22,500 रुपये है। इन सीमाओं की एवज में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उपलब्ध स्टाक में से फर्नीचर तथा बिजली का सामान मंत्रियों तथा उपमन्त्रियों के निवास स्थान को सप्लाई किया जाता है। फर्नीचर तथा बिजली के सामान की केवल ऐसी मदों के सम्बन्ध में जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्टाक में उपलब्ध नहीं होतीं, उपर्युक्त सीमा के अन्तर्गत उन मदों की खरीद के लिए राशि की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृत्रिम गुर्दा परीक्षण मशीन

4193. **श्री किरुतिनन :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के लिये एक कृत्रिम गुर्दा

परीक्षण मशीन का आयात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मशीन को बेकार रखा हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) . यहां पर तीन एकक हैं। एक एकक 1961 में 21,000 रुपये में खरीदा गया था। दूसरा एकक 1966 में 20,900 रुपये में खरीदा गया था और तीसरा इस अस्पताल को उपहार में मिला था।

(ग) ये सभी एकक काम कर रहे हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रोगनिदान मनोवैज्ञानिकों का प्रशिक्षण.

4194. **श्री शशि रंजन** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री 10 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8836 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पूछी गई सूचना एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2006/67]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इन्जीनियरों की भर्ती

4195. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार में केवल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसमें द्वितीय श्रेणी के इंजीनियरों की भर्ती इंजीनियरिंग सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा की जाती हैं तथा इसके साथ-साथ उस विभाग के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई तदर्थ भर्ती से भी इंजीनियर लिये जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार के अन्य विभाग इंजीनियरी सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से दो श्रेणियों अर्थात प्रथम श्रेणी (स्थाई) तथा द्वितीय श्रेणी (अस्थाई) इंजीनियरों की भर्ती करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। 1963 में संघ लोक सेवा आयोग (यू० पी० एस० सी०) के द्वारा विज्ञापन तथा साक्षात्कार की पद्धति से द्वितीय श्रेणी के इंजीनियरों की भर्ती की आवश्यकता पड़ी क्योंकि प्रतियोगितात्मक परीक्षा के द्वारा, जैसा कि भर्ती के नियमों के अनुसार आवश्यक है, द्वितीय श्रेणी के इंजीनियरों की नियमित भर्ती विभाग की आवश्यकता से बहुत कम पड़ी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) विभाग की निजी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न ग्रेडों में भर्ती की जाती है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वितीय श्रेणी के इन्जीनियरों की संस्था की मांगें

4196. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वितीय श्रेणी के इंजीनियरों की संस्था ने अधिकारियों से मांग की है कि इंजीनियरी सेवाएं परीक्षा में चुने गये उम्मीदवारों को स्थायी द्वितीय श्रेणी से बदल कर अस्थाई प्रथम श्रेणी में कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या उन्होंने पात्रता की अवधि को 5 वर्षों तक घटाने की भी माँग की है जैसा कि पहले कार्यकारी इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिये था ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं। तथापि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की एसोसियेशन ने इस प्रकार की मांग की थी ।

(ख) केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी की भर्ती केवल नियमों के ही अनुसार की जाती है । अतएव, द्वितीय श्रेणी में भर्ती किये हुए प्रथम श्रेणी के कनिष्ठ केडर (जूनियर केडर) में पदोन्नति का प्रश्न ही नहीं है ।

(ग) द्वितीय श्रेणी में सीधी भर्ती हुए की एसोसियेशन ने यह अनुरोध किया है कि असिस्टेंट इंजीनियरों (द्वितीय श्रेणी के अधिकारी) को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में पदोन्नति के लिए पात्रता की अवधि सीधे प्रथम श्रेणी में भर्ती हुए के सामान ही रख दी जाए, अर्थात् पांच वर्ष ।

(घ) असिस्टेन्ट इंजीनियरों को एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति होने के लिए पात्रता का माप आठ वर्ष है । इन्हें प्रथम श्रेणी के सीधे भर्ती होने वालों के समान नहीं रखा जा

सकता क्योंकि कनिष्ठ समय मान (जूनियर टाइम-स्केल) में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की अपेक्षा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को वरिष्ठ समय मान को प्राप्त करने के लिए अधिक सेवा होनी चाहिये ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी इन्जीनियरों को स्थायी बनाना

4197. **श्री गा० शं० मिश्र : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ऐसे कार्यकारी इंजीनियर भी हैं जो पिछले 12 वर्षों से स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं और उन्हें स्थायी नहीं बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें स्थाई बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पदोन्नत असिस्टेन्ट इंजीनियर्स श्रेणी I में से 2 तथा द्वितीय श्रेणी से पदोन्नत असिस्टेन्ट इंजीनियर्स में से 1 के अनुपात में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के ग्रेड में पुष्टि की जाती है। क्योंकि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के पद एक बहुत बड़ी संख्या में अस्थाई हैं अतएव इन पदों में से अधिकांश द्वितीय श्रेणी में से पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं। सीधे भर्ती हुए प्रथम श्रेणी के अधिकारी जो कि केवल स्थाई पदों के स्थान पर भर्ती किये जाते हैं सामान्यतः ऐसी पदोन्नतियों के लिए उपलब्ध नहीं होते । इसके अतिरिक्त, एक बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर विभाग के बाहर भेजना पड़ता है । इस सबके परिणामस्वरूप द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति उनके $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत कोटे से कहीं अधिक बढ़ गयी है । अतएव अनेक अधिकारी बगैर पुष्टि के काफी लम्बे अर्से से एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के ग्रेड में स्थानापन्न हैं ।

ऐसे अधिकारी कोटे के अनुसार केवल तभी पुष्ट हो सकते हैं जब कि स्थाई पद अधिक उपलब्ध हों । अस्थाई पदों का स्थाई पदों में परिवर्तन वार्षिक रूप से पुनरीक्षित किया जाता है ।

किराया न्यायाधिकरण, दिल्ली

4198. **श्री ईश्वर रेड्डी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958 के लागू होने के पश्चात किस अवधि में दिल्ली के किराया न्यायाधिकरणों ने काम नहीं किया ;

(ख) इस अवधि में कितनी अपीलें और आदेश-रोक याचिकायें विचाराधीन पड़ी थीं ;

(ग) किराया नियन्त्रक द्वारा कितने व्यक्तियों को बेदखल किया गया और न्यायाधिकरणों तथा दिल्ली के जिला न्यायाधीश द्वारा क्रमशः अपीलों, आदेश-रोक याचिकाओं तथा शिकायतों पर निर्णय किये जाने तक लघु वादों के न्यायालयों ने कितनी डिगरियां जारी कीं ; और

(घ) ऐसे मामले कितने हैं, जिनमें न्यायालयों के अधिकारियों के आदेश और स्पष्टीकरण जिला न्यायाधीश के कार्यालय से गायब हो गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर यथासमय रख दी जायगी ।

निजामाबाद जिला (आन्ध्र प्रदेश) में इकट्ठा किया गया राजस्व

4199. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में (1) आयकर ; (2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ; (3) धनकर ; (4) उपहार कर शीर्षकों के अन्तर्गत निजामाबाद जिले (आंध्र प्रदेश) में केन्द्रीय राजस्व की कितनी राशि इकट्ठी की गई ;

(ख) 1964 से 1967 तक की अवधि में निजाम शूगर फैक्टरी, बोधान, निजामाबाद जिला से प्रति वर्ष कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया ;

(ग) 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में निजामाबाद जिले में तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क से कुल कितनी राशि वसूल की गई ;

(घ) 1966-67 में निजामाबाद जिले में कुल कितने आयकर दाता थे ;

(ङ) निजामाबाद जिले में 1966-67 में ऐसे कुल कितने आयकर दाता थे, जिनकी ओर 3 वर्ष से भी अधिक समय से आयकर की राशि बकाया है; और

(च) 1965-66 में कुल कितने व्यक्तियों पर धनकर लगाया गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

Goods Being Smuggled into Pakistan

4200. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Jammu and Kashmir National Conference has said that the goods supplied by the Centre to Kashmir are smuggled into Pakistan ;

(b) if so, whether Government have looked into the matter ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). The Government are not aware of any such statement by the Jammu and Kashmir

National Conference. During the last session of the Jammu and Kashmir Legislative Assembly allegations were made by some National Conference members that foodgrains were being smuggled to Pakistan from Kashmir, but enquiries made in the matter did not substantiate the allegations.

(c) Does not arise.

भारत सहायता सार्थ-संघ

4201. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य राष्ट्रों द्वारा बराबर का अंशदान न दिये जाने की स्थिति में अमरीका ने भारत सहायता सार्थ-संघ को अपना अंशदान देने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत द्वारा प्रयास किये जाने के बावजूद भी अन्य देश बराबर का अंशदान करने के लिये तैयार नहीं हुए हैं ; और

(ग) अन्य देशों द्वारा अब तक वचन दिये गये अंशदान की तुलना में अमरीका द्वारा किया गया अंशदान कितना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) बराबर की सहायता का विचार केवल खाद्य सहायता के संदर्भ में प्रकट किया गया था और सिर्फ उसी मामले पर लागू था। बराबर के मुनासिब अंशदान की शर्त पर 30 लाख मेट्रिक टन अनाज की सहायता देने की अस्थायी पेशकश के आधार पर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी तक 25 लाख मेट्रिक टन अनाज दिया है। बराबर के अंशदान से सम्बन्धित 30 लाख मेट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले, हमें अभी तक, अनाज के रूप में कनाडा से 600,000 मेट्रिक टन अनाज और आस्ट्रेलिया से 150,000 मेट्रिक टन अनाज प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रिया आदि जैसे दूसरे देशों ने या तो ऋण शोधन में रियायत दी है या नकद सहायता दी है, जिससे कि अनाज की खरीद के लिए मुफ्त विदेशी मुद्रा खर्च के लिए मिल सके।

Concessions for Adivasis who Change their Religion

4202. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether an Adivasi, who embraces another religion, continues to be treated as a Adivasi and entitled to enjoy special concessions given by Government while these concessions are not extended to converts of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) and (b). In terms of the various Orders specifying Scheduled Castes, no person

who professes a religion different from the Hindu or the Sikh religion, shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste. There is no such restriction in the case of Scheduled Tribes.

विश्व बैंक के प्रेजीडेंट का भाषण

4203. **श्री इसहाक साम्भली :**
डा० रानेन सेन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक के प्रेजीडेंट श्री जार्ज वुड्स द्वारा अपने नवीनतम वार्षिक प्रतिवेदन में कही गई बातों की ओर दिलाया गया है कि इस बैंक को हस्तक्षेप करने वाले के रूप में नहीं अपितु सहयोग करने वाले के रूप में अपना योगदान देना चाहिए और बैंक तथा बैंक से सहायता मांगने वाले तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से ऋण लेने वाले सदस्य देशों के बीच विचार-विमर्श में दैनिक प्रशासन सम्बन्धी मूलभूत नीतियां शामिल होनी चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन में विश्व बैंक के प्रधान द्वारा कोलम्बिया विश्वविद्यालय में दिये गये भाषण के कुछ अंश हैं। उद्धरण की एक प्रति संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-2007/67]

(ख) उक्त वक्तव्य का सरकार उत्तर देना आवश्यक नहीं समझती।

पाकिस्तान को पानी की सप्लाई

4204. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री बसवंत :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने सिंधु जल सन्धि के अन्तर्गत भारत द्वारा उनका पर्याप्त पानी न देने का आरोप लगा कर क्या भारत से मुआवजे की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवार नियोजन के लिए अमरीकी सहायता

4205. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री सूपकार :
श्रीमती तारा सप्रे :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी एजेंसी ने भारत को इसके परिवार नियोजन कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भारी सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इनका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) . अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी एजेन्सी ने भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के लिए सहायता का प्रस्ताव रखा। विचार-विमर्श के बाद अब तक निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता के लिये समझौता हो चुका है :

(1) जनविद्या, प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, बम्बई
(उपकरण, परामर्श और सहयोग कार्यक्रम)

(2) खाने वाले गर्भरोधक प्रदर्शन मार्गदर्शन परियोजना कार्यक्रम
(खाने वाली गोलियों की सप्लाई)

(3) निरोध वितरण कार्यक्रम (निरोध की सप्लाई)

(4) परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्रों को सुदृढ़ करना
(परामर्श और उपकरण)

Ex-Chief Minister of Orissa

4206. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of firms owned by the family of the ex-Chief Minister of Orissa, Shri Biju Patnaik and details in respect of each of them ;

(b) whether it is a fact that huge amounts on account of Income-tax are due from these firms ; and

(c) the steps taken by Government to realise the Income-tax ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The family of Shri Biju Patnaik does not own any firm. Shri Patnaik and individual members of his family hold shares in the following companies :

1. M/s Kalinga Tubes Ltd.
2. M/s B. P. Mines Ltd.
3. M/s Kalinga Airlines Ltd.

4. M/s B. Patnaik and Co. Ltd.

5. M/s Kalinga Industries Ltd.

6. M/s Kalinga Construction Ltd.

7. M/s Orissa Textile Mills Ltd.

8. M/s Kalinga Otto (P) Ltd.

9. M/s Kocks Indian Ltd.

(b) It is a fact that large amounts on account of income-tax are due from some of the companies with which Shri Patnaik is connected.

(c) The collection of the major portion of the income-tax demand is stayed under orders of the Calcutta High Court. For the collection of the balance, the following steps have been taken:

(i) Certificates have been issued to the Tax Recovery Officer under section 222 of the Income-tax Act, 1961;

(ii) Attachment notices under section 226 (3) of the Income-tax Act, 1961 have been issued to important debtors.

(iii) Penalties under section 221 of Income-tax Act, 1961 have been levied.

Ex-Chief Minister of Orissa

4207. **Shri Y. S. Kushwah**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total movable and immovable property owned by Shri Biju Patnaik, ex-Chief Minister of Orissa in the beginning;

(b) the number of factories he owned before he became the Chief Minister and the names thereof;

(c) the amount invested in these concerns; and

(d) the amount of foreign exchange provided by Government to his firms during the last ten years?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) As on 31-3-1957, the value of movable and immovable properties disclosed by Shri Patnaik was Rs. 12·76 lakhs.

(b) He has not owned any factory either before or after he became a Chief Minister. He held shares in some companies.

(c) The amounts invested in shares of companies as on 31-3-1961 are given below:

M/s.	Rs.
1. Kalinga Tubes Ltd.	7,80,000
2. B. P. Mines Ltd.	2,000
3. B. Patnaik & Co. Ltd.	720
4. Kalinga Industries Ltd.	2,29,000
5. Orissa Textile Mills Ltd.	64,000
6. Kalinga Airlines Ltd.	2,500

7.	United India Periodicals Ltd.	10,000
8.	Kalinga Otto (P) Ltd.	12,500
9.	Alka Co-operative Sugar Industries Ltd.	12,540

(d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पूर्व योरूपीय देशों के साथ ऋण सम्बन्धी समझौते

4208. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व योरूपीय राज्यों के साथ किये गये ऋण सम्बन्धी समझौतों को वस्तुतः रुपये के रूप में अदायगी करने वाले समझौते कहना उचित होगा;

(ख) यदि हां, तो अवमूल्यन के पश्चात् उनमें संशोधन करने की क्या आवश्यकता थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि समझौतों की व्यवस्था के अनुसार रुपये में सोने की वर्तमान दर को भुगतान का आधार माना गया था और इस शर्त के कारण बकाया राशि का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा ; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या यह सच है कि समझौते का यह भाग कभी भी प्रकाशित नहीं किया गया था कम से कम पर्याप्त रूप से उसका प्रचार नहीं किया गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). पूर्वी यूरोप के देशों से किये गये आर्थिक सहयोग ऋण करारों की सामान्य प्रणाली के अनुसार ऋण की रकम, या तो भारतीय रुपये में या ऋण देने वाले देश की मुद्रा में दिखाई जाती है । मूलधन की वापिसी और ब्याज की अदायगी भारतीय रुपयों में की जाती है और उन्हें एक विशेष खाते में जमा कर दिया जाता है । करारों में यह व्यवस्था भी की जाती है कि करारों में उल्लिखित सोने के रुपया सममूल्य में परिवर्तन होने पर, ऋण सम्बन्धी देनदारियों का, रुपयों के रूप में फिर से मूल्यांकन किया जायगा । इस शर्त के कारण विशेष खाते में जमा रकम का जून, 1966 में फिर से मूल्यांकन किया गया था ।

(घ) ऋण करारों की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं । इसके अलावा, इन ऋण करारों के अन्तर्गत संभरण के जिन ठेकों की वित्त व्यवस्था की जाती है उनमें सोने के रूप में भारतीय रुपये के सममूल्य के बारे में व्यवस्था होती है और भारतीय आयातकों को सामान्यतः इस व्यवस्था की जानकारी होती है ।

पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ ऋण सम्बन्धी करार

4209. **मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ जो ऋण सम्बन्धी करार किये गये हैं, उनमें बकाया राशि का परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में विशेष रूप से कोई व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वास्तव में सरकार ने वर्ष 1960 से लेकर इन बकाया राशियों का परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है और उनका भुगतान किन-किन मुद्राओं में किया गया था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पूर्वी यूरोप के देशों की सरकारों द्वारा दिये गये आर्थिक-सहयोग ऋणों के मूलधन की वापसी और व्याज की अदायगी भारतीय रुपयों में की जाती है जो भारतीय माल खरीदने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं। फिर भी, कुछ करारों में इस बात की अतिरिक्त व्यवस्था है कि इन रकमों को पौंड स्टर्लिंग में बदला जा सकता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में आदिम जातीय खण्ड

4210. **श्री सूपकार** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में आदिम विकास जातीय खण्डों की संख्या की तुलना में उड़ीसा में आदिम जातीय विकास खण्ड बहुत कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). स्थिति इस प्रकार है :

राज्य	**आदिम जातीय विकास खण्डों की संख्या**
उड़ीसा	75
गुजरात	55
महाराष्ट्र	48
मध्य प्रदेश	127

आदिम जातीय जनसंख्या की सघनता के अनुसार खण्डों के नियतन का निर्णय किया जाता है।

अट्टापदी विकास योजना

4211. **श्री नायनार : क्या समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पालघाट जिले की अट्टापदी घाटी के आदिम जाति लोगों के कल्याण

के हेतु योजना बनाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या सर्वेक्षण पर होने वाला व्यय अट्टापदी घाटी विकास निधि में से किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि लक्कदीव और अन्दमान के ऐसे ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास का व्यय सरकार ने किया था; और

(घ) यदि हां, तो अट्टापदी क्षेत्र के विकास के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कृषि विकास निधि

4212. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष दिसम्बर में कृषि विकास के लिए टोकियो में हुए 9 राष्ट्रों के सम्मेलन में दक्षिण पूर्वी एशिया में कृषि विकास के हेतु कृषि विकास निधि एकत्र करने के निर्णय के अनुसार उस निधि में भारत सरकार का कितना अंशदान करने का विचार है ।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : दक्षिण-पूर्वी एशिया में कृषि विकास से सम्बन्धित जो मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, दिसम्बर, 1966 में टोकियो में हुआ था, उसमें यह फैसला किया गया था, कि एशियाई विकास बैंक से, खेती के विकास के लिए एक ऐसी विशेष निधि स्थापित करने के लिए कहा जाय जो दक्षिण-पूर्वी एशियाई क्षेत्र के विकास के लिए इस्तेमाल की जा सके । भारत ने उस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था । इसके बाद, एशियाई विकास बैंक के निदेशकों के बोर्ड ने, बैंक के सभी विकासशील सदस्य-देशों के कृषि-विकास के लिए, बैंक के तत्वावधान में एक ऐसी निधि बनाने की बात, सिद्धान्त रूप में, स्वीकार कर ली । लेकिन निधि में रखी जाने वाली रकम, विभिन्न देशों द्वारा किये जाने वाले अंशदानों की रकमों आदि जैसी विस्तृत बातें अभी तय नहीं की गयी हैं । निधि में भारत द्वारा किये जाने वाले अंशदान के बारे में भी अभी फैसला नहीं किया गया है ।

लेखन-सामग्री संबंधी कार्यालय में वरिष्ठता सूची

4213. **श्री विश्वनाथ मेनन** :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री उमानाथ :
श्री नायनार :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहायक नियंत्रक, प्रादेशिक लेखक सामग्री विभाग, नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई पृथक वरिष्ठता/वर्गीकरण की सूची के बारे में अखिल भारतीय लेखन-सामग्री कर्मचारी संघ द्वारा पास किये गये संकल्प का पता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का विकास

4214. **श्री हरदयाल देवगुण : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का और विकास करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यवसाय में लगे हुए लोगों को क्या रियायतें और सुविधाएं देने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति का विकास निरन्तर चलते रहने वाला काम है और वह पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार हो रहा है।

(ख) इस व्यवसाय के लोगों को कोई विशेष रियायत या सुविधा देने का विचार नहीं है।

विलिंगडन तथा इर्विन अस्पतालों के कर्मचारियों का रोगियों के साथ व्यवहार

4215. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विलिंगडन और इर्विन अस्पतालों के कर्मचारी रोगियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस स्टाफ के विरुद्ध समय-समय पर यत्र-तत्र शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) ऐसी शिकायतों की छानबीन की जाती है तथा उचित कार्यवाही की जाती है।

अट्टापदी घाटी विकास निधियां

4216. **श्री नायनार : क्या समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962 से वर्ष 1967 तक प्रति वर्ष अट्टापदी घाटी विकास निधियों के लिये

कितनी राशि दी गई है और यह धनराशि किन-किन योजनाओं के लिये नियत की गई है; और

(ख) जब कि धनराशि की और मांग की जा रही है तो इसको कम करने के क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध व्यवस्था में से अट्टापदी घाटी विकास निधियों के लिये विशिष्ट रूप से कोई अनुदान नहीं दिए गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सुयोग्य कर्मचारियों द्वारा सरकारी उपक्रमों से बाहर चला जाना

4217. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अगस्त, 1967 के "स्टेट्समैन" समाचार-पत्र में "पब्लिक सेक्टर थ्रैटन्ड विद ब्रेन ड्रेन" (सुयोग्य कर्मचारियों का सरकारी उपक्रमों से चले जाने का खतरा) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अनेक इंजीनियर तथा अन्य कर्मचारी उपयुक्त काम न दिये जाने तथा उनके साथ उचित व्यवहार न किये जाने के कारण सरकारी उपक्रमों को छोड़कर जा रहे हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). 1965 में सरकारी उपक्रमों में त्याग-पत्र देने वाले सभी श्रेणियों के लोगों की कुल संख्या 3069 थी। यह त्याग-पत्र सेवा के भविष्य को अच्छा करने, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने, घरेलू परिस्थितियों आदि के लिये दिये गये थे। सरकारी उपक्रमों से कर्मचारियों के जाने को कम से कम करने के लिये सरकार उनके वेतन, भत्ते, आवास सुविधाओं, प्रोत्साहन आदि की ओर निरन्तर रूप से ध्यान दे रही है।

कर अपवंचन करने वालों की सम्पत्ति का जब्त किया जाना

4218. **श्री मधु लिमये** :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले सत्र में बजट पर चर्चा के समय कर अपवंचन करने वाले लोगों की सम्पत्ति जब्त करने सम्बन्धी जिस विधान को तैयार करने का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया था क्या उसे इस बीच तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे संसद में कब लाया जायगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). मामले की जांच उसमें अन्तर्ग्रस्त कानूनी मुद्दों के प्रकाश में की जा रही है ।

अट्टापदी आदिम जाति खण्ड

4219. **श्री नायनार : क्या समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अट्टापदी आदिम जाति खण्ड के लिये 10 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अतिरिक्त अनुदान की राशि अब तक न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) आदिम जाति लोगों के कल्याण हेतु इस राशि का उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और इसका उपयोग किन-किन योजनाओं के लिये किया जा रहा है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) सामुदायिक विकास बजट से प्रत्येक आदिम जातीय विकास खण्ड को मिलने वाली अनुदान के अतिरिक्त उसे स्तर-1 पर 5 वर्ष की 10.00 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुदान दी जाती है । अट्टापदी खण्ड वर्ष 1962-63 में शुरू किया गया था और 2.00 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से उसे वर्ष 1962-63 से 1966-67 तक 10.00 लाख रुपए नियत किए गए थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एक आदिम जातीय विकास खण्ड में कल्याण योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं तथा आदिम जातीय विकास खण्ड के और सामुदायिक विकास खण्ड के बजटों से उपलब्ध निधियों को एकत्रित करके खर्च का आयोजन किया जाता है । कोई दृढ़ योजनात्मक बजट विहित नहीं किया गया है, परन्तु खर्च निम्नलिखित मुख्य वर्ग शीर्षों के अधीन दर्ज किया जाता है :

आर्थिक विकास	4.80	लाख	रुपए
संचार	2.00	,,	,,
सामाजिक सेवाएं	1.20	,,	,,
गाड़ियां	0.50	,,	,,
प्रायोजना कार्यालय के कर्मचारी	1.50	,,	,,
जोड़	10.00	लाख	रुपये

नेफ्था-आधारित कारखानों में उर्वरकों का उत्पादन

4220. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेफ्था पर आधारित हमारे कारखानों से उर्वरकों का वार्षिक उत्पादन कितना है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया) : उन परियोजनाओं की जो नेफ्था का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करती हैं, 1966-67 की क्षमता और उत्पादन निम्न प्रकार है :

	कारखाने का नाम	'एन' के रूप में वार्षिक क्षमता	1966-67 में 'एन' के रूप में उत्पादन (मीटरी टन)
(क)	**सरकारी क्षेत्र**		
*	ट्राम्बे	90,000	35,763
*	फैक्ट (अलवाय)	70,000	24,477
(ख)	**गैर-सरकारी क्षेत्र**		
*	एन्नौर	8,000	4,484
*	गुजरात	96,000	उत्पादन जून, 1967 से शुरू हुआ

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था

4221. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में सुरक्षा प्रयोजन हेतु कितने अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं;

(ख) क्या इन प्रबन्धों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो सुरक्षा प्रबन्धों में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग). वर्तमान सुरक्षा प्रबन्धों से पता चलता है कि सरकारी उपक्रमों में सुरक्षा प्रबन्धों के कुछ दिशाओं में और दृढ़ करने की गुंजाइश है। एक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

* नेफ्था अन्य कच्चे माल के साथ इस्तेमाल किया जाता है।

उड़ीसा के लिए आयकर आयुक्त

4222. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के करदाताओं ने उड़ीसा के लिये पृथक आयकर आयुक्त की मांग की है;

(ख) क्या उड़ीसा में आयकर विभाग के कर्मचारियों ने भी इसी प्रकार की मांग की है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की स्वतंत्र रूप से कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). सभी सम्बद्ध बातों का ध्यान रखते हुए, यह मामला सरकार के समीक्षाधीन रह रहा है ।

मंत्रियों तथा विधायकों के विदेशों के दौरों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

4223. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965-66 और 1966-67 में हमारे देश द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा में से कितनी विदेशी मुद्रा मंत्रियों तथा विधायकों के दौरों पर व्यय हुई थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अपेक्षित जानकारी प्राप्त करके सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Death of Late J. B. Singh, M. P.

4224. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Jai Bahadur Singh, M. P. had been suffering from heart disease in Allahabad about two months before his demise ;

(b) whether he was admitted to the Willingdon Hospital, New Delhi where his treatment continued for 15 days, after he had undergone treatment in an Allahabad Hospital ;

(c) whether the Cardiologist, Willingdon Hospital had stated that he was not suffering from heart disease ; and

(d) if so, the causes of his sudden death and whether Government propose to enquire into the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) The late Shri Jai Bahadur Singh, M. P., was admitted to the S. R. N. Hospital attached to the Motilal Nehru Medical College, Allahabad on 5th June, 1967, in a semi-conscious state with a history of severe pain in the chest, associated

with marked sweating. After necessary treatment he was discharged from that hospital on 9th July, 1967 with advice that he should observe restrictions in his diet and activities.

(b) On 17th July, 1967 Shri Jai Bahadur Singh was admitted to the Willingdon Hospital for cough with pain in the chest and heaviness in breathing.

A number of electro-cardiograms was taken and the patient was given treatment. He was discharged on 24th July, with the advice that he should avoid alchohol and nicotine and to get himself checked periodically.

(c) The Cardiologist found that the patient had a few localized crepitations on the left mid zone and there was a slight tendency for high blood pressure. Four serial electro-cardiograms were done and found to be completely normal.

(d) The cause of death could not be established in the absence of a post-mortem. Government do not propose to hold an enquiry into the matter.

मंत्रालयों में अनुवाद-कर्मचारियों के वेतन-क्रम

4225. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सचिवालयों/विभागों ने अपने अनुवाद-कर्मचारियों के वेतन-क्रमों की कुछ असमानताओं को दूर करने के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ग) क्या इन कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे कार्य भार को ध्यान में रखते हुए उन्हें अग्रिम वार्षिक वेतन-वृद्धि देने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

पीने के पानी की कमी

4226. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ऐसे बहुत बड़े क्षेत्र हैं, जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है;

(ख) क्या हाल ही में पुनर्गठित हुए योजना आयोग ने इस समस्या की गम्भीरता के बारे में कोई अनुमान लगाया है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये कितनी निधि नियत की गई है और चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न राज्यों में कितना-कितना खर्च किया जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) अभी नगर जनसंख्या के लगभग 40 प्रतिशत भाग के लिए नलों द्वारा पानी देने की योजनाओं की व्यवस्था की जानी है और अनुमान है कि ग्रामीण जन-संख्या का एक-तिहाई भाग अभी जल की कठिनाई तथा जलाभाव वाले क्षेत्रों में रह रहा है।

(ख) हाल ही में पुनर्गठित योजना आयोग ने इस संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया है। भारत सरकार जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देती है।

(ग) चौथी योजना में जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के लिए अस्थायी रूप से 350 करोड़ रुपये रखे गये हैं। राज्य सरकारों को शहरी योजनाओं के लिए ऋण देने के लिए चालू वर्ष में 1,800 लाख रुपये की तथा देहाती योजनाओं के लिए राज्यों को अनुदान देने के निमित्त 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता नगर योजनाओं के मामले में सौ प्रतिशत तक ऋण और ग्रामीण योजनाओं के मामले में पचास प्रतिशत तक अनुदान के रूप में दी जाती है।

चूंकि जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम एक केन्द्र सहाय्यित योजना है इसलिए सारी व्यवस्था राज्य योजनाओं में करनी पड़ती हैं। किन्तु अक्सर राज्य सरकारें इस योजना के लिए अपनी वार्षिक योजनाओं में पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर रही हैं।

Aid from Abroad

4227. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the extent of financial, military, cultural and other assistance given to India by Canada, U. S. S. R., U. S. A., U. K. and France since 1950 to date and the nature of assistance given ;

(b) the amount of foreign exchange which Government have expended ; and

(c) the quantum of assistance asked for by India frcm the above countries upto the end of 1967-68 and the form in which it would be paid ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b). Two statements are laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT—2008/67].**

(c) Canada, U.S.A., U. K. and France are members of the Aid India Consortium. Their pledges of aid are made in terms of decisions reached in the Consortium and there is no separate request for a quantum of assistance. For the year 1967-68, the non-project aid is given as below :

Canada	$ 50.41 million
U. K.	$ 84.40 million
France	$ 15.00 million
U. S. A.	$ 70.00 million (as an initial assistance pending Congressional approval for their aid budget.)

Regarding project aid, U. S. A. has given $ 12 million and Canada C $ 28.50 million.

Besides the above, U. S. A. and Canada have given 2.5 million tonnes and 600,000 tons respectively of food assistance for 1967-68.

As regards U. S. S. R., no new assistance has been negotiated, so far, during the current year.

गोल मार्केट (नई दिल्ली) में दुकानें

4228. **श्री राम स्वरूप** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोल मार्केट (नई दिल्ली) में लगभग 30 वर्ष पूर्व पुरानी म्यूनिसिपल दुकानों (संख्या 162) के डिजाइन विशिष्ठ व्यवसायों के लिये विशेष रूप से तैयार करके उनका निर्माण किया गया था; और नई दिल्ली नगरपालिका ने केवल उन व्यवसायों को ही चलाने के लिए वे दुकानें अलाट की थीं; और

(ख) क्या उन दुकानों की आयु समाप्त हो चुकी है और उन्हें वृहत् योजना के अन्तर्गत गिराया जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) गोल मार्केट, नई दिल्ली, में म्यूनिसिपल दुकानें सार्वजनिक नीलामी द्वारा विशेष व्यवसायों के लिये 30 साल पहले अलाट की गई थीं।

(ख) नीचे की तथा पहली मंजिल की दुकानें पूर्णतः सुरक्षित हैं। आवश्यकता होने पर नई दिल्ली नगरपालिका इनमें मरम्मत करवा देती है। डी० आई० जेड० क्षेत्र की विकास योजना के अनुसार ये दुकानें गिराई जानी हैं क्योंकि वे इस क्षेत्र की पुनर्संरेखन योजना में आती हैं।

गोल मार्केट नई दिल्ली में दुकानें

4229. **श्री राम स्वरूप** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्केट, नई दिल्ली में जिन व्यक्तियों को नगरपालिका की पुरानी दूकानें संख्या 1 से 62 दी गयी हैं उन्हें किरायेदारों के रूप में सामान्यतया दी गई हैं अथवा लायसेंस-धारियों के रूप में;

(ख) क्या उनके साथ इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है और यदि हां, तो उसकी क्या शर्तें हैं और क्या उसके पश्चात् समझौते का नवीकरण किया गया है या नये किराये की दरें आमंत्रित की गयी हैं;

(ग) कालावधि की समाप्ति अथवा समझौते की किसी शर्त का उल्लंघन करने के पश्चात् इन लोगों का कानूनी तौर पर उन दूकानों पर क्या दावा रहता है;

(घ) क्या नई दिल्ली नगरपालिका को खाली दूकानों के लिये नये-नये किराये मांगने पर अधिक ऊंचे दरों की पेशकश हुई है; और

(ङ) क्या नई दिल्ली नगरपालिका, लोदी रोड मेन मार्केट की तुलना में वर्तमान दूकानदारों से मामूली मासिक किराया/लाइसेंस शुल्क ले रही है और यदि हां, तो इस हानि को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जिन्हें दुकानें दी गई हैं उन्हें लायसेंसधारी ही माना जाता है।

(ख) समझौता किया गया था परन्तु अब उसकी अवधि समाप्त हो गई है। तथापि जब तक इन शर्तों का कोई उल्लंघन ध्यान में न आये तब तक दुकान वालों को उन्हीं शर्तों पर दूकानें रखने की इजाजत दे दी जाती है।

(ग) किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिये अलाटमेन्ट रद्द कर दी जाती है तथा सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत कब्जा बेदखली) अधिनियम, 1958 के अधीन कार्यवाही की जाती है। अलाटमेन्ट रद्द होने के पश्चात् अनधिकृत कब्जा करने वालों का कोई वैधानिक अधिकार नहीं रह जाता।

(घ) जब कभी कोई दूकान खाली होती है तो टेण्डर मंगवाये जाते हैं। यह सही है कि जब कभी किसी दुकान के लिये टेण्डर मंगवाये जाते हैं तो उनमें प्रस्ताव मूल लाइसेंस शुल्क से बहुत ऊंचे होते हैं।

(ङ) लोदी रोड की दुकानों का क्षेत्रफल गोल मार्केट की दुकानों से काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त लोदी रोड की सेन्ट्रल मार्केट की दुकानों के ऊपर रहने के लिये फ्लैट भी हैं। इसलिये इन दोनों मार्केटों की दूकानों से लिये जाने वाले लाइसेंस शुल्क में कोई समानता नहीं हो सकती। गोल मार्केट की दूकानों से लिये जाने वाले लाइसेंस शुल्क की राशि 14 रुपये से 355 रुपये तक तथा लोदी रोड मार्केट में 150 रुपये से 520 रुपये प्रतिमास है।

मेसर्स श्रीराम बेयरिंग लिमिटेड को ऋण

4230. **श्री प्र० कु० घोष** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने विभिन्न एजेन्सियों के जरिये जैसे औद्योगिक वित्त निगम और स्टेट बैंक आफ इंडिया के द्वारा मैसर्स भारत बाल बेयरिंग लिमिटेड को (जिसका नाम अब श्रीराम बेयरिंग लिमिटेड रख दिया गया है) ऋण के रूप में कितनी राशि दी है और उसकी शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या उक्त फर्म ऋण की शर्तों के अनुसार व्याज सहित मूल ऋण की अदायगी कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऋण तथा ब्याज को वसूल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार द्वारा श्रीराम बेयरिंग लिमिटेड को कोई ऋण नहीं दिया गया है। लेकिन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, जो एक स्वायत्त सांविधिक निगम है, अपनी सामान्य शर्तों पर 66 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया है।

भारतीय राज्य बैंक द्वारा दिये गये किसी ऋण का, यदि कोई है तो, सरकार को पता नहीं है, क्योंकि बैंक को अपनी संविधि द्वारा अपने असामियों के बारे में सूचना देने की मनाही है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में पूसा रोड तथा अन्य क्षेत्रों में बसे हुए विस्थापित व्यक्तियों को हटाया जाना

4231. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को जिन्होंने दिल्ली और नई दिल्ली के क्षेत्रों में मेन फैज रोड, सुभाष नगर, पूसा रोड और रिज रोड आदि पर 15 अगस्त, 1950 से पहले सरकारी भूमि पर मकान बना लिये थे और इस बीच वे वहां पर बस गये थे, अब वहां से हटाया जा रहा है तथा उनके मकानों को गिराया जा रहा है, हालांकि श्री गाडगिल ने 29 सितम्बर, 1951 को सभा में आश्वासन दिया था कि उनके पक्के मकानों को नियमित करार दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें उन स्थानों से हटाने तथा वहां पर उनके द्वारा बनाये गये पक्के मकानों आदि को गिराने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार इन क्षेत्रों में अनधिकृत इमारतों के अन्तर्गत भूमि को सड़कें चौड़ी करने/स्कूलों/मनोरंजनात्मक 'ग्रीन' आदि के लिए निर्धारित किया गया है। अतएव, इन इमारतों को बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन निधि के माध्यम से अमरीका से प्राप्त 'वीविल' कीड़ा लगे हुए सोयाबीन के खाद्य पदार्थ

4232. **श्री क० प्र० सिंह देव** :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि के माध्यम

से अमरीकी सरकार से प्राप्त सोयाबीन के खाद्य पदार्थों के लगभग 70 बोरों में वीविल कीड़ा लगा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). अमरीकी सरकार से प्राप्त उपहारों में से यूनिसेफ ने हाल ही में दिल्ली नगर निगम को 32 टन (1,400 बोरी) कार्न सोयामिल्क दिया था। इनमें से 295 बोरियां क्षतिग्रस्त हालत में थीं तथा अधिकांश में घुन लगा हुआ था। बाद में कुछ दूसरी बोरियों में भी घुन लगा हुआ पाया गया। यूनिसेफ अधिकारियों से विचार-विमर्श के पश्चात् दिल्ली नगर निगम ने यह निश्चय किया है कि खराब माल को अलग करके केवल ऐसा माल ही काम में लाया जाए जो प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद मानव उपभोग के योग्य पाया जाये।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा खर्च की गई विदेशी मुद्रा

4233. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में सभी योजनावधियों में क्षेत्रवार विनियोजन के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा इनके द्वारा खर्च की गई थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : आयात के जिंसवार आंकड़े वाणिज्यिक सूचना और अंक संकलन के महानिदेशक द्वारा रखे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शोधन सन्तुलन के आंकड़ों का विश्लेषण भी केवल जिंसों के रूप में किया जाता है। ये आंकड़े जिंस के अन्तिम प्रयोग के आधार पर—जैसे कि कृषि, उद्योग, खनन, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार-नियोजन आदि के आधार पर—नहीं रखे जाते। निर्धारण और लाइसेंस सम्बन्धी विदेशी मुद्रा के आंकड़े भी उपभोग से भिन्न पूंजी निवेश को दिखाने की दृष्टि से संकलित नहीं किये जाते। एक और बात यह है कि पूंजी निवेश का सामान हमेशा सारा का सारा आयात नहीं किया जाता, बल्कि देश में भी बनाया जाता है और निर्माण में बाहर से मंगाये मशीनी हिस्सों और कच्चे माल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। माल का आयात करने वाले अभिकरण के लिए (सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में) यह जरूरी नहीं कि वह उसका प्रयोग भी करता हो। इन सभी कारणों से प्रश्न में जिस विश्लेषण की अपेक्षा की गयी है वह उपलब्ध नहीं है।

कोलार की स्वर्ण खानें

4234. **श्री कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कोलार सोना खानों में तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था नहीं है और इस कारण उत्पादन बहुत कम है; और

(ख) क्या प्रबन्ध निदेशक की सहायता के लिये एक तकनीकी जनरल मैनेजर की नियुक्ति करने का और बहुत से अकुशल छोटे अधीकरण कर्मचारियों की संख्या कम करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। कोलार सोना खान प्रतिष्ठानों के अनुभवी तकनीकी अधिकारी आवश्यक तकनीकी पर्यवेक्षण करते हैं। फिर भी, कई प्राकृतिक संकटों के कारण खानों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) जी, नहीं।

कोलार स्वर्ण खान

4235. **श्री कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर खान (बंगरुगुंटा) की उत्तरी परियोजना कब आरम्भ की गई थी और इसका उत्पादन कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि यह नन्दी दुर्ग खानों के बहुत निकट है; और

(ग) यदि हां, तो इससे मैसूर की खानों से सम्बद्ध न करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बंगरूगुंटा प्रायोजना 1963 में प्रारम्भ की गई थी और इससे अभी तक 33,374 ग्राम सोने का उत्पादन हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) यह प्रायोजना, मैसूर खान में काम कम हो जाने और वहां मजदूरों और माल की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक सुविधा के कारण, मैसूर खान से सम्बद्ध है।

कोलार स्वर्ण खानें

4236. **श्री कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खानों के संचालन के सम्बन्ध में कोलार स्वर्ण खानों के मुख्य अधिकारी सहित अन्य अनेक अधिकारियों ने गैर-क़ानूनी सौदों के द्वारा बहुत धन जमा कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार की नजर में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

Smuggling Between India and Pakistan

4237. **Shri O. P. Tyagi.** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large quantities of rice is being smuggled into Pakistan from Kashmir and rock salt is being brought from there in exchange ; and

(b) if so, the steps taken by Government to stop it ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) and (b). As far as the Government are aware there is no large scale smuggling of rice to Pakistan from Kashmir in exchange for rock salt. The Customs officers on the border have been alerted.

कोलार स्वर्ण खानें

4238. **श्रीकृष्णन : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) येरागोंडा खानों में कितना धन लगा हुआ है और उसमें कितना उत्पादन होता है ;

(ख) क्या यह सच है कि उसमें बड़ी धनराशि लगाने के पश्चात अब उसे हाल ही में बन्द कर दिया गया है ;

(ग) क्या उस खान में धन लनाने से पूर्व कोई समुचित सर्वेक्षण किया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). कोलार स्वर्ण खान प्रतिष्ठान के अन्वेषण विभाग ने येरागोंडा खान को 1963 में, धातु-शोधन के पुराने मूल्यों और सतह की खुदाई के परिणामों के आधार पर, जिनसे स्वर्ण निक्षेप रेखाओं की शृंखलाओं का पता चला था, अपने हाथ में लिया था। इस प्रायोजना पर लगभग 3 लाख रुपया खर्च हुआ और इससे अनुमानतः 8,400 ग्राम सोने का उप्पादन हुआ। (इस खान के लिए दिया गया कुछ सामान वापस मिल सकेगा)।

फिर भी, इस खान से जितना सोना प्राप्त हुआ उसका मूल्य उत्साहवर्धक नहीं था और इस पर किये गये खर्च के मुकाबले आमदनी कम हुई, इसलिए खानों के अधीक्षक की सिफारिशों और परामर्श दाता इंजीनियरों की सलाह पर सितम्बर, 1967 में इस खान का काम बन्द कर दिया गया।

Poppy Cultivation

4240. **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the names of countries to which Indian opium is exported and the quantity of opium exported to each country annually ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : The names of countries to which Indian opium was exported during 1964, 1965 and 1966 and from January to November, 1967 (excluding countries to which the quantity exported was less than

½ tonne) and the quantities exported are indicated below :—

S. No.	Country	Quantity of opium exported at 90° consistence. (metric tonne)			
		1964	1965	1966	1967 (upto November)
1.	U. K.	165	181	243	157
2.	U. S. S. R.	116	120	138	60
3.	France	76	30	50	30
4.	Japan	41	30	30	29
5.	U. S. A.	44	51	68	56
6.	Italy	31	13	22	22
7.	West Germany	—	—	—	12
8.	Spain	—	—	—	12
9.	Belgium	—	—	4	—
10.	Argentina	—	2	—	2
11.	Republic of China (Taiwan)	—	—	—	1

शान्ति वन में बाग

4243. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शान्तिवन में एक जापानी ढंग का बाग लगाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो जापानी ढंग का बाग लगाने पर कितना व्यय होता है और देशी ढंग के बाग पर कितना व्यय होता है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). शांतिवन के विस्तृत विकास का प्लान अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ है। समाधि क्षेत्र में जापानी ढंग का बाग लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय ढंग का बाग लगाने की लागत का अनुमान अन्तिम रूप से प्लान तैयार हो जाने से पूर्व नहीं लगाया जा सकता।

चिकित्सा कालेजों में दाखिला

4245. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न चिकित्सा कालेजों और छात्रों के दाखिले के मामले में अनेक प्रकार का भेदभाव किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य सरकारें प्रादेशिक आधार पर स्वयं यह भेदभाव करती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (**श्री ब० सू० मूर्ति**): (क) और (ख). भारत में मेडिकल कालेजों में प्रवेश संबन्धित मेडिकल कालेजों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा इस विषय पर बनाए गये नियमों तथा विनियमों के अनुसार दिया जाता है। इन नियमों तथा विनियमों में प्रार्थियों द्वारा अर्जित अंकों के न्यूनतम प्रतिशत, दाखिले के लिए पूर्व-परीक्षा के परिणाम तथा यदि कोई हो तो, वासस्थान सम्बन्धी बातों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) मेडिकल कालेजों में दाखिलों का विनियमन संबंधित राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र में आता है इसलिये केन्द्र सरकार का इस विषय में कोई कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों के लिए अर्जित भूमि

4246. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 के बाद देश भर में स्थापित किये गये विभिन्न सरकारी उपक्रम किन स्थानों पर स्थापित किये गये ;

(ख) प्रत्येक उपक्रम के लिए कितनी-कितनी भूमि अर्जित की गई और पहले उस भूमि को किस प्रयोग में लाया जाता था ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति विस्थापित हुए और प्रत्येक उपक्रम के लिए कितना-कितना मुआवजा दिया गया ;

(घ) उनमें से कितने प्रतिशत विस्थापित व्यक्तियों को प्रत्येक उपक्रम में प्रशिक्षण इत्यादि के पश्चात मजदूर और कुशल तकनीशन के रूप में रोजगार दिया गया ; और

(ङ) उन व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी है, जिन्हें मकानों और कृषि कार्यों के लिये वैकल्पिक भूमि दी गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (**श्री मोरारजी देसाई**) : (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण

4247. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1964 से किए गए वेतनों की वृद्धि अभी तक

मनीपुर के सरकारी कर्मचारियों के कुछ वर्गों पर, जिनमें लोक निर्माण विभाग, मनीपुर के कार्य-भारित कर्मचारी भी शामिल हैं, लागू नहीं होती है ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसको लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान असम में इसी के समान पदों के लिए लिये जाने वाले वेतनमानों पर आधारित हैं। असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमान 1 अप्रैल, 1964 से परिशोधित कर दिये हैं। अतएव भारत सरकार ने भी 1 अप्रैल, 1964 से अपने अधिकांश कर्मचारियों के वेतनमान परिशोधित कर दिये हैं जिसमें नियमित स्थापना के मनीपुर लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारी शामिल हैं। तथापि वायरलेस विभाग में कुछ पद हैं जिनके वेतनमान केन्द्रीय हैं तथा उनके वेतनमान अभी तक परिशोधित नहीं हुए हैं। उनके वेतनमानों को असम के ढंग पर लाने का प्रश्न विचाराधीन है।

Text Books For Flood-Affected Areas,

4248. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Eastern Districts of Uttar Pradesh particularly Ballia, Gazipur, Devaria and Basti, etc., are facing acute crisis because of drought and floods; and

(b) if so, whether the facilities of full fee concession and free books to poor students provided by the Central Government in the famine-affected areas of Bihar would be extended to the affected persons of this region?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a): Reports regarding the occurrence of drought last year and floods this year in the Eastern districts of Uttar Pradesh were received from the Government of Uttar Pradesh.

(b). It is for the State Government to consider whether any facilities of fee concessions and free books should be provided to students in the affected areas.

विदेशी सहायता के लिए किये गये करारों/संविदाओं पर वचनबद्ध सम्बन्धी शुक्ल/कमीशन/सेवा शुल्क

4249. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में विदेशी सहायता के लिये किये गये किसी करार अथवा संविदा के लिये वचनबद्ध सम्बन्धी शुल्क/कमीशन/सेवा शुल्क दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विभिन्न देशों को दिये गये वचनबद्ध सम्बन्धी शुल्क/कमीशन/सेवा शुल्कों के ब्योरे का विवरण सभा-पटल पर रखने का है ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिक देशों ने वचनबद्ध सम्बन्धी शुल्क लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी, हां। भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों/विदेशी अभिकरणों को ऋण निर्धारण/सेवा प्रभार के सम्बन्ध में की गयी अदायगियों का ब्योरा सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2009/67] भारत सरकार को ऋण देने वाले अभिकरणों को उनके द्वारा दिये गये ऋणों पर कोई कमीशन नहीं देना पड़ता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बालकों की शिक्षा

4250. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बालकों को मुफ्त शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद उनका एक बड़ा प्रतिशत ऐसा है जिन्हें स्कूलों में नहीं भेजा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके पिछड़ेपन को दूर करने हेतु समाज के इन गरीब वर्गों के बच्चों के अधिकतम प्रतिशत को स्कूलों में भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) और (ख). स्कूल जाने वाले आयु-वर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की आबादी के 50 प्रतिशत से भी अधिक को अब प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। अधिकतर राज्यों में अब मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ कपड़े, दोपहर का खाना तथा पाठ्य पुस्तकें भी दी जाती हैं। ऊंची कक्षाओं में होस्टल की सुविधाओं के अतिरिक्त छात्रवृत्तियां तथा वजीफे भी दिए जाते हैं। ऐसे प्रोत्साहनों के अच्छे परिणाम निकले हैं। अधिकतर राज्यों में प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा जारी कर दी गई है तथा इस बारे में राज्य के कानूनों की अनिवार्यता अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों पर भी उसी प्रकार लागू की जाती है, जिस प्रकार वह अन्य वर्गों के लोगों पर लागू की जाती है। पर, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन की गति स्पष्टतया धीमी है और एक सीमा से अधिक उसे बढ़ाया नहीं जा सकता।

हरिजनों के लिए कुंए

4251. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के कुछ भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग कुएं हैं और वे उन वर्गों को अपने कुओं से पानी नहीं लेने देते हैं जो जनता के गैर-हरिजनों को अस्पृश्यता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ; और

(ख) इस कदाचार को समाप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है।

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) सरकार को किसी विशिष्ट मामले की सूचना नहीं मिली है ; ऐसी स्थितियां सामान्यतया नहीं होती हैं, पर इक्के दुक्के मामले हो सकते हैं।

(ख) सार्वजनिक कुंओं के सम्बन्ध में इस प्रकार की स्थितियां अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 की धारा 4 के अधीन एक प्रज्ञेय अपराध के रूप में समझी जाती हैं।

कैंसर इस्टीट्यूट, कलकत्ता

4252. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'कालांतर' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कलकत्ता के कैंसर इंस्टीट्यूट पर कदाचार तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) चितरन्जन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र के विरुद्ध समय-समय पर प्राप्त दुराचार के आरोपों की जांच की गई है तथा उन्हें असत्य पाया गया है।

पेट्रोल का मूल्य

4253. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल के मूल्य कम करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी तेल कम्पनियों ने पेट्रोल का मूल्य कम करने के सम्बन्ध में सरकार की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) तेल कम्पनियों के संग्रह केन्द्रों पर पेट्रोल और दूसरे प्रचुर शोधित पेट्रोल पदार्थों के मूल अधिकतम विक्रय मूल्यों का भारत सरकार के संकल्प संख्या 10 (26) 165 पी० पी० डी० दिनांक 1-2-1966 में बताये गये सिद्धान्त के आयात साम्य के आधार पर निर्णय किया जाता है। यह

संकल्प 31-12-1967 तक लागू रहेगा और ऐसी आगामी अवधि या अवधियों की बाबत सरकार फैसला करेगी। इस मूल्य सिद्धान्त की अवधि के दौरान में तेल कम्पनियों द्वारा पेट्रोल के मूल्य को कम करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ; क्योंकि तेल कम्पनियों को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पालम हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापारियों का गिरफ्तार किया जाना

4254. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1967 में पालम हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क विभाग ने कुछ अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापारियों को गिरफ्तार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध मुकदमे चलाये गए हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जार्डन के एक राष्ट्रिक को, जिस पर मई 1960 में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये सोने के मामले में ग्रस्त होने का सन्देह है, 25 अक्तूबर 1967 को विदेश से पालम हवाई अड्डे पर पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया।

(ख) गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त हो जाने पर मुकदमा चलाने की कार्यवाही के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

National Water Supply Scheme

4255. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government under their national programme to make drinking water available in all the rural areas ; and

(b) when this target will be achieved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Under the National Water Supply and Sanitation Programme, Central assistance is given to States for Rural piped Water Supply Schemes by way of grant to the extent of 50%. Since the inception of the Programme in 1954, 2327 schemes estimated to cost about Rs.58.00 crores have been approved for execution in the various States. During the first three Plan periods this programme has been implemented in about 17,000 villages covering roughly 12 million population. This programme is being continued during the Fourth Plan also.

(b) It is estimated that a total amount of Rs. 762.00 crores will be required to provide minimum safe water supply in all the rural areas in the country. Against this, the tentative

provision for this programme during the fourth plan is only Rs.125 crores. The achievement of the target in the subsequent plan periods will depend upon the availability of resources.

बी० ओ० ए० सी० के विमान से पकड़ा गया सोना

4256. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ सप्ताह पूर्व ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन के विमान से सीमाशुल्क विभाग द्वारा पकड़े गये सोने के सम्बन्ध में जांच इस बीच में पूरी कर ली गई है ;

(ख) क्या यह सोना तस्कर व्यापार की दृष्टि से लाया गया था ;

(ग) ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन ने किन विधियों (सीमाशुल्क स्वर्ण नियंत्रण आदि) का उल्लंघन किया था ; और

(घ) क्या न्याय-निर्णय की कार्यवाही शुरू हो चुकी है अथवा क्या सोना जब्त कर लिया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । 15 सितम्बर 1967 को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर बी० ओ० ए० सी० के एक जहाज से सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जो सोना पकड़ा गया था उस मामले में जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है ।

(ख) यह सोना तस्कर व्यापार करने के इरादे से भारत लाया गया प्रतीत नहीं होता ।

(ग) सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के साथ पठित विदेशी-मुद्रा विनिमय विनियम अधिनियम 1947 ।

(घ) इस मामले में सम्बन्धित पार्टियों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी करने के बाद न्याय-निर्णय की कार्यवाही आरम्भ की गयी है । इन नोटिसों के उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद इस मामले का न्याय-निर्णय केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्ता, दिल्ली, द्वारा किया जायगा ।

जीवन बीमा निगम द्वारा बिड़ला उद्योग समूह को ऋण

4257. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले लगभग छ: महीनों की अवधि में भारत के जीवन बीमा निगम ने बिड़ला उद्योग समूह को 50 लाख रुपए का ऋण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस उद्देश्य के लिये और किन शर्तों पर यह ऋण मंजूर किया गया था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । भारत के जीवन बीमा निगम ने मई 1967 में हिन्दुस्तान टाइम्स लिमिटेड को, जो एकाधिकार जांच आयोग

की रिपोर्ट के अनुसार बिड़ला ग्रुप में आता है, 50 लाख रुपए का बन्धक पर ऋण मंजूर किया था।

(ख) यह ऋण नई दिल्ली में एक 17 मंजिली इमारत के निर्माण के लिए मंजूर किया गया था। अचल सम्पत्ति की गिरवी पर ऋण मंजूर करने की निगम की योजना की सामान्य शर्तों और नियमों के अतिरिक्त कई अन्य विशेष शर्तें भी रखी गयी हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, इन विशेष शर्तों में निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं :

(i) ऋण 4 किश्तों में दिया जायगा—पहली किस्त 20 लाख रुपये की अथवा सम्पत्तियों के जीवन बीमा निगम के मूल्यांकक द्वारा आंके गए तत्कालीन मूल्य के 50 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो वह रकम होगी, तथा यह रकम बन्धक नामे का निष्पादन हो जाने पर दी जायगी, जिसमें यह भी शर्त है कि प्रार्थी कम्पनी आरम्भ में निर्माण-कार्य पर अपने निजी साधनों में से 25 लाख रुपए की रकम खर्च करेगी ; 15 लाख रुपए की दूसरी किस्त तब दी जायगी जब जीवन बीमा निगम का मूल्यांकक यह प्रमाणित कर देगा कि प्रार्थी कम्पनी ने पहली किस्त के 20 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की अतिरिक्त रकम अपने साधनों से निर्माण-कार्य पर खर्च कर दी है ; 10 लाख रुपए की तीसरी किस्त तब दी जायगी जब जीवन बीमा निगम का मूल्यांकक यह प्रमाणित कर देगा कि प्रार्थी-कम्पनी ने दूसरी किस्त के 15 लाख रुपए तथा 20 लाख रुपए की अतिरिक्त रकम अपने साधनों से निर्माण कार्य पर खर्च कर दी है ; तथा ऋण की बाकी बची अन्तिम किस्त इमारत के सब प्रकार से बनकर पूरी हो जाने पर दी जायगी, बशर्ते कि (जमीन के मूल्य को छोड़कर) कर्जन रोड पर बनने वाली इस इमारत का मूल्य 137.50 लाख रुपए हो ;

(ii) ऋण 12 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसमें ऋण चुकाने के लिये बढ़ी हुई तीन साल की अवधि भी शामिल है जो केवल मूलधन की वापस अदायगी की किस्तों के लिए ही है। ब्याज की दर 9 प्रतिशत होगी तथा ठीक सयय पर अदायगी के लिए एक प्रतिशत की छूट दी जायगी ;

(iii) जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण की किसी भी किस्त के दिए जाने से पहले, प्रार्थी-कम्पनी मेसर्स बिड़ला ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड से 24 लाख रुपए का अप्रतिभूत ऋण लेगी। जब तक जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋण का कोई भी अंश बकाया रहेगा तब तक प्रार्थी-कम्पनी मेसर्स बिड़ला ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता, से लिये गये उक्त ऋण की पूरी अथवा आंशिक अदायगी नहीं करेगी ;

(iv) जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋण की पूर्ण अदायगी न होने पर, प्रार्थी-कम्पनी, 100-100 रुपये के पूरी तरह चुकता किये गये, छुड़ाये जा सकने वाले पांच हजार तरजीही शेयरों को नहीं छुड़ायेगी ; तथा

(v) 18/20, कर्जन रोड, नई दिल्ली में प्रस्तावित बहु-मंजिली इमारत के बनते ही जिसके बन्धक प्रतिभूति के रूप में निगम को सौंपे जाने की पेशकश है—प्रार्थी कम्पनी को 38,000

वर्गफुट क्षेत्रफल की वह सारी जगह निगम को दे देनी होगी जो उसने इस समय निगम की कनाट प्लेस, नई दिल्ली स्थित बम्बई लाइफ बिल्डिंग में घेर रखी है।

दिल्ली के फल व्यापारियों द्वारा करापवंचन

4258. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब्जी मंडी, दिल्ली के उन फल व्यापारियों के नाम क्या हैं जिनकी पिछले पांच वर्षों में 50,000 रुपए से अधिक आय थी ; और

(ख) इन व्यापारियों से आयकर वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना अनुबन्ध में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2010/67]**

(ख) कर की वसूली के लिए कानून में दिये अनुसार उपयुक्त कार्यवाही, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और पात्रता के आधार पर की जाती है।

फिल्मी कलाकारों द्वारा आयकर का अपवंचन

4259. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66 और 1966-67 के दौरान आयकर विभाग ने जिन फिल्मी कलाकारों के विरुद्ध कर अपवंचन के मामले दायर करने की अनुमति दी थी, उनकी संख्या तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उन मामलों में आयकर की कितनी बकाया रकम अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी थी जिनमें (एक) दण्ड दिया गया, (दो) समझौता किया गया तथा (तीन) बिना दण्ड के रद्द कर दिया गया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क)	1962-63 से 1965-66	कोई नहीं।
	1966-67	एक (मद्रास के श्री टी० एस० बालिया)

(ख) श्री टी० एस० बालिया के मामले में ग्रस्त आयकर की बकाया रकम 1,15,165 रुपये है।

(ग) केवल उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अभियोजन का मामला ही निर्णयाधीन है।

Government Quarters in Delhi

4260. **Dr. Surya Prakash Puri:** **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri Ram Avtar Sharma: **Shri Ram Gopal Shalwale:**

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) the number of Government quarters in the D.I.Z. area of Gole Market, New Delhi;

(b) the number of quarters, out of them, and the time since when they are lying vacant; and

(c) the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Multi-Storeyed Quarters in Gole Market Area

4261. **Dr. Surya Prakash Puri:**
Shri Ram Gopal Shalwale:

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the scheme for the construction of multi-storeyed quarters at the sites of existing quarters of Government employees in D.I.Z. area of Gole Market has now been abandoned and the land in this area is proposed to be allotted for the construction of private schools; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) and (b). The approved Zonal plan of the D.I.Z. area provides sites for construction of residences, schools, shopping centres, community centres etc. Multi-storeyed houses for Government employees will be constructed on sites earmarked for residential use. Other sites will be allotted for purposes specified in the Zonal Plan.

Discovery on Treatment of Heart and Lung Diseases

4262. **Dr. Surya Prakash Puri:**
Shri Ram Avtar Sharma:
Shri Prakash Vir Shastri:

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Director of Vallabhbhai Patel Chest Institute has discovered a method by which the treatment of heart and lung diseases has become possible;

(b) whether it is also a fact that the said Director had discovered the treatment of Asthma about 12 years back;

(c) whether it is also a fact that an experiment to this invention was first made in U.S.S.R. and U.K.; and

(d) if so, whether Government has tested the efficacy with a view to utilise them in medical use?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). The present Director of the Vallabhbhai Patel Chest Institute discovered 12 years ago the deflation receptors in the lungs and provided strong evidence that these receptors are probably responsible for the sensation of dyspnoea in certain diseases of the heart and lungs in which they are likely to be stimulated. These receptors are connected to sensory nerve fibres which run in the vagus to the brain. The next logical step was, therefore, to cut the vagus in patients suffering from severe breathlessness arising out of certain specific diseases of the heart and lungs.

(c) This section of the vagus or vagal block by anaesthetics has been carried out by Dr. Guz and his colleagues in the U.K. on a few patients with dramatic success in some of them.

(d) No, but an expert who has been carrying out vagal blocks in patients in the U.K. is expected to come and work at the Vallabhbhai Patel Chest Institute with the present Director on certain basic research projects. It is proposed to utilise his presence for teaching this technique to certain Indian Medical experts.

आदिम जातियों का कल्याण

4263. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितनी-कितनी आदिम जातियां हैं; और

(ख) 15 अगस्त, 1947 से अब तक इनके कल्याण पर राज्यवार कितना-कितना धन खर्च किया गया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) यह सूचना भारत की जनगणना संकलन , 1961 में शामिल है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-2011/67]

Freezing of Prices

4264. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the caption 'Little possibility of success in freezing prices' appearing in Nav Bharat Times of the 23rd August, 1967; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shrl Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) Government has noted the contents of this write up.

ब्रिटेन द्वारा ऋण

4265. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन ने 1967-68 के लिये हाल ही में 320 लाख पौंड का ऋण देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो पेशकश की मुख्य शर्तें क्या हैं और जिस ऋण की पेशकश की गई है उसमें से कितना गैर-परियोजना ऋण है ; और

(ग) इस ऋण से किन योजनाओं को कार्यान्वित किया जायेगा और इसके अन्तर्गत कौन सी वस्तुओं का आयात किया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). 1967-68 के लिये भारत को ब्रिटेन की सहायता सन्बन्धी £ 190 लाख के ऋण करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं जोकि इस प्रकार है :

1. निम्न उद्योगों के लिये ब्रिटेन से वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करने के लिये 19.7.67 को £ 70 लाख के ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये :

(एक) ब्रिटिश आमुख उद्योग;

(दो) भोपाल हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इन्डिया) लिमिटेड;

(तीन) ब्रिटिश सहयोग से भारत में ब्वायलरों के लिये निर्माण किये जाने वाले पुर्जे; और

(चार) अन्य कोई मद जिस पर सहमति प्रकट की जाये।

2. एक ऋण पुनर्वित्त (£ 116 लाख) एवं सामान्य प्रयोजन (£ .1 लाख) ऋण के लिये 21.7.67 को £ 120 लाख के करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। उक्त ऋण 25 वर्ष में चुकाये जायेंगे और इन पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

3. उपरान्त ऋणों के अतिरिक्त ब्रिटेन ने हाल ही में बताया है कि 1967-68 के लिये (£ 130 लाख और उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिये एक ऋण सम्बन्धी करार पर ब्रिटेन से बातचीत चल रही है।

मिदनापुर जिले (पश्चिम बंगाल) में बाढ़

4266. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने के लिये श्री मानसिंह की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ख) क्या कुछ सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2012/67]**

गगरेट (हिमाचल प्रदेश) में गैस का कुंआ

4267. **श्री हेम राज :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में गगरेट के निकट एक नलकूप में गैस के निकलने का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस कुएं में तथा उसके आस-पास गैस की खोज के लिए कोई जांच की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के एक अधिकारी ने उस जगह का दौरा किया है। निकट भविष्य में विस्तृत जांच की जायेगी।

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली स्थित पार्क को सुन्दर बनाना

4268. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री, लालबहादुर शास्त्री ने चाणक्यपुरी में 65 एकड़ भूमि में स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बनाये जाने वाले राष्ट्रीय पार्क सम्बन्धी परियोजना का उद्‌घाटन किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन सभी वर्षों में पार्क बनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई ; और

(ग) यदि हां, तो इस देर के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) नेहरू पार्क बनने वाले स्थान पर फरवरी 1965 में हुए एक आयोजन में स्वर्गीय प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री ने नेहरू पार्क का शिलान्यास किया था।

(ख) नेहरू पार्क का नक्शा बनाने तथा नगरपालिका से उसकी स्वीकृति का काम जनवरी 1967 में पूरा हुआ। इस कार्य के पहले चरण का ठेका जिसमें इस स्थान का विकास निहित है, खुले टेण्डर आमंत्रित करके नवम्बर 1967 के दूसरे सप्ताह में दिया गया।

(ग) कार्यान्विति के मामले में इस परियोजना को नई दिल्ली नगरपालिका ने निम्न प्राथमिकता दी क्योंकि यह राजस्व कमाने वाली परियोजना नहीं है। किन्तु जब केन्द्रीय गृह-मंत्री

श्री यशवन्तराव चह्वाण नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा चलायी जाने वाली बहूद्देशीय परियोजनाओं के नमूनों की एक प्रदर्शनी देखने गये तो उन्होंने चाणक्यपुरी में इस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता को देखते हुए 'नेहरू पार्क' को भी उच्च प्राथमिकता दिये जाने की इच्छा प्रकट की। इसके फलस्वरूप नगरपालिका ने टेण्डर मांगने के लिए तुरन्त कार्यवाही की और गत महीने निर्माण-कार्य शुरू कर दिया।

आदिम जातियों के कल्याण के लिए नियत राशि में कटौती

4269. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष नियत राशि की तुलना में केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वर्ष के लिये आदिम जातियों के कल्याण हेतु नियत की गई राशि 60 प्रतिशत कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका कल्याण योजनाओं पर किस सीमा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) चालू वर्ष के लिए बजट में जिस रकम की व्यवस्था की गई है, वह पिछले वर्ष के लिए तदनुरूप रकम से लगभग 31.6% कम है।

(ख) देश के वित्तीय साधनों पर भार।

(ग) चालू वर्ष में नए आदिम जातीय विकास खण्ड न खोलने का निर्णय किया गया है।

अट्टापदी (केरल) के विकास के लिए बृहत् योजना

4270. **श्री नायनार** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल राज्य के पालघाट जिले में अट्टापदी के विकास के लिए एक बृहत् योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो इसको क्रियान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ;

(घ) क्या दामोदर घाटी योजना की तरह एक स्वायत्तशासी अट्टापदी घाटी विकास बोर्ड बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो अट्टापदी क्षेत्र की विकास सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) अट्टापदी क्षेत्र के विकास के लिये वहां 1962-63 से एक आदिम जातीय विकास खण्ड खोला हुआ है ।

दिल्ली में पैंट्रोल पम्प

4271. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **पैंट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार ने भारतीय तेल निगम को दिल्ली में किन-किन स्थानों पर पैंट्रोल पम्प बनाने का सुझाव दिया है ;

(ख) कितने स्थानों का आवंटन किया जा चुका है तथा उसका आधार क्या है ;

(ग) प्लाटों के मालिकों के नाम क्या हैं तथा उनसे किस प्रकार प्लाट लिये गये हैं ;

(घ) निगम के अध्यक्ष को पैंट्रोल पम्पों तथा/अथवा स्थानों के आवंटन के लिए कितने आवेदन-पत्र अथवा पत्र सीधे प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) इन आवेदन-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैंट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). पिछले तीन सालों में दिल्ली विकास प्राधिकार ने भारतीय तेल निगम को दिल्ली क्षेत्र में 57 स्थानों पर पम्प लगाने का सुझाव दिया था किन्तु अब तक केवल 26 स्थानों का कब्जा मिला है । दिल्ली में मुख्य आयुक्त के आदेशों के अन्तर्गत, दिल्ली विकास प्राधिकार ने सारे सम्बन्धित विभागों की सलाह से, पैंट्रोल पम्प के स्थानों के लिए एक बृहत् योजना बनाई हैं और इस योजना के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाता है ।

(ग) अब तक प्राप्त हुए 26 स्थानों में से 17 प्राइवेट जमीनों पर और 9 सरकारी जमीन पर हैं । जहां तक प्राइवेट जमीन का सम्बन्ध है भारतीय तेल निगम ने उनके मालिकों से सीधे रूप में बातचीत की है । सरकारी भूमि पर स्थानों के लिए, भारतीय तेल निगम को सम्बन्धित विभागों से उनके द्वारा निश्चित किये गए किराये की अदायगी पर भूमि को प्राप्त करने के लिए बातचीत करनी है ।

(घ) और (ङ). पार्टियों ने भारतीय तेल निगम के प्रधान को कुछ प्रार्थना-पत्र भेजे हैं ; जिन्होंने उन प्रार्थना-पत्रों को निगम के मार्किटिंग प्रभाग को फुटकर पम्पों के व्यापार के लिए दूसरे प्रार्थना-पत्रों के साथ विचार करने के लिए भेजा है । ऐसे प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्रों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Sterilization Cases in U. P. and Madhya Pradesh

4272. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of persons operated upon under the Family Planning Programme in Madhya Pradesh and U. P. since January, 1967 and the number of men and women out of them, Districtwise ;

(b) the amount spent by Government during the above period;

(c) the amount awarded to doctors and such patients; and

(d) the nature and quantum of assistance provided by Government to the said State Government?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar): (a) to (d). The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as available.

Gold Seized at Nizammudin Railway Station

4273. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6912 on the 27th July, 1967 and state:

(a) the progress since made in the investigations in regard to the gold seized at Nizammudin Railway Station, New Delhi; and

(b) if not, the further time likely to be taken in the latter?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). Investigations in this case have been completed. The case is under departmental adjudication.

Income-Tax Due From States

4274. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance**, be pleased to state:

(a) the amount of Income-tax due from various States;

(b) the action taken by Government in regard to recovery thereof; and

(c) the extent of loss being suffered by Government every year as a result of non-recovery of Income-tax?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The required information is available according to Commissioners, charges and not according to States. The same is given in the Annexure enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-2013/67].**

(b) Some of the important steps recently taken to realise the arrears are as under:—

(i) Gradual taking over of recovery work from the State Governments. Recovery work has been taken over fully in the Commissioners' charges of Delhi, Andhra Pradesh, Gujarat and Rajasthan and partly in the Commissioners' charges of West Bengal, Madras and Mysore.

(ii) A scheme of functional distribution of work has been introduced in 67 ranges of Inspecting Assistant Commissioners under which the work of collection of tax dues is entrusted to Income-tax officers exclusively engaged on this work.

(iii) Responsibility for appropriate action in cases where arrears are outstanding has been fixed on particular officers as under:—

Income-tax officers — Cases of arrears below Rs. 1 lakh.

Inspecting Assistant Commissioners.	—	Cases of arrears of over Rs. 1 lakh and below Rs. 5 lakhs.
Commissioners of Income-tax	—	Cases of arrears of over Rs. 5 lakhs.

(iv) Rate of interest in case of delayed payments has been raised from 6% to 9% with effect from 1st October, 1967.

(v) Creation of Special Recovery Units in the Commissioners' charges to look after the expeditious recovery of outstanding demand.

(vi) Maintenance of arrear sheets of all company cases and non-company cases if the assessed income is above Rs. 20,000.

(c) There is no loss suffered by Government as all steps provided by law are taken for recovery of Income-tax arrears except where the arrears have become unrealisable due to a number of reasons.

Income-tax due from Shri Biju Patnaik

4275. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have enquired into the irregularities of the Comapanies belonging to Shri Biju Patnaik;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, whether Government propose to enquire into the matter?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai). (a) Investigations into the income-tax affairs of some of the companies with which Shri Patnaik is associated are still in progress.

(b) and (c). Investigations made so far reveal the following irregularities:

(i) Kalinga Airlines Ltd. had deducted tax from salaries of its employees but not paid it to Government.

(ii) Kalinga Tubes Ltd. had deducted tax from dividends, but not paid it to Government.

(iii) Kalinga Tubes Ltd. had suppressed sales.

T. B. Hospital, Mehrauli, New Delhi.

4276. **Shri Nihal Singh :** Wil the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether Gevernment have received complaints to the effect that the officials of T. B. Hospital, Mehrauli, New Delhi had sold medicines in the black-market; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No such complaints have been received.

(b) Does not arise.

अवमूल्यन

4277. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयातित वस्तुओं के मूल्यों और उन पर शुल्क में 57.5 प्रतिशत वृद्धि होने से उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : भारतीय रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप, आयात किये जाने वाले माल की रुपयों की लागत में होने वाली वृद्धि से आन्तरिक मूल्यों पर जो प्रभाव पड़ा है, उसके उस हद तक प्रतिसन्तुलित हो जाने की आशा है, जिस हद तक कारखानों की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करके, उत्पादन बढ़ाकर और उसमें विविधता लाकर और आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आने वाली चीजों का देश में ही उत्पादन करके उत्पादन की लागत में कमी की जा सके ।

अवमूल्यन के बाद आयात किये गये संयंत्र

4278. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि अवमूल्यन के पश्चात अधिक लागत पर आयात किया गया संयंत्र पुराने संयंत्र के मुकाबले में कैसा काम कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आन्तरिक मूल्यों में वृद्धि

4279. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्तरिक मूल्यों में वृद्धि का सम्बन्ध अधिक मूल्यों पर किये गये आयातों से मिले प्रोत्साहन से जोड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे अवमूल्यन के बावजूद निर्यात की जाने वाली हमारी वस्तुओं में मूल्य विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता करने में असफल रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त-मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). आयात किये जाने वाले माल की बढ़ी लागत के कारण, आन्तरिक मूल्यों में केवल आंशिक वृद्धि हुई हैं। मूल्य-स्थिति पर और भी बातों का प्रभाव है । यह कहना ठीक नहीं है, कि अवमूल्यन के बावजूद, हमारी निर्यात की जाने वाली चीजें प्रतियोगितात्मक नहीं रही हैं । कुछ विशेष मामलों में, सरकार निर्यातकों को कई तरीकों से प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रही है, ताकि आन्तरिक लागत की वृद्धि और दूसरे कारणों से पैदा होने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके ।

अवमूल्यन से वित्तीय लाभ

4280. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष में अवमूल्यन के फलस्वरूप सीमा-शुल्कों, विदेशी सहायता (खाद्य समस्या सहित) की प्राप्ति के द्वारा सरकार को कुल कितना वित्तीय लाभ हुआ है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : रुपये के अवमूल्यन के पश्चात कई वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में वृद्धि की गई थी जिससे 116 करोड़ रु० की अतिरिक्त आय हुई। इसके साथ ही कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क और उत्पादन शुल्क में कमी की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 42 करोड़ रु० की हानि हुई। पी० एल०-480 में जमा राशि के कारण विदेशी सहायता और विनियोजन के अनुरूप बजट में 273 करोड़ रु० की आय हुई है। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप ऋण की अदायगी और सरकारी आयात का भार 371 करोड़ रु० बढ़ गया। 1966-67 के दौरान अवमूल्यन से केन्द्रीय सरकार के बजट में लगभग 45 करोड़ रु० का शुद्ध घाटा पड़ा है।

स्टर्लिंग पौंड का अवमूल्यन

4282. **श्री रबि राय** :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री चरणजीत राय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि ब्रिटेन द्वारा किये गये स्टर्लिंग पौंड के अवमूल्यन के कारण भारतीय रुपये के मूल्य में कमी न हो ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : 20 नवम्बर, 1967 को संसद में दिये गये अपने वक्तव्य में मैंने स्पष्ट रूप से यह बताया था कि सोने या अमरीकी डालरों के रूप में, रुपये की विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ब्रिटेन द्वारा किये गये अवमूल्यन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने यह भी बता दिया है कि भारतीय रुपये के सममूल्य में परिवर्तन नहीं किया जायगा। इसलिए यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

आत्म-हत्या के मामले

4283. **श्री रबि राय** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय में मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान के निदेशक ने 1 से 30 सितम्बर के बीच हुए आत्म-हत्या के मामलों के बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद को कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्ति क्या है; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। यह अन्तरिम रिपोर्ट केवल कारणों के बारे में है।

(ख) विश्लेषण से पता चला कि ये आत्महत्यायें अधिकतया कम आय वाले लोगों में तथा युवावस्था वाले व्यक्तियों में हुई हैं जिन्होंने सम्भवतया वैवाहिक झगड़ों, मां बाप/अभिभावकों से मनमुटाव, शारीरिक एवं मानसिक जीर्ण रोगों और आर्थिक दबाव के कारण जीवन को निरर्थक समझ लिया था।

(ग) रोकथाम के उपायों का अध्ययन अभी पूरा नहीं हो पाया है।

भारतीय तेल निगम में बजट सम्बन्धी प्रक्रिया

4284. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम में बजट सम्बन्धी प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया है ताकि उच्च प्रबन्ध अधिकारी प्रभावशाली ढंग से बजट-नियंत्रण कर सकें;

(ख) क्या यह सच है कि इण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड तथा इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड के वास्तविक विलय से आर्थिक कार्य कुशलता और समन्वय सम्बन्धी अपेक्षित उद्देश्य पूरे हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सरकारी उपक्रम के घाटे पर चलाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी ऋण

4285. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों ने उनके द्वारा दिये गए ऋण पर ब्याज की दर घटा दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) (1) कनाडा, डेनमार्क और ब्रिटेन ने, उनके नाम के आगे लिखी गयी तारीखों से ब्याज-मुक्त ऋण देना शुरू कर दिया है।

(i) **कनाडा** : 1966-67 से (अप्रैल, 1966 में मिले पहले ऋण पर 314 प्रतिशत की दर से ऋण-निर्धारण-व्यय दिया जाना था, लेकिन बाद में किये गये करारों में इसे छोड़ दिया गया है ।)

(ii) **डेनमार्क** : 1966-67 से ।

(iii) **ब्रिटेन** : अक्टूबर, 1965 से ।

(2) जैसा कि निम्नलिखित देशों के नाम के आगे लिखा गया है, उनसे प्राप्त ऋणों पर ब्याज की दरें कम कर दी गई हैं :

(i) **नीदरलैण्ड** : जनवरी, 1966 के बाद किये गये ऋण-करारों के अनुसार पहले के $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज के मुकाबले 3 प्रतिशत ब्याज लगेगा ।

(ii) **पश्चिम जर्मनी** : 1966-67 में या उसके बाद किये गये करारों के अनुसार पहले के ऋणों पर लगने वाले ब्याज की 4.35 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत तक की दर के मुकाबले 3 प्रतिशत ब्याज लगेगा ।

(iii) **जापान** : सातवें येन ऋण पर (जिससे सम्बन्धित करार पर 5 सितम्बर, 1967 को हस्ताक्षर किये गये थे) पहले के करारों की $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत दर के मुकाबले $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा ।

दिल्ली में मकानों की कमी

4287. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 तथा 1967 में दिल्ली में मकानों की कुल कितनी कमी थी;

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में दिल्ली में मकानों के निर्माण का लक्ष्य क्या था;

(ग) क्या लक्ष्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) दिल्ली की बृहत् योजना में की गयी व्यवस्था के अनुसार 1980 तक मकानों की कमी पूरी करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(च) दिल्ली विकास प्राधिकार, केन्द्रीय सरकार, दिल्ली नगर निगम तथा अन्य स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये 1967, 1968 तथा 1969 के लिये मकानों के निर्माण के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1961 में दिल्ली में मकानों की कमी 1,40,000 तथा 1,50,000 रिहायशी यूनिटों के बीच अनुमानित की गयी थी । 1967 में कमी की संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ख) तीसरी योजना की अवधि में दिल्ली में मास्टर प्लान ने 1.25 लाखमकान बनाने की निम्नांकित रूप में सिफारिश की थी :

(i) अपने कर्मचारियों के लिये सरकार द्वारा (उदाहरणार्थ-केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेलवे तथा रक्षा मंत्रालय, दिल्ली प्रशासन, उपक्रम, स्थानीय निकाय, आदि) बनाये जायें ...	25,000
(ii) गंदी बस्तियों आदि में रहने वालों के लिए दिल्ली नगर निगम के द्वारा बनाए जायें	25,000
(iii) गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाये जायें (इसमें वे शामिल हैं जो सरकारी सहायता से बनाए जायें)	75,000
जोड़ ...	1,25,000

(ग) और (घ). तीसरी योजना की अवधि में आवास के क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों के द्वारा अनुमानित उपलब्धि निम्न प्रकार है :

एजेंसी	आवासीय यूनिट
(i) संसद सदस्यों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये सरकार द्वारा निर्मित	15,800
(ii) गंदी बस्तियों आदि में रहने वालों के लिए निगम द्वारा निर्मित	29,500
(iii) सरकारी सहायता से गैर-सरकारी निर्माता द्वारा निर्मित	8,000
(iv) बगैर सरकारी सहायता के गैर सरकारी निर्माता द्वारा निर्मित	17,600
जोड़ ...	70,000

पर्याप्त श्रोतों के अभाव तथा अधिक आवश्यक प्रयोजनों के लिए निधियों की आवश्यकता के कारण यह कमी है।

(ङ) दिल्ली में मकानों की कमी को कम करने के लिए निम्नांकित उपाय प्रस्तावित हैं :

(i) अधिक निधियों की व्यवस्था।

(ii) निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए अधिक प्लाटों की व्यवस्था।

(iii) भवन निर्माण सामग्री यथा, ईंटें, लाइम, सुरखी मोर्टर की उचित दरों पर सप्लाई।

(iv) भूमि का बड़े पैमाने पर अर्जन तथा विकास।

(v) दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाये गये मकानों को किराया-खरीद के आधार पर सामान्य जनता को आवंटन।

(vi) जीवन बीमा निगम निधियों को मकानों के निर्माण के लिए उपयोग।

(च) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में आयकर की वसूली

4288. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से आयकर और अन्य केन्द्रीय करों के रूप में कुल कितना धन वसूल किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली को अन्य राज्यों की अपेक्षा केन्द्रीय करों की वसूली में से अनुपाततः कम धन दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1966-67 में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आयकर, निगम कर, संघीय उत्पादन शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर आदि से लगभग 49 करोड़ रु० की आय हुई।

(ख) और (ग). केन्द्रीय करों और शुल्कों में से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को कोई राशि देय नहीं है। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र का सम्पूर्ण व्यय भारत की संचित निधि से पूरा किया जाता है।

C.G.H.S. Dispensaries in Delhi

4289. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at certain C. G. H. S. dispensaries in Delhi, patients have to wait for a considerable time in getting medical attention;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken to deal with the problem?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) Information with regard to the time spent by patients in getting medical treatment at the C. G. H. S. dispensaries is not available dispensary-wise. However, according to a sample survey carried out in 1964, a patient has to spend, on an average about 30 minutes in getting treatment in C. G. H. S. dispensaries. It is not considered that this waiting time is unduly long.

(b) and (c). Do not arise.

Director-General of Health Services

4290. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Director-General, Health Services has been appointed

Chairman of the Committee set up to review the working of the Central Government Hospitals in Delhi ;

(b) whether it is also a fact that he is responsible for medical arrangements in these hospitals ; and

(c) if so, the reasons for appointing him as Chairman of the enquiry committee ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes. He is the Chairman of the Committee appointed to investigate the working of Central Government and Delhi Administration Hospitals in Delhi.

(b) Yes.

(c) He has been appointed Chairman of the Enquiry Committee because he is the doyen of medical officers in the country and has vast experience of medical administration.

नेपाल को धनराशि का प्रेषण

4291. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने यह इच्छा व्यक्त की है कि ब्रिटेन द्वारा नौकरी में रखे गये गोरखाओं के वेतन के रूप में 1960 से पहले की भारत के माध्यम से नेपाल को मिलने वाली धनराशि का भुगतान स्टर्लिंग में किया जाय;

(ख) क्या नेपाल ने यह इच्छा भी व्यक्त की है कि भारत उसके स्टर्लिंग रिजर्व को विदेशी मुद्रा में बदल दे जिसकी उसे आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हाल ही में नेपाल सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

M/s Jhunjhunwala and Bros

4292. **Shri Onkar Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2415 on the 30th November, 1967 and state the time by which the investigation regarding M/s. Jhunjhunwala and Bros. is likely to be completed ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : In view of the wide-spread nature of enquiries and detailed examination of accounts in respect of inter-firm transactions, it is not possible to say precisely when the investigations are likely to be completed.

आयकर का बट्टे खाते में डाला जाना

4293. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले दो वर्षों में कितने तथा किन-किन व्यक्तियों अथवा कम्पनियों के और प्रत्येक के मामले में कितनी-कितनी राशि के आयकर, धनकर, और अन्य करों की बकाया राशि बट्टे खाते में डाली गई;

(ख) इन राशियों को बट्टे खाते में डालने से पूर्व प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है और बकाया राशियों को बट्टे खाते में डालने के क्या विशिष्ट कारण थे; और

(ग) आयकर विभाग और उनके मंत्रालय के कितने और किन-किन अधिकारियों ने इन राशियों को बट्टे खाते में डालने की अनुमति दी तथा प्रत्येक मामले में क्या प्रतिक्रिया अपनाई गई है;

(घ) क्या बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया में किसी अवस्था में वित्त मंत्री की मंजूरी लेनी अपेक्षित होती है अथवा समूचा मामला अधिकारियों के स्तर पर ही निपटा दिया जाता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(घ) किसी भी एक मामले में कर की 25 लाख रुपये अथवा उससे अधिक रकम के प्रस्तावित बट्टे खाते डालने के लिए वित्त मंत्री की मंजूरी आवश्यक होती है।

गर्भपात के मामले

4294. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भपात तथा उसके परिणामस्वरूप हुई मृत्युओं के बारे में कोई आंकड़े रखे जाते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो हाल में उनके द्वारा एक विचार-गोष्ठी में बताये गये 40 लाख गर्भपात और 2 लाख मृत्युओं के आंकड़े उन्हें किस सूत्र से प्राप्त हुए थे ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्र शेखर) : (क) केवल उन गर्भपातों की सूचना दर्ज की जाती है जिनका इलाज अस्पताल में किया जाता है।

(ख) ये आंकड़े लगभग अनुमानित हैं।

Allotment of Tube-wells in U. P. and Madras

4295 **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8771 on the 10th August, 1967 and state :

(a) the reasons for a great disparity in the energisation of tube-wells in Madras and U.P;

(b) the reasons for keeping the ratio of 1 and 3 in U.P. and Madras even during 1967-68;

(c) whether Government propose to give some special assistance to U. P. Government to bring U. P. State at par with Madras State; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) to (d). Even before the beginning of the First Five Year Plan, Madras had a wider net work of transmission and distribution systems in rural areas than U. P. As on 31st March, 1951, 7.4% of the villages in Madras were electrified against only 0.52% in U. P. During the First, Second and Third Plans, 8374 villages were electrified in Madras and 9192 villages were electrified in U. P. The bias in rural electrification, from 1966-67, has shifted towards energisation of pumpsets. The number of tube-wells/pumpsets energised during 1966-67 is 34139 in Madras and 12919 in U. P. In 1967-68 32,000 tube-wells/pumpsets in Madras and 10443 in U. P. are proposed to be energised. Earmarked Central assistance of Rs. 6 crores for Madras and Rs. 7.5 crores for U. P. has been provided for rural electrification programmes with a bias towards energisation of tube-wells/pumpsets, during 1967-68

Admissions in Safdarjung Hospital, New Delhi

4296. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state the income slabs for admitting patients to different wards in the Safdarjung Hospital, New Delhi?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): There is only one class of accommodation in the Safdarjung Hospital to which all patients are admitted, irrespective of their income.

Higher Incidence of Deaths in Safdarjung Hospital, New Delhi

4297. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6948 on the 27th July, 1967, and state the reasons for higher incidence of deaths in Safdarjung Hospital, New Delhi, as a result of surgical operations than that of Willingdon Hospital?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): The mortality rate of 10% in the Safdarjung Hospital is to be judged in the background of the larger number of operations that are undertaken on acute patients who come to this hospital. Further there is a large Cancer Ward for patients requiring major surgery.

Per Capita Allocations to States for Development of Electricity

4299. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8773 on the 10th August, 1967 and state;

(a) the per capita amount paid to the States of Uttar Pradesh, Madras and West Bengal respectively during the last five years upto March, 1967 for the development of electricity;

(b) whether Government propose to compensate the States which were granted less per capita amount by way of allocating more funds during the next five years; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The details of expenditure incurred on power development during the five year period ending in March, 1967, estimated populations during 1967, and the expenditure per capita in the States of Uttar Pradesh, Madras and West Bengal are given below:

State.	Expenditure during April' 62—March' 67 (Rs. lakhs)	Estimated population during 1967 (in lakhs)	per capita expenditure (in Rs.)
Uttar Pradesh	20,236	849	23.8
Madras	13,918	375	37.1
West Bengal	7,495	414	18.2

(b) and (c). The above expenditures have been met partly from States' own resources and partly from loans advanced by the Centre, the details of which are not known. However, the question of allocating more funds to the States which are deficient in the development of power is considered while finalising the Annual Plans of the various States.

नशाबन्दी समिति को केन्द्रीय सहायता

4301. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री स० चं० बेसरा :
श्री मरंडी :
श्री मयाबन :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन इसके विरुद्ध है कि केन्द्र द्वारा नशाबन्दी समिति को सहायता दी जाये;

(ख) क्या समिति के सदस्यों को अनुमति है कि वह नशाबन्दी के लिये विमान द्वारा अन्य राज्यों को यात्रा करने के लिए इस निधि का प्रयोग कर सकते हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रशासन द्वारा इस बारे में अपनाई गई नीति पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या अनुदान मंजूर करने की नीति में परिवर्तन करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) दिल्ली प्रशासन नशाबन्दी समिति को उसके द्वारा चलाये जा रहे नशाबन्दी लोक कार्य क्षेत्रों के लिए सहायता देने के हक में नहीं है ।

(ख) नशाबन्दी लोक कार्य क्षेत्र के लिये खर्च के मंजूर शुदा नमूने में विमान द्वारा यात्रा पर खर्च किया जाना परिकल्पित नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) . यह मामला विचाराधीन है ।

जाली मुद्रा का परिचालन

4302. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि विभिन्न मूल्यों की जाली भारतीय मुद्रा परिचलन में है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितने मूल्य की जाली मुद्रा परिचलन में है;

(ग) इस जाली मुद्रा का मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ा रहा है; और

(घ) इस जाली मुद्रा के छपने और परिचलन को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (**श्री मोरारजी देसाई**) : (क) से (ग). विभिन्न मूल्यों के ऐसे नोटों के जब्त होने के समाचार अक्सर मिलते रहते हैं और यह पता लगाना सम्भव नहीं कि कितने मूल्य के जाली नोट चलन में हैं, क्योंकि उनका पता तभी चलता है जब वे पकड़े जाते हैं। ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह सूचित होता हो कि ऐसे नोट अधिक संख्या में चलन में हैं।

(घ) जाली करेंसी और बैंक नोटों के बनाने से सम्बद्ध अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आते हैं, जिसमें ऐसे अपराधों के लिए पहले से ही कड़ी सजा की व्यवस्था है। जाली नोट बनाने और जालसाजी के अपराध राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा निपटाये जाते हैं, जो इस सम्बन्ध में निगरानी रखते हैं। गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जांच कार्यालय जाली भारतीय मुद्रा बचाने की समस्या का लगातार अध्ययन करता रहता है जिसके लिए वह इस काम में अपनाये गये विभिन्न तकनीकों का रिकार्ड रखता है और जाली भारतीय मुद्रा के प्रकट होने के सम्बन्ध में समय-समय पर पुनर्विचार करता रहता है। वह विशिष्ट मामलों में राज्य पुलिस अधिकारियों की सहायता भी करता है।

गौहाटी में रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

4303. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक के गौहाटी (आसाम) स्थित सब आफिस के कर्मचारियों को नोटिस दिये गये हैं जिनमें डिप्टी मैनेजर ने कार्यवाही करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी इस नोटिस को वापस कराने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं; और

(घ) क्या इसके बारे में सरकार का कोई जांच करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (**श्री मोरारजी देसाई**) : (क) और (ख). 21 सितम्बर, 1967 को रिजर्व बैंक के गौहाटी उप-कार्यालय के नोट परीक्षण अनुभाग के कार्य पर

बुरा असर पड़ा था क्योंकि 20 नोट परीक्षकों ने उप-प्रबन्धक द्वारा दिये गये कुछ अनुदेशों का पालन करने से इन्कार कर दिया था। चूंकि उनका ऐसा करना अनुशासन के भंग करने के समान था, इसलिए उनको ज्ञापनपत्र दिया गया कि यदि उन्होंने भविष्य में इस प्रकार की चीज दोबारा की तो उनके विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही की जायेगी।

(ग) जी हां। कर्मचारी आग्रह कर रहे हैं कि ज्ञापनपत्र को बिना शर्त के वापस ले लिया जाये।

(घ) चूंकि रिजर्व बैंक आवश्यक कार्यवाही करने के लिये सक्षम है, सरकार इस मामले में कोई जांच नहीं करना चाहती।

Tax Exemption Benefits Given to Ex-Rulers

4304. **Shri Shashibhushan Bajpai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of ex-Rulers, who are exempted from the payment of excise duty on petrol;

(b) whether they are also exempted from the payment of taxes on petrol used in their helicopters ;

(c) the total annual earnings in case tax is imposed thereon ; and

(d) the reasons for this tax-exemption?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Eleven.

(b) Yes, Sir.

(c) This would vary according to actual consumption from year to year. Approximate annual earnings in case tax is imposed on issues of petrol to ex-rulers would be of the order of Rs. 1.75 lakhs.

(d) On integration of Indian States, the right to obtain supplies of petrol free of excise duty for the personal use of the rulers or the members of their family, was conceded to the rulers with a permanent salute of 19 guns and over. The privilege is being continued in terms of the general Agreement with the rulers for continuance of personal privileges.

Wine Brought from Outside by Staff of Foreign Embassies

4305. **Shri Shashibhushan Bajpai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state the quantity of foreign wine brought into India annually by the staff of the Foreign Embassies on tax-free basis?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): The quantity of foreign wine/liquor brought into India by the staff of the Foreign Embassies on tax-free basis during the year 1966 is as given below :—

Year	Quantity in quart bottles
1966	4,01,891

Imported Wine Brought by Princes

4306. **Shri Shashibhushan Bajpai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total quantity of foreign wine imported or purchased annually by those princes who enjoy tax-exemption in respect of wine ; and

(b) the total amount of excise duty that would be realised if imposed on them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Supply of Electricity to Farmers in U. P.

4307. **Shri Chandrika Prasad**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the entire development and industrial work has been hampered due to the new distribution system of electricity evolved by the Government of Uttar Pradesh ;

(b) whether it is a fact that the Government of Uttar Pradesh is demanding advance of Rs. 1,000 per furlong from each farmer which the farmers particularly in the Eastern Districts of Ballia, Azamgarh and Gorakhpur are unable to pay, and

(c) if so, whether Government have taken up this matter with the State Government and if so, the result thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) to (c). On representations having been received that the U. P. State Electricity Board were taking cash advances from agriculturists for energisation of their pumpsets, the matter was taken up by the Central Government with the U. P. State Electricity Board. It was clarified by the U. P. State Electricity Board that the normal programme for energisation of pumpsets together with the free line concessions of 2 furlongs up to 5 HP and 3 furlongs for 7.5 HP and above still continues. Since in practice preference is given in respect of those connections where the average cost of energisation per connection is Rs. 4,750 for the State as a whole, and Rs. 5,200 for the Eastern Districts of U. P., the State Electricity Board have introduced a deposit scheme for expediting energisation in cases where the cost of supplying electricity is between Rs. 6,000 and Rs. 8,000. The scheme briefly is as follows :

(i) Consumers who agree to pay full estimated cost of the line and sub-station by way of loan to the Board subject to adjustment in their future bills would be supplied electricity within one month of the signing of the agreement and payment of money.

(ii) Consumers who agree to pay at the rate of Rs. 1,000 per furlong of the line to their installation subject to adjustment as in (i) above, would be supplied electricity in a period of three months.

(iii) Usual concession of free line on pro-rata basis will also be given

(iv) For the period the money of the consumer remains with the Board, the consumer would be paid interest at 3%. This scheme is purely optional and is for the benefit of those consumers in whose case the cost of supplying electricity is high and who may otherwise have to wait for a longer period before getting electricity.

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में खाली क्वार्टर

4308. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में लगभग 2000 सरकारी क्वार्टर जो 1963 में तैयार हो गये थे अब तक सरकारी कर्मचारियों को एलाट नहीं किये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन क्वार्टरों से बहुत सा सामान चुरा लिया गया है जिससे ये क्वार्टर निवास योग्य नहीं रह गये हैं और सरकार को बहुत नुकसान हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि इन क्वार्टरों का मासिक किराया लगभग एक लाख रुपये है और इस प्रकार इन क्वार्टरों के एलाट न किये जाने के कारण सरकार को लगभग 60 लाख रुपये की हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है कि इस हानि के लिए कौन जिम्मेदार था; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) कुछ समय पूर्व रामकृष्णपुरम के सेक्टर VIII, XI तथा XII में लगभग 1800 क्वार्टर निर्माणाधीन थे। उनमें से कुछ जनवरी/जून, 1966 के मध्य सिवाय कुछ मदों (आइटम्स) को अन्तिम रूप देने को तैयार हो गये थे। पानी तथा बिजली की उपलब्धता न होने के कारण क्वार्टरों के आंवटन में कुछ देर हुई। पानी की सप्लाई की व्यवस्था हो गई है तथा वगैर बिजली के क्वार्टर, बैचों में आवंटित किये जा रहे हैं। अगले वर्ष में घरेलू कार्य के लिए बिजली की सप्लाई मिलने की सम्भावना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जैसा कि कहा गया है कि जनवरी/जून, 1966 में बिजली और पानी के वगैर कुछ क्वार्टर तैयार हो गये थे। 1963 में कोई क्वार्टर तैयार नहीं हुआ था। अतएव प्राक्कलित हानि ठीक नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयकर-अपवंचन

4309. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर-अपंवचन के कितने मामलों की जांच 1967-68 के पूर्वार्ध में की गई और कितने मामलों में अभियोग चलाये गये और इस जांच तथा अभियोगों के क्या परिणाम निकले;

(ख) कुल कितने आयकर का अपवंचन किया गया था; और

(ग) क्या आयकर विभाग के किन्हीं अधिकारियो का इन मामलों में कोई हाथ था और यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अपवंचन के कई मामलों में जांच-पड़ताल की जा रही है और इन मामलों की ठीक-ठीक संख्या देना सम्भव नहीं है । जांच-पड़ताल में समय लगता है । जब भी कर छिपाने के मामले सामने आते हैं दण्ड लगाया जाता है। उपयुक्त मामलों में, मुकदमे भी चलाये जाते हैं ।

1967-68 के पूर्वार्द्ध में, 7 मामलों में मुकदमे चलाने की स्वीकृति दी गई है । जिन मामलों में मुकदमे चलाये गये हैं उनकी संख्या और उन मुकदमों के परिणाम के बारे में सूचना सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, इन मामलों में कर-अपवंचन का विस्तार बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

आयकर आयुक्तों का सम्मेलन

4310. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1967 में आयकर आयुक्तों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या-क्या सिफारिशें की गईं; और

(ग) सरकार ने उनको किस सीमा तक और किस प्रकार कार्यान्वित किया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन विषयों पर चर्चा की गयी तथा जो सिफारिशें की गयीं वे ये हैं;

(i) **कार्य-वितरण योजना** :

यह सिफारिश की गयी थी कि कर्मचारियों, आवास, फर्नीचर आदि की मंजूरी के बारे मे आगे और सुविधाएं दी जायें ।

(ii) **बकाया की वसूली** :

(क) इस प्रश्न पर चर्चा की गयी थी तथा यह सिफारिश की गयी थी कि प्रत्येक मामले में कर की बकाया रकम के आधार पर बकाया की वसूली की जिम्मेदारी आयकर अधिकारी निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त तथा आयकर आयुक्त की निजी (जिम्मेदारी) ठहराई जाये; तथा

(ख) वसूली का कार्य शीघ्र से शीघ्र राज्य सरकारों से ले लिया जाये ।

(iii) **कर-निर्धारण कार्य में प्राथमिकताएं :**

इस प्रश्न पर चर्चा की गयी थी तथा यह सिफारिश की गयी थी कि 31-3-1969 तक कम्पनी के मामलों तथा उच्चतर वर्ग के कम्पनी—भिन्न मामलों में कोई भी कर-निर्धारण शेष पड़ा न रह जाये।

(iv) **अल्प आय सम्बन्धी मामलों का शीघ्र निपटारा :**

अल्प आय सम्बन्धी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये एक योजना की सिफारिश की गयी थी।

(v) **कर-अपवंचन :**

यह सिफारिश की गयी थी कि कर-अपवंचन को रोकने की दृष्टि से जांच-पड़ताल करने वाले तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कदम उठाये जायें।

(vi) विभाग के प्रसाशनिक तंत्र को मजबूत बनाने और उसका विनियमन करने तथा अधिक कड़ा वित्तीय अनुशासन लागू करने की दृष्टि से जिन अन्य विषयों की चर्चा की गयी थी वे अधिकारियों के स्थानान्तरण, कर्मचारियों की मंजूरी आदि प्रशासनिक उपायों से सम्बन्धित थे।

(ग) की गयी सिफारिशें सरकार ने मंजूर कर ली हैं तथा सभी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

कर-पदाधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन

4311 **श्री स० चं० बेसरा :**
श्री मरंडी :
श्री अदिचन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 और 28 नवम्बर, 1967 को कर-पदाधिकारियों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई थी; और

(ग) उसमें क्या-क्या निर्णय किये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) (i) कर के प्रयोजनों के लिये व्यापारिक आय का बोध।

(ii) विदेशी सहयोग के स्थापित उद्योगों के करारों से सम्बन्धित कर की समस्याएं।

(iii) कर-भार और कर-अपवंचन।

(ग) किये गये निर्णयों की सूचना सरकार को अभी तक अधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

4312. **श्री स० चं० बेसरा :**
श्री मयाबन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सदस्य राष्ट्रों को धन निकालने के बारे में नई सुविधायें देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इस निर्णय से भारत को भुगतान शेष को पूरा करने में कितनी सहायता मिलेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) 1967 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के गवर्नरों की जो वार्षिक बैठक हुई थी उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें निधि के सदस्यों द्वारा विशेष निकासी किये जाने के अधिकार की सुविधा की व्यवस्था किये जाने का अनुमोदन किया गया था। प्रस्ताव में निधि के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड से अनुरोध किया गया था कि वे इस सुविधा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में आगे कार्रवाई करें और अप्रैल 1968 के अंत तक गवर्नरों के बोर्ड के सम्मुख विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हैं।

(ख) इस प्रकार के, विशेष निकासी के अधिकारों के रूप में अतिरिक्त प्रारक्षित निधि का निर्माण किया जाना, अपेक्षाकृत धन देशों द्वारा व्यापार और सहायता के सम्बन्ध में अधिक उदार नीतियां बरती जाने में सहायक हो सकता है। इसलिए इससे विकासशील देशों (भारत सहित) का भी लाभ होगा और उनके शोधन-संतुलन पर अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। भारत के शोधन-संतुलन पर पड़ने वाला कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव उन निर्णयों पर भी निर्भर होगा जो सदस्यों के लिए नियत अंशों (कोटे) और उनमें भारत के हिस्से के सम्बन्ध में अभी किये जाने हैं।

गैस का मूल्य

4313. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में तेल उद्योग मुख्यतया इसलिए स्थापित किया गया था कि पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस आदि के मूल्य आयात मूल्य से भी कम हो जायें तथा देश में औद्योगीकरण में सहायता के लिये सस्ती बिजली की भी व्यवस्था हो सके;

(ख) यदि हां, तो इससे उक्त उद्देश्य किस प्रकार पूरा हुआ जब कि डा० राव के पंचाट के अन्तर्गत गुजरात राज्य में गैस का मूल्य 50 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक मीटर निश्चित किया गया था; और आसाम में बर्मा आयल कम्पनी 1000 क्यूबिक मीटर के 8 रुपये लेती है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि गैस के इतने ऊंचे मूल्य तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

और गुजरात राज्य सरकार के बीच हुए विवाद में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य संचालन की हानि को पूरा करने के लिये निर्धारित किये गये थे ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा वेधन (ड्रिलिंग) कार्य

4314. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में 36 रिगों ने नवम्बर 1966 में लगभग 9629 मीटर वेधन किया जबकि आयल इंडिया ने केवल 6 रिगों में लगभग उतने ही मीटर वेधन किया था;

(ख) गत वर्ष तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया में कितने रिग काम में लाये जा रहे थे और उन्होंने कितने मीटर वेधन किया था; और

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास कितनी कीमत के फालतू पुर्जे हैं और उन फालतू पुर्जों की औसतन कितनी कीमत है जो काम में नहीं आ रहे हैं और जो केवल त्रुटिपूर्ण इन्डेंट और भंडार रक्षण के कारण वहां इकट्ठा हो गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) 1966-67 के दौरान, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने विभागीय स्तर पर कुल 168,342 मीटर वेधन किया। वर्ष के दौरान चालू रिगों की संख्या हर महीने बदलती रही और 33 और 38 के बीच थी।

इसी अवधि में, आयल इंडिया लिमिटेड ने चार रिगों से 84,716 मीटर वेधन किया।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास 31-3-67 को 8·85 करोड़ रुपये की कीमत के फालतू पुर्जे थे। इसमें से 31-3-1969 तक लगभग 10 प्रतिशत और 31-3-1971 तक 4 प्रतिशत के फालतू हो जाने की संभावना है।

खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां

4315. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों के छः रुपये मूल्य में $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा 3 प्रतिशत बिक्री-कर भी शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो खाई जाने वाली औषधियों पर ऐसे कर न हटाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) . चिकित्सकीय गर्भ निरोधकों पर पहले से ही केन्द्रीय सीमाशुल्क नहीं लगता । बिक्री कर राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

भारत सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के कारण हानि

4316. **श्री सूपकार :**

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों द्वारा 22 नवम्बर, 1967 से की गई हड़ताल के कारण प्रतिदिन कितनी हानि हुई ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी उपक्रमों में विकास तथा डिजाइन विभागों का विकास

4317. **श्री कामेश्वर सिंह :**

श्री श्रीधरन :

क्या **वित्त** मंत्री 6 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 978 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में डिजाइन विभागों के विकास को कार्यरूप देने के लिये की जाने वाली कार्यवाही के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो डिजाइन विभागों का देश में ही डिजाइन तैयार करने तथा तकनीकी जानकारी में आत्मनिर्भर बनाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). अनेक बड़े क्षेत्रों में जैसे कि इस्पात, उर्वरक, पेट्रोलियम, भारी इन्जीनियरी, मशीनी औजार आदि में सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने पहले ही डिजाइन और आयोजन विभाग स्थापित कर दिये हैं और इस दिशा में आवश्यक अग्रेतर कदम उठाये जायेंगे । सरकार की यह नीति है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अधिकतम सीमा तक स्वदेशी तकनीकी जानकारी का प्रयोग करें ।

भारत-विदेशी शिक्षा तथा सांस्कृतिक समिति

4318. **श्री कामेश्वर सिंह :**

श्री श्रीधरन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत-विदेशी शिक्षा तथा सांस्कृतिक समिति की की गई अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संस्था ने कुछ व्यक्ति विदेश भेजे थे; और

(ग) सरकार ने इनके लिए विदेशी मुद्रा मंजूर की थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). 1966 में भारत-विदेश शिक्षा तथा सांस्कृतिक संस्था, बम्बई ने प्रतिनिधियों के एक बड़े ग्रुप को जापान जाने के लिये 'पी' फार्म देने के लिये प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई थी।

दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी समितियों के लिए भूमि का नियतन

4319. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों में सरकार ने गृह निर्माण सहकारी समितियों को भूमि देने के लिए दिल्ली में भूमि अर्जित की है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि में कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है;

(ग) यह भूमि किस दर पर अर्जित की गई थी और किस दर पर सहकारी समितियों को एलाट की गई है; और

(घ) उपर्युक्त अवधि में अर्जित की गई भूमि पर कुल कितना मुआवजा दिया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). 1961 से 1967 के दौरान, लेन्ड एक्यूर्जीशन एक्ट 1890 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित 56,000 एकड़ भूमि में से 31 अगस्त, 1967 तक 25,908.53 एकड़ भूमि अर्जित कर ली गयी है। भूमि केवल हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज तथा उद्योगपतियों एवं निर्माताओं की कोआपरेटिव सोसाइटी के लिए ही नहीं है अपितु वह निम्न आय वर्ग के लोगों तथा उन लोगों के लिए भी है जिनकी भूमि 'दिल्ली के योजित विकास' के संबंध में अथवा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अर्जित कर ली गयी है। इसमें से 1,517.83 एकड़ भूमि हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज को आवंटित कर दी गयी है।

(ग) जिस दर पर भूमि अर्जित की गयी तथा हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज को आवंटित की गई वह बस्तियों के अनुसार विभिन्न है । जिन सोसाइटियों के पास भूमि थी उन्हें, उनके द्वारा दिये गये इस आश्वासन पर कि वे डिस्ट्रिक्ट जज/हाईकोर्ट में रिफरेंस/अपील के लिए नहीं जायेंगे, लेन्ड एक्यूजीशनल कलक्टर के द्वारा दिये गये निर्णय की दरों के आधार पर वैकल्पिक भूमि आवंटित कर दी गयी थी । अन्य सोसाइटियों से अर्जन की अनुमानित लागत के आधार पर मूल्य लिया गया क्योंकि कलक्टर के द्वारा दिये गये निर्णय अन्तिम नहीं हैं तथा वे रिफरेन्स/अपील के विषय हैं ।

(घ) अब तक दिया गया कुल मुआवजा 29,99,07,740.37 रुपये है ।

जल को दूषित होने से बचाने के लिये गोष्ठी

4320. **श्री मयावन :**

श्री मरंडी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में जल को दूषित होने से बचाने के लिये एक गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) इस गोष्ठी में क्या-क्या निर्णय किये गए ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 15 से 23 नवम्बर, 1967 तक जल दूषण नियंत्रण के बारे में नई दिल्ली में एक अन्तर्क्षेत्रीय गोष्ठी का आयोजन किया था ।

(ख) इसमें भाग लेने वाले देशों में जल की स्थिति कैसी है इस बारे में सूचना एकत्र तथा प्रस्तुत करना इस गोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य था ।

इस गोष्ठी में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई :

1. विकासोन्मुख मुल्कों में जल दूषण की समस्याएं
2. भारत में जल दूषण की प्रमुख समस्याएं—प्रवृत्त, केन्द्रीय उपाय एवं कानून
3. जल दूषण के मुख्य स्रोत—उनका आपेक्षिक महत्व, स्वरूप तथा प्रभाव
4. जल दूषण सर्वेक्षण
5. जल शुद्धता की अपेक्षायें एवं मानदण्ड
6. जल दूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कम खर्चीले उपाय
7. जलाभाव वाले क्षेत्रों में जल को उपादेय बनाना तथा उसका पुनरुपयोग करना ।

(ग) इस गोष्ठी में किए गए निर्णयों के संबंध में भारत सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

Pipeline Project to Connect Koyali Refinery with Kalol and Nawabganj Areas

4321. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the progress made so far in regard to the pipeline project to connect the Koyali Refinery with Kalol and Nawabganj areas;

(b) the total outlay of the project and the capacity of pipeline for the transportation of oil and the transportation cost of oil per ton; and

(c) when this project is likely to be completed?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah): (a) Data regarding the technical parameters of the crude required for the design of the Pipeline are being compiled.

(b) The estimated capacity of the pipeline will be about 1.25 million tonnes per annum. It is too early to estimate the outlay or transportation cost of oil.

(c) During 1969.

Fertilizer Plant at Ghaziabad

4322. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the names and the financial position of the private concern which has been granted licence for the establishment of nitrogen fertilizer plant at Ghaziabad and the name of the foreign country collaborating;

(b) the total capital outlay of the plant and its total capacity of production; and

(c) the raw material to be used and the place from where it would be brought?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah): (a) M/s Modi Spinning and Weaving Co Ltd. have been granted a Letter of Intent for setting up a fertilizer factory at Ghaziabad in collaboration with M/s Rohm and Hass Company of Philadephia, of U. S. A. The financial position of the concern is sound.

(b) The estimated cost of the plant will be Rs. 36 crores of which Rs. 15.75 crores will be the foreign exchange. The Plant when ready will have the following installed capacity:—

Ammonia:	200,000 tonnes per year.
Urea:	340,000 ,, ,, ,,

(c) Naphtha will be used as raw material and the likely source to be drawn from will be Barauni refineries.

सिंचाई क्षमता का उपयोग

4323. **श्री इसहाक साम्भली :**

श्री स्वतंत्रानंद कोठारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई क्षमता का उपयोग करने तथा योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई की अतिरिक्त

क्षमता बनाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग हो इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) आशा है कि मार्च, 1968 तक बड़ी तथा मझली सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा 216 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करने की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण हो जायेगा जिसमें से 180 लाख एकड़ की सिंचाई क्षमता के उपयोग किए जाने की आशा है ।

(ख) भारत सरकार निर्मित सिंचाई क्षमता का निरन्तर रूप से पुनर्विलोकन कर रही है और इसको और अधिक गति देने के लिए उपाय कर रही है । मई, 1967 में राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन में किए गये एक निर्णय के अनुसरण में, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे सिंचाई क्षमता के उपयोग में विलम्ब के कारणों का परियोजनावार अध्ययन करें और बतायें कि इसमें क्या कठिनाइयां हैं और किन उपयों से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं और इस सम्बन्ध में केन्द्र से कितनी सहायता की आवश्यकता होगी ।

चुनींदा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिये केन्द्र में पुनर्विलोकन समितियां स्थापित की गई हैं ।

क्षेत्रीय बिजली 'ग्रिड'

4324 **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में और आगे क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्य पर अब तक खर्च की गई धनराशि क्या है; और

(ग) एक अखिल भारतीय बिजली 'ग्रिड' स्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) निम्न ग्रिडों का काम पूरा हो गया है :

220 किलो वोल्ट लिंक उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच;

220 किलो वोल्ट लिंक गुजरात और तारापुर परमाणु शक्ति घर के बीच;

220 किलो वोल्ट लिंक मैसूर और मद्रास के बीच; और

110 किलो वोल्ट लिंक मैसूर और केरल के बीच ।

निम्न का काम प्रगति पर है :

220 किलो वोल्ट लिंक हरियाना और राजस्थान और हरियाना और दिल्ली के बीच;

220 किलो वोल्ट लिंक बरास्ता तारापुर महाराष्ट्र और गुजरात के बीच; और

220 किलो वोल्ट लिंक केरल और मद्रास और मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के बीच ।

(ख) विभिन्न अन्तर्राज्यीय लिंकों के निर्माण पर अब तक लगभग 13 करोड़ रु० व्यय किए गये हैं।

(ग) प्रादेशिक ग्रिडों का पहला चरण अगले तीन वर्षों में पूरा हो जायेगा। एक अखिल भारतीय ग्रिड स्थापित करने की दृष्टि से अन्तर प्रादेशिक संपर्कों को तत्पश्चात आरम्भ करने का विचार है।

अन्तर्राज्यीय नदी जल बोर्ड

4325. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह दशक पहले पारित किये गये नदी बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय नदियों का उचित विकास करने के लिये अन्तर्राज्यीय नदी बोर्ड स्थापित करने की व्यवस्था की गयी थी;

(ख) क्या यह सच है कि अब तक कोई अन्तर्राज्यीय नदी जल बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अन्तर्राज्यीय नदी बोर्डों की शीघ्र स्थापना के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कुछ राज्य इन बोर्डों को स्थापित करने के पक्ष में नहीं थे। अतः यह निर्णय किया गया कि केन्द्रीय संगठनों को मजबूत बनाया जाय ताकि उन आवश्यक कार्यों को पूरा किया जा सके जिन्हें नदी बोर्डों को देने का विचार था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी उपक्रम

4326. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि वित्तीय संस्थाओं के वर्तमान नियमों में संशोधन किया जाये, जिससे कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इन संस्थाओं में गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के समान राशि ले सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी पूंजी

4327. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों का कोई परिणाम निकला है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में भारत में कितनी अतिरिक्त विदेशी पूंजी लगाई गई ?

उप-प्रधान तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1965 में समाप्त हुए पिछले कुछ वर्षों में विदेशी व्यापारियों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में लगायी गयी वास्तविक बकाया पूंजी के आंकड़े, जिनके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है, इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

	मार्च 1963	मार्च 1964	मार्च 1965
		के अन्त में	
सामान्य शेयर	597.6	624.7	668.0
ऋण	189.3	231.5	267.8
जोड़	786.9	856.2	935.8

इनके बाद के वर्षों में भारतीय संयुक्त पूंजी कम्पनियों (ज्वांइट स्टाक कम्पनियों) के सामान्य (इक्विटी) और तरजीही शेयरों में 1965-66 और 1966-67 में क्रमशः 35.4 करोड़ और 39.8 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दी गई थी। इन वर्षों में लगायी गयी पूंजी के वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

अल्प बचत प्रतिभूतियों में धन लगाना

4328. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष में अल्प बचत प्रतिभूतियों में कम धन लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). ऐसा प्रतीत होता है कि यह कमी मुख्यतः लगातार दो बार सूखा पड़ने से जनता के पास बचत की कम रकम होने के कारण हुई। इस वर्ष कृषि-सम्बन्धी उपज अच्छी होने की सम्भावना और गांव वालों की आमदनी बढ़ जाने से छोटी बचतों के रूप में अधिक धन लगाये जाने की सम्भावना है। साधन जुटाने के लिए, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, राज्य सरकारों के सहयोग से विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

अनुसूचित बैंकों के निदेशकों तथा अधिकारियों पर ऋण की राशि

4329. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित बैंकों के निदेशकों तथा अधिकारियों पर ऋण की राशि में हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो हाल के वर्षों में हुई वृद्धि का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित बैंकों के निदेशकों तथा अधिकारियों को दिये जाने वाले ऋणों के बारे में कोई अधिकतम सीमा निश्चित की गई है;

(घ) क्या इस अधिकतम सीमा का कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा है; और

(ङ) क्या अनुसूचित बैंकों के निदेशकों तथा अधिकारियों द्वारा लिये गये ऋणों का समय सूची के अनुसार भुगतान किया जा रहा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री(श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). यद्यपि वाणिज्यिक बैंकों के निदेशकों और अधिकारियों की ओर कर्ज 1957 के अन्त में 1.47 करोड़ रु० से 1966 के अन्त में बढ़कर 3.20 करोड़ रु० हो गया, फिर भी कुल बैंक ऋण की प्रतिशतता के रूप में यह .16 प्रतिशत से घट कर .13 प्रतिशत हो गया। अनुबन्ध में वर्षवार ब्योरा दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-2014/67]

(ग) और (घ). यद्यपि कोई कठोर अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की गई है, फिर भी इस बात को सुनिश्चित करना है कि बैंकों द्वारा निदेशकों और अधिकारियों को दिये जाने वाले ऋण एक उचित सीमा से अधिक न हों।

(ङ) अंशों के विरुद्ध दिये जाने वाले ऋणों के पुनर्भुगतान को छोड़कर अन्य पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में कोई योजना विहित नहीं है। रिजर्व बैंक अपने निरीक्षण के दौरान, यह सुनिश्चित करती है निदेशकों के लेखे संतोषजनक तरीके से रखे जाते हैं और यह कि ऋण देने में उनको अनुचित रियायत नहीं दी जाती है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत किसी निदेशक की ओर ऋण को रिजर्व बैंक की स्वीकृति के बिना मुआफ नहीं किया जा सकता।

राक फास्फेट और गंधक की प्राप्ति

4330. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के उर्वरक एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें उससे यह प्रार्थना की गई है कि वह राकेट फास्फेट और गंधक की प्राप्ति का कार्य राज्य व्यापार निगम से अपने हाथ में ले ले; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार का विचार नहीं है कि वर्तमान पद्धति या पालिसी में कोई परिवर्तन किया जाये ।

नर्मदा नदी पर गोरा में बांध

4331. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गोरा में नर्मदा नदी पर बांध बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति ली थी;

(ख) क्या अब राज्य सरकार का विचार नवगांव में एक बांध बनाने का है जो कि गोरा से, नदी के बहाव के ऊपर की ओर है; और

(ग) गोरा और नवगांव बांधों की प्रस्तावित ऊंचाई कितनी-कितनी है और वे समुद्र की सतह से कितनी कितनी ऊंचाई पर हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) गोरा के स्थान पर "बरोच (नर्मदा) परियोजना (चरण एक)" के रूप में एक 105 फुट ऊंचा बांध मंजूर किया गया था । गोरा की प्रस्तावित ऊंचाई 105 फुट है और समुद्र की सतह से इसकी ऊंचाई आरम्भ में 162 फुट और बाद में बढ़ाकर 310 फुट होगी । नवगांव की प्रस्तावित ऊंचाई 410 फुट होगी और समुद्र की सतह से इसकी ऊंचाई 490 फुट होगी ।

नर्मदा नदी का कैचमेंट एरिया

4332. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में नर्मदा नदी का कुल कैचमेंट एरिया अलग-अलग कितना है;

(ख) नर्मदा नदी में कुल कितना पानी आता है और उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों द्वारा कितने लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जाती है;

(ग) उक्त राज्यों में नर्मदा नदी क्षेत्र का कुल कितना क्षेत्र कृषि योग्य है;

(घ) उक्त राज्यों में अलग-अलग नर्मदा नदी कितनी लम्बी है; और

(ङ) मध्य प्रदेश में तथा गुजरात के नवगांव तथा गोरा में नर्मदा की ऊंचाई कितनी है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तीनों राज्यों में कुल कैचमेंट एरिया इस प्रकार है :

मध्य प्रदेश	3150 वर्ग मील
महाराष्ट्र ...	595 „ „
गुजरात	4400 „ „

(ख) नर्मदा नदी में से प्रति वर्ष औसत तौर पर 320 लाख घनफुट पानी बहता है। पानी का यह माप गरुदेश्वर के स्थान पर किया गया था और यह पिछले 17 वर्ष की औसत है।

(ग) उक्त राज्यों में नर्मदा नदी का सिंचाई क्षेत्र इस प्रकार है :

मध्य प्रदेश ...	95 लाख एकड़
महाराष्ट्र ...	0·10 लाख एकड़
गुजरात	57 लाख एकड़

(घ) पूर्णतः मध्य प्रदेश	670 मील
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच	21 मील
महाराष्ट्र और गुजरात के बीच	24 मील
पूर्णतः गुजरात में	100 मील
	कुल 815 मील

(ङ) स्रोत पर नर्मदा की ऊंचाई	3468 फुट
मध्य प्रदेश के अन्त पर	180 फुट
नवगांव पर	80 फुट
गोरा में	57 फुट

फिल्म कलाकारों द्वारा देय करों की बकाया राशि

4333. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय फिल्म कलाकारों द्वारा देय करों की बड़ी धनराशि वसूल करनी बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनसे प्रति व्यक्ति कितनी-कितनी राशि वसूल करनी बकाया है और उसको वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या किसी फिल्म कलाकार के विरुद्ध कर अपवंचन की कोई शिकायत आई है; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

तीन रुपये और चार रुपये के नोट

4334. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार तीन रुपये और चार रुपये के नोट जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस समय देश में कुल कितने मूल्य के नोट और सिक्के परिचलन में हैं; और

(घ) परिचालित कुल मुद्रा के लिये इस समय सोने का कितना रिजर्व रखा हुआ है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) इस समय देश में कुल लगभग 3242 करोड़ रुपये के नोट और सिक्के परिचलन में हैं ।

(घ) 115.89 करोड़ रुपये (सोने का मूल्य 53.58 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से लगाया गया है) ।

सहकारी कताई मिलें

4335. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है सहकारी कताई मिलों को पर्याप्त धन न मिलने के कारण गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में ऐसे कितने सहकारी मिल हैं और गत एक वर्ष में औद्योगिक वित्त निगम से तथा अन्य स्रोतों से, यदि कोई हों, उन्हें कितनी राशि के ऋण प्राप्त हुए ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सहकारी कताई मिलों को पर्याप्त धन जुटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और इसका खास कारण यह है कि वे मुख्यतः ऋण सम्बन्धी अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए उन वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर रहती हैं जो खुद ही विभिन्न प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की भारी मांगों को पूरा करने में असमर्थ हैं । सरकार ने औद्योगिक वित्त निगम को पर्याप्त धन देने का निश्चय किया है, ताकि निगम, विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर सके । वर्तमान लेखा वर्ष में पहली जुलाई, 1967 से 30 नवम्बर, 1967 तक की अवधि में औद्योगिक वित्त निगम ने एक

सहकारी कताई मिल के लिए 85 लाख रुपये के ऋण की मंजूरी दी है। अब तक रुई कातने वाली 14 सहकारी मिलों से और जूट कातने वाली एक सहकारी मिल से आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है। इनमें कुल मिलाकर ऋण-सहायता के लिए लगभग 8 करोड़ रुपये और विलम्बित अदायगियों के लिए 90 लाख रुपये की गारंटी की मांग की गयी है। आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं। आशा है कि औद्योगिक वित्त निगम सहकारी कताई मिलों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर सकेगा।

फास्फेट पर आधारित उर्वरक उद्योग

4336. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंधक और फास्फेट पर आधारित उर्वरक उद्योग को पर्याप्त सामान न मिलने के कारण हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) यदि नहीं, तो देश में इस उद्योग की कुल आवश्यकता की तुलना में राज्य व्यापार निगम द्वारा गत दो वर्षों में कितनी गंधक तथा राक फास्फेट सप्लाई की गई है; और

(घ) इस पर यदि कोई विदेशी मुद्रा व्यय की गई है तो कितनी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) क्योंकि 1965-66 और 1966-67 के दौरान में विश्व भर में सामग्री की कमी थी अत: काफी मात्रा में सामान की अप्राप्ति के कारण गंधक पर आधारित उद्योगों को कम क्षमता पर कार्य करना पड़ा। किन्तु स्थिति में अब कुछ सुधार हुआ है। जहां तक फास्फेट पर आधारित उर्वरक उद्योग का सम्बन्ध है, 1966 तथा 1967 में सामान की कोई कमी नहीं हुई। फिर भी दो या तीन यूनिटों को ठीक समय पर राक फास्फेट की सप्लाई को प्राप्त करने में कुछ कठिनाई पेश आई क्योंकि 1967 के मध्य में पश्चिमी एशिया में संकट उत्पन्न हुआ था।

(ख) पारस्परिक साधनों से सीमित सप्लाई को बढ़ाने के लिए जनवरी, 1967 में गंधक के आयात की नीति में सरकार ने छूट दी। इसके लिए अपारम्परिक साधनों से आयात की निम्न अनुमति थी :

(i) जहां पर आयतक न्यूनतम 5,000 मीटरी टन मात्रा की व्यवस्था करने में समर्थ हुए हैं।

(ii) वास्तविक प्रयोगकर्ता जिनकी वार्षिक आवश्यकताएं 5,000 मीटरी टन या अधिक हैं। मूल्य पर, जिस पर गंधक खरीदी जा सकती थी, प्रतिबन्ध भी हटाया गया।

जहां तक राक फास्फेट का सम्बन्ध है, स्थिति सामान्यत: सन्तोषजनक रही और राज्य व्यापार निगम ने सन्तुलित व्यापार प्रबन्धों के अन्तर्गत आयात जारी रखा।

(ग) और (घ). गंधक और राक फास्फेट की कुल आवश्यकताएं, राज्य व्यापार निगम द्वारा सप्लाई की गई मात्राएं और पिछले दो सालों में उन पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :

	कुल आवश्यकताएं	राज्य व्यापार निगम द्वारा सप्लाई की गई मात्रा	खर्च की गई विदेशी मुद्रा
		सलफर	
1966-67	440,000 मीटरी टन	54,000 मीटरी टन	97.50 लाख रुपये
1967-68	621,000 ,,	148,000 ,,	753.00 ,, (नवम्बर, 1967 तक)
		राक फास्फेट	
1966-67	1,175,000 ,,	1,044,000 ,,	748.46 लाख रुपये
1967-68	900,000 ,,	353,000 ,,	133.33 ,, (नवम्बर, 1967 तक)

मनीपुर लोक निर्माण विभाग

4337. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में चूड़ा चांदपुर डिवीजन के लोक निर्माण विभाग ने पिछले दो वर्षों में लगभग पांच लाख रुपये के लगभग 50 निर्माण कार्य बिना टेन्डर मांगे तथा कई निर्माण कार्य निर्धारित दर से 50 प्रतिशत अधिक दर पर कुछ ठेकेदारों को दिये थे;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है तथा ठेकेदारों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले को जांच के लिए केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर में इण्डियन आयल कम्पनी के पैट्रोल के व्यापारी

4338. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र में इण्डियन आयल कम्पनी के व्यापारियों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या एक नये व्यापारी की नियुक्ति की गई थी और इसे मनीपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्टोर और वर्कशाप के अहाते में एक प्लाट दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो पट्टे का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) मेसर्स फूलचन्द टेकचन्द व्यापारी-स्वामित्व आधार पर मनीपुर में भारतीय तेल निगम के दो फुटकर पम्पों को लगाये हुये हैं।

(ख) और (ग). प्रस्तावित फुटकर पम्प के लिये, जिस पर कारपोरेशन का स्वामित्व है और जिसके लिये मनीपुर प्रशासन ने कारपोरेशन को इम्फाल में पी० डब्ल्यू० डी० के स्टोर के पास 1.5 एकड़ के एक सरकारी स्थल का आवंटन कर दिया है, अभी तक किसी नये व्यापारी की नियुक्ति नहीं की गई है। प्रशासन ने इंडियन आयल कारपोरेशन को मानक शर्तों पर भूमि को पट्टे पर देना मान लिया है। भूमिविलेख के लम्बित होने तक भूमि का कब्जा दे दिया गया है। अभी तक प्रशासन ने कारपोरेशन को भूमि-विलेख के ब्योरे नहीं दिये हैं।

Cases of Untouchability Registered in Madhya Pradesh

4339. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) the number of cases registered so far in Madhya Pradesh under the untouchability (Offences) Act since the date of enforcement of the said Act;

(b) the number of cases out of them brought before the courts; and

(c) the results of these cases?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha): (a) to (c). The information is being collected from the State Government.

Development of Electricity in States

4340. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the amount of financial aid given to Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat, separately, during the five years ending March, 1967 for the development of electricity;

(b) whether it is a fact that the amount of aid given to Madhya Pradesh in proportion to its population is the lowest; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) to (c). The expenditure for the development of electricity in a State is incurred within the State Plan ceilings which are finalised, after taking into account the State's own resources and the financial assistance received from the Centre for the overall Plan from time to time. The total expenditure on power development for the five years ended 31st March, 1967, is as follows:—

Madhya Pradesh	..	Rs. 96.08 crores
Maharashtra	..	Rs. 115.13 crores
Gujarat	..	Rs. 72.51 crores

The expenditure on power development varies from State to State according to its programme of development. However, the expenditure per capita on power development during the five years ended March, 1967, in Madhya Pradesh, as compared with the States of Maharashtra and Gujarat, was not the lowest.

Houses in Madhya Pradesh

4341. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) the number of new houses constructed in Madhya Pradesh during the last four years under the various Housing Schemes of the Central Government; and

(b) the number of persons who were benefited thereby?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) and (b). The information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the House in due course.

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

4342. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिये भारत से कार्यकारी निदेशक और वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है; और

(ख) अब तक नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जिन पांच सदस्य देशों का सबसे अधिक अंशदान है, उनमें से एक होने के कारण, भारत को निधि के लिए एक कार्यकारी निदेशक और एक वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है। ये नियुक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की सलाह से और वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री की मंजूरी से की जाती हैं।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-2015/67]

Untouchability

4343. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that untouchability and casteism are the two biggest obstacles in the way of social welfare work; and

(b) if so, the steps taken to encourage intercaste marriages?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha): (a) These are two of several factors; others are attitudes of the people, the population explosion, lack of resources, etc.

(b) Some States are organising inter-caste functions and affording monetary inducements to encourage such marriages.

पौंड पावना

4345. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1966 के अन्त तक भारत की पौंड पावना की स्थिति क्या थी; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि (सोने को छोड़कर) जून 1966 के अन्त में 398.65 करोड़ रुपए थी। निर्यात की आमदनी बढ़ाकर, आयात पर निर्भरता घटाकर और मित्र देशों से सहायता प्राप्त करके विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के लिए बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Seizure of Gold and Silver in Bombay

4346. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of gold and silver seized in Bombay during November, 1967;

(b) the names of the countries whose markings were found on the gold and silver seized and the quantity thereof; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) and (b). During the month of November, 1967 gold weighing approximately 552 Kg. (including 2000 gold guineas) valued at about Rs. 46,43,000 at international rate and silver weighing approximately 8271 Kg. valued at about Rs. 39,13,000 were seized by the Customs and Central Excise authorities in Bombay.

The seized gold had U. K. and French markings. The silver was of Indian origin.

(c) The cases are still under investigation.

कुपोषण के कारण रक्त की कमी होना तथा रक्त भंडारों का अभाव

4347. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री मरंडी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियन एण्ड पैसेफिक सोसायटी आफ हैमैटालोजी (एशियाई तथा प्रशान्त रक्त विज्ञान संस्था) के कथनानुसार कुपोषण के कारण रक्त की कमी होने के मामले संसार में सबसे अधिक भारत में हैं, और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तो लगभग 95 प्रतिशत व्यक्ति कुपोषण के कारण रक्त की कमी से पीड़ित हैं;

(ख) क्या जनसंख्या में शीघ्रता से वृद्धि होने तथा पोषण स्तर में गिराव आने के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में यह समस्या बहुत गम्भीर हो गई है;

(ग) क्या यह भी कहा गया है कि रक्त भंडारों की कमी के कारण, रक्त सम्बन्धी गड़बड़ी का समुचित इलाज नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो निर्धन लोगों को सस्ते दामों पर पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा रक्त भंडार की संख्या में वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) एशियन एण्ड पैसेफिक सोसाइटी आफ हैमैटालोजी (एक गैर-सरकारी निकाय) के निष्कर्ष सरकार के ध्यान में नहीं आये हैं।

देश में पोषण सम्बन्धी रक्त क्षीणता युवा बच्चों में 60 प्रतिशत और गर्भवती माताओं में 50 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। यह प्रतिशत विश्व में सर्वाधिक है इसके कोई प्रमाण नहीं हैं।

(ख) पोषण सम्बन्धी रक्त क्षीणता के मामलों में स्वतंत्रता के बाद कोई गम्भीर वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) जहां तक सम्भव हो सकता है रक्त स्राव अथवा रक्त स्राविक विकारों के प्रत्येक रोगी को रक्त भण्डारों द्वारा रक्त दिया जा रहा है।

(घ) देश में कुपोषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय बरते जा रहे हैं :

(1) विभिन्न एजन्सियों की सहायता से चलाये जा रहे नीचे लिखे कार्यक्रमों के माध्यम से अनुपूरक खाद्य दिये जाते हैं :

(क) व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन देना;

(ख) बालवाड़ियों के माध्यम से भोजन बांटना।

(ग) 'कअर' आहार कार्यक्रम; और

(घ) यूनिसेफ दुग्धाहार कार्यक्रम।

(2) माताओं को पोषण विषयक शिक्षा देना ताकि वे आमतौर पर उपलब्ध सस्ते भोजनों में से अपने बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर सकें।

(3) प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा कुपोषण के प्रारम्भिक रोगियों का उपचार करना।

(4) खाद्य विभाग ने बाल-आहार, बहूद्देश्यीय खाद्य (मल्टीपरपजफूड), मां का दूध छुड़ाने वाला खाद्य (वीनिंग फूड) आदि जैसे उच्च प्रोटीन युक्त आहार तैयार करने की परियोजनाएं चला कर बच्चों तथा अन्य रोगानुकूल वर्गों में प्रोटीन विषयक कुपोषण को रोकने के लिए कदम उठाये हैं।

आगामी वर्षों में कुछ प्रमुख स्थानों में क्रमिक रूप से अधिक रक्त भण्डार तथा रक्त दान केन्द्र खोलने का विचार है।

दिल्ली में पानी की कमी

4348. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न कालोनियों को पानी की सप्लाई बार-बार बन्द किये

जाने के कारण दिल्ली निवासियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वित्तीय वर्षों में पानी की सप्लाई कितनी बार और कितने कितने समय के लिये तथा किन-किन कालोनियों के लिए बन्द की गई थी;

(ग) इसके क्या कारण थे; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० ब० सु० मूर्ति): (क) से (घ). अपेक्षित सूचना दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका से एकत्र की जा रही है तथा मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सामान्य भविष्य निधि

4349. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1965 से मार्च, 1966 तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने सामान्य भविष्य निधि में कुल कितनी धनराशि जमा कराई; और

(ख) इस अवधि में कर्मचारियों द्वारा इस निधि से ऋण लेकर कितनी राशि निकाली गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):(क) सामान्य भविष्य निधि में अप्रैल, 1965 से मार्च, 1966 तक कुल 29.54 करोड़ रुपये जमा हुए (जिसमें 4.28 करोड़ रुपये की व्याज की रकम भी शामिल है)।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

अर्द्ध-सरकारी संगठनों में नियुक्त किये जाने पर पिछली सरकारी सेवा के लाभ

4350. **श्री एस० एम० जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सरकारी कर्मचारी को, जिसका एक सरकारी विभाग के किसी अन्य मंत्रालय के किसी सरकारी विभाग में तबादला होता है, तो नये विभाग में स्थायी रूप से नियुक्ति हो जाने पर, चाहे तबादला लोक हित में हुआ हो अथवा अन्यथा, उपदान और पेंशन के मामले में अपने मूल विभाग में की गई सेवा का पूरा लाभ मिलता है;

(ख) क्या यह भी सच है, कि इन श्रेणियों के व्यक्तियों को, उनका किसी अन्य अर्ध-सरकारी संगठन परिषदों में तबादला होने पर जिनका खर्चा मंत्रालयों की समेकित निधियों से दिया जाता है, उनकी इन संगठनों आदि में स्थायी रूप से नियुक्ति हो जाने पर अपनी पिछली सेवा का तथा अपने मूल सरकारी विभाग में की गई सेवा के परिणामस्वरूप उपदान पेंशन आदि का लाभ नहीं मिलता चाहे उनकी उस विभाग में कितनी भी अधिक सेवा हों; और

(ग) यदि हां, तो क्या अब सरकार का विचार अपनी नीति को बदलने का है और सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार करने का है चाहे वे कर्मचारी सरकारी विभाग में हों अथवा उसकी सम्बद्ध निगमों और परिषदों आदि में ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) अर्द्ध-सरकारी संगठनों/परिषदों को स्थानान्तरित व्यक्तियों को वेतन आदि, भारत की समेकित निधि से नहीं, बल्कि उनके सम्बन्धित संगठनों की निधियों से दिया जाता है। जहां ऐसा स्थानान्तरण लोक हित में किया जाता है वहां स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारियों को सरकार के अधीन की गई सेवा के सम्बन्ध में सेवा-निवृत्ति-लाभ मिलते हैं।

(ग) जी, नहीं। सरकार से अलग तौर से कानूनी अस्तित्व रखने वाले अर्द्ध-सरकारी संगठनों को किये जाने वाले स्थानान्तरणों की स्थिति सरकारी विभागों के बीच होने वाले स्थानान्तरणों से भिन्न है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को सहायक अनुदान

4351. **श्री स० कुन्डू** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में समाज कल्याण विभाग के लिये सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) चालू वर्ष में किन संगठनों को सहायक अनुदान मिल गया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) 25 लाख रुपये।

(ख) अब तक लगभग 18 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। ये संस्थाएं जैसे हो आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर देंगी, शेष राशि भी बांट दी जाएगी।

(ग) एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-2016/67]

मनीपुर में लोकटाक परियोजना

4352. **श्री मेघचन्द** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर की लोकटाक परियोजना की क्रियान्विति के मामले में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) लोकटाक बहुमुखी परियोजना की विस्तृत जांच पूरी कर ली गई है और मनीपुर सरकार द्वारा विद्युत भाग के लिये एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है।

(ख) अब तक 7,08,000 रु० का व्यय किया जा चुका है।

सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋण की सीमा निश्चित करना

4353. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 292 के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋण की सीमा निश्चित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकारी ऋणों पर सीमा निर्धारित करने के प्रश्न की अब तक कई बार जांच की गई है और इस नतीजे पर पहुंचा गया कि ऐसी सीमाएं निर्धारित करने से कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्रालयों में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

4354. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों द्वारा व्यय किये जाने वाले धन पर निगाह रखने के लिये विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये नियुक्तियां कहां तक उपयोगी सिद्ध हुई हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अब तक केवल थोड़े से ही मंत्रालयों में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार नियुक्त किये गये हैं। अन्य मंत्रालयों में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) आन्तरिक वित्तीय सलाहकार न केवल मंत्रालयों द्वारा किये जा रहे व्यय की वृद्धि पर निगरानी रखते हैं अपितु मंत्रालयों को सौंपे गये वित्तीय अधिकारों के पालन में सलाह भी देते हैं। यह प्रणाली उपयोगी पायी गयी है।

इण्डियन आयल कारपोरेशन के पाइपलाइन्स तथा रिफाइनरीज डिवीजन

4355. **श्री दामानी** :

श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्यकुशलता में तदनुरूप बढ़ोतरी हुए बिना इण्डियन आयल कारपोरेशन में रिफाइनरीज डिवीजन से पाइपलाइन्स डिवीजन को अलग करने से ऊपरी खर्च बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो खर्च में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या इन दोनों डिवीजनों का विलय करने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). पाइप लाइन डिवीजन को अलग करने से ऊपरी खर्चे में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है । अतिरिक्त खर्चा लगभग दो लाख रुपए वार्षिक था । इस डिवीजन की स्थापना, बड़ी नयी परियोजनाओं के निर्माण और चालू करने की अवधि के दौरान समावेशक दक्षता तथा कन्ट्रोल के लिये सहायक सिद्ध हुई है ।

(ग) सरकार ने सरकारी उपक्रमों की कमेटी द्वारा हाल ही में की गई सिफारिश, कि पाइपलाइन डिवीजन को कम्पनी के अन्य डिवीजनों अर्थात् रिफाइनरीज तथा मार्कीटिंग डिवीजन में से किसी एक के साथ मिला दिया जाये, को मान लिया है ।

स्वीडन के लिये चिकित्सक तथा गर्भ निरोधक उपकरण

4356. **श्री मणि भाई जे० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री 1 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1232 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन को उनके परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए भारत द्वारा चिकित्सक तथा गर्भ-निरोधक उपकरण दिये जाने के सम्बन्ध में बातचीत इस बीच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). 1 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1232 के उत्तर में उल्लिखित बातचीत का सम्बन्ध भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए स्वीडन की सहायता से था। हाल ही में स्वीडन अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (एस० आई० डी० ए०) के एक प्रतिनिधि मण्डल ने भारत का दौरा किया और इस सम्बन्ध में भारत सरकार से बातचीत की । प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही स्वीडन सरकार इस सहायता के स्वरूप और मात्रा के बारे में निर्णय करेगी ।

पंजाब में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मकान

4357. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के विभाजन के समय, केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारी तत्कालीन पंजाब सरकार के मकानों में रह रहे थे;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार के इन कर्मचारियों को बेदखल करने का प्रयत्न कर रही है जब कि उनके पास केन्द्रीय सरकार के 200 क्वार्टर हैं; और

(ग) यदि हां, तो शिमला में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). यह रिपोर्ट मिली है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला में 83 रिहायशी यूनिटों के दखलकारों को नोटिस दे दिये हैं। इनमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रह रहे हैं। ये यूनिट भूतपूर्व पंजाब सरकार के हैं, तथा पंजाब के पुनर्गठन होने पर ये केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित कर दिये गये। ये निवास-स्थान सामान्य पूल में हैं। अन्य संपत्ति जो कि केन्द्रीय सरकार के पास थी हिमाचल प्रदेश सरकार को दे दी गयी। केन्द्रीय सरकार इस मामले पर हिमाचल प्रदेश सरकार से बात-चीत कर रही है।

शिमला में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

4358. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये वहां पर मकानों की बहुत कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मकानों की इतनी कमी होने पर भी कुछ समय पूर्व सरकार ने लगभग दो सौ सरकारी क्वार्टर हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके कर्मचारियों को एलाट करने के लिये दे दिये थे;

(ग) क्या इस तथ्य के बावजूद भी कि पंजाब के विभाजन के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में रिहायशी मकान अर्जित कर लिये हैं, उन्होंने अभी तक ये क्वार्टर केन्द्रीय सरकार को वापस नहीं किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) शिमला में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए रिहायशी वास की स्थिति अन्य स्थानों से अच्छी है। औसतन, 58 प्रतिशत का वास मिल गया है।

(ख) अक्टूबर, 1965 से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी सामान्य पूल से निवास स्थान के आवंटन के अधिकारी थे। अक्टूबर, 1965 से ऐसे कर्मचारियों के लिए एक अलग पूल बना दिया गया था तथा ऐसे कर्मचारियों के पास 183 मकान थे वे हिमाचल प्रदेश सरकार को दे दिये गये और तभी से ऐसे कर्मचारियों को सामान्य पूल से आवंटन करने पर विचार नहीं किया जाता।

(ग) और (घ). पंजाब के पुनर्गठन होने पर शिमला में भूतपूर्व पंजाब सरकार की सम्पत्ति 1 नवम्बर, 1966 से केन्द्रीय सरकार को सौंप दी गई। इस सम्पत्ति में से सभी गैर-रिहायशी संपत्ति तथा कुछ रिहायशी संपत्ति, भाग (ख) में उल्लिखित 183 रिहायशी यूनिटों के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंप दी गई और सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि इस सम्पत्ति में से किसी को भी वापस नहीं लिया जाए।

चौथी योजना की अवधि में मध्य प्रदेश की सिंचाई योजनाएं

4359. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के लिये मध्य प्रदेश सरकार की सिंचाई योजनाओं संबंधी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श कर लिया गया है और उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). सिंचाई से सम्बन्धित मध्य प्रदेश सरकार के चतुर्थ योजना के प्रस्तावों की रूपरेखा पर नवम्बर, 1966 में चर्चा की गई थी। चतुर्थ योजना को अन्तिम रूप अभी दिया जाना है।

अंदमान लोक निर्माण विभाग के बढ़ई

4360. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंदमान लोक निर्माण विभाग के औद्योगिक संवर्ग में मुख्य भूमि से भर्ती किये गये बढ़इयों को बिना किराया दिए उचित श्रेणी के क्वार्टर मिलने का अधिकार था;

(ख) उनको बिना किराये के क्वार्टर कब दिये गये थे और उन्हें ये क्वार्टर उनको भर्ती के कितने दिन बाद दिये गये;

(ग) क्या जून, 1962 में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना के अन्तर्गत बिना किराये के मकान के बदले में उनको मकान किराया भत्ता मिलने का अधिकार था; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन बढ़इयों को उस अवधि के लिये जब उनको बिना किराये के मकान नहीं दिये गये थे, मकान किराया भत्ता देने का है ?

निर्माण, आवास, तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। वे निःशुल्क वास के अधिकारी हैं।

(ख) पोर्ट ब्लेयर पर आने के तुरन्त बाद।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यात शुल्क में कमी

4361. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अर्थ-व्यवस्था को गतिशील बनाने के उपायों के सम्बन्ध में प्रगतिशील दल को सम्बोधन करते हुए बम्बई में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के अध्यक्ष

के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें देश की अर्थ-व्यवस्था को गतिशील बनाने की दृष्टि से चुनींदा वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क घटाने की मांग की गई है और निर्यात बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने की योजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ के अध्यक्ष पौण्ड के अवमूल्यन के संदर्भ में अपने सुझाव दे रहे थे । इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया 20 नवम्बर, 1967 को संसद् में दिये गये वक्तव्य में पहले से ही बतायी जा चुकी है ।

हथकरघा उपकर

4362. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमृतसर की हथकरघा ऊन की रद्दी बुनकर तथा तैयार कर्त्ता संघ द्वारा अमृतसर में बुनकरों पर उनकी रद्दी से हथकरघा में बनायी गयी वस्तुओं पर लगाये गये हथकरघा उपकर के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो संघ द्वारा अपने अभ्यावेदन में क्या मांगें की गई हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी हां । इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, 1953 के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत लगाये जाने वाले हथकरघा-उपकर की मांगों को प्रभावी नहीं किया जाय ।

(ग) स्थानीय केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों को यह सलाह दी गई है कि वे उक्त अधिनियम की कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये उपर्युक्त मांगों को लागू नहीं करें, क्योंकि उनके संशोधन के लिये विधायी कार्यवाही की जा रही है ।

Demonstration by Reserve Bank of India Employees in Patna

4363. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the 20th November, 1967, employees of the Patna Branch of the Reserve Bank of India held a demonstration in front of the new office of the bank protesting against bringing outside employees for the Patna Branch of the Bank;

(b) whether the bank employees union has made efforts for the last four months to arrive at some agreement on this issue with the management;

(c) whether it is also a fact that none of the representatives of the Bank management take part in the negotiations started by the Joint Labour Commissioner of Bihar Government; and

(d) if so, whether Government propose to take any action against the bank management and if not the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) As the management and the employees could not arrive at a mutually acceptable solution, the matter was taken up for conciliation by the Assistant Labour Commissioner (Central), Hazari Bagh.

(c) As there were no prospects of any agreement on the basic issue even after two Conciliation Meetings held in July and September, 1967, the Bank felt that no useful purpose will be served by continuing the conciliation proceedings and did not, therefore, attend the meeting convened by the Assistant Labour Commissioner on the 15th November, 1967.

(d) The Assistant Labour Commissioner has recently reported failure of the conciliation proceedings and further action to be taken in this regard will now be considered by Government.

सरकारी शिष्टमंडलों तथा मंत्रियों द्वारा दौरों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

4364. **श्री रा० की० अमीन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1966 से 31 अक्तूबर, 1967 तक की कालावधि में सरकारी शिष्टमंडलों तथा मंत्रियों के दौरों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ख) यह खर्च 1 नवम्बर, 1965 से 31 अक्तूबर, 1966 तक की अवधि में इसी संबंध में किये गये खर्च की तुलना कम है या अधिक ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

चंदा समिति का प्रतिवेदन

4365. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री 3 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7910 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंदा समिति के प्रतिवेदन को एक गोपनीय कागजात माना गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर न रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या चंदा समिति की समस्त सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). चन्दा कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार के द्वारा लिए गये निर्णयों को बताने वाला एक विवरण इस मंत्रालय के द्वारा 22 जनवरी, 1963 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2508, दिनांक 7 सितम्बर, 1962 के आश्वासन के उत्तर में सभा-पटल पर रख दिया गया था । इसे ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट की प्रति को सभा-पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझा गया । रिपोर्ट की प्रतियां सरकार के आश्वासनों पर लोक-सभा की समिति (लोक-सभा कमेटी आन गवर्नमेंट एश्योरेंस) के पास उपलब्ध है ।

कलकत्ता में तैनात सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय

4366. **श्री बेणीशंकर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अपने पर और आश्रितों पर किये गये चिकित्सा संबंधी व्यय को बिना किसी अधिकतम अथवा न्यूनतम सीमा के भी सरकार से वसूल करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1965-66 और 1966-67 में डाक व तार घर विभाग तथा आयकर विभाग के प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या और उनकी इस प्रकार दी गई धन राशि के बारे में विवरण सभा-पटल पर रखने का है; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी के लिये औसतन प्रति व्यक्ति कितना धन व्यय किया गया और उनके मूल वेतन से यह व्यय किस अनुपात में है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कलकत्ता में तैनात अथवा उसकी सीमाओं से होकर गुजर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा-परिचर्या) नियमों के अधीन स्वीकृत सीमा तक तथा उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन और उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के अनुसार की जाती है ।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

फिल्मी कलाकारों द्वारा विदेशी मुद्रा के विनियमों का उल्लंघन

4367. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 में कुछ फिल्मी कलाकारों ने, जो भारत में बनाई गई कुछ फिल्मों की आउटडोर शूटिंग के लिये विदेशों को गये थे, विदेशी मुद्रा के विनियमों का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन फिल्मी कलाकारों के नाम क्या हैं और उन पर कुल कितना जुर्माना किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 1967 में, ऐसे किसी फिल्म अभिनेता को विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1967 के उपबन्धों का उल्लंघन करते नहीं पाया है, जो भारत में बनायी गयी फिल्मों के आउटडोर शूटिंग में भाग लेने के लिए गया हो ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Seizure of Silver in Bombay

4368 **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that bricks of silver worth about Rs. 20 lakhs were seized from a ship after a hot chase near Bombay by the officials of the Central Excise Department in November, 1967;

(b) whether it is also a fact that gold, silver and nylon worth Rs. 22.5 lakh were also seized in Bombay city during the same month; and

(c) if so, the full details in this regard and the steps taken by Government to check such activities?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c) On 19th November, 1967 the officers of the Bombay Central Excise Collectorate intercepted a vessel after a chase in the see near Versova port and seized 125 silver ingots valued at about Rs. 19,75,000/- from the vessel. The vessel was also seized. The persons on board the vessel were arrested. The case is under investigation.

During the month of November, 1967 gold valued at Rs. 5.87 lakhs at the international rate, silver valued at Rs. 58.56 lakhs and nylon yarn valued at approximately Rs. 5.02 lakhs were seized in Bombay city for action under Customs law.

The Customs officers posted at various places are maintaining strict vigilance to prevent smuggling activities.

ज्ञनपुली सिंचाई परियोजना

4369. **श्री अ० दीपा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में ढेंकनाल जिले के अथामलिक सब-डिवीजन में, ज्ञनपुली सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये 1957-58 में सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि सर्वेक्षण कार्य तब से पूरा हो चुका है किन्तु अभी तक आगे कोई निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) उड़ीसा सरकार ने सूचना दी है कि सिंचाई विभाग द्वारा ऐसी किसी परियोजना की जांच नहीं की गई थी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

जवाहर सागर बांध

4370. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर सागर बांध का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस परियोजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) आशा है कि जवाहर सागर बांध 1970-71 तक पूरा हो जायेगा।

(ग) 1354 लाख रु०।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता। परियोजना पूरे जोरों से चल रही है।

उड़ीसा को सहायता

4371. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री अ० दीपा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूफान से पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिये किये जाने वाले खर्च की सीमा बढ़ाने से सम्बन्धित उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव के बारे में सरकार ने निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, सरकार का यह निर्णय क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंजूर बस्तियां

4372. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस समय दिल्ली तथा नई दिल्ली में मंजूर बस्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) दिल्ली तथा नई दिल्ली में अभी तक मंजूर न की गई बस्तियों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ग) दिल्ली तथा नई दिल्ली की कितनी तथा किन-किन बस्तियों को मंजूर करने के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है;

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या उन कालोनियों के मंजूर न होने की अवस्था में उन लोगों को कोई मुआवजा दिया जायेगा, जिन्होंने इन बस्तियों में अपने मकान बना रखे हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर यथासमय रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

4373. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि करने के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक में औसत 10 अंकों की और वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक अपना निर्णय घोषित कर दिये जाने की संभावना है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 205 से ऊपर पहुंच गया है, और इस प्रकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में पिछला संशोधन करने के बाद से 10 अंकों की वृद्धि हो गयी है।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है।

फिल्म अभिनेता श्री देवानन्द द्वारा दिया गया आयकर

4374. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म अभिनेता, श्री देवानन्द ने पिछले तीन वर्षों में आयकर की पूरी राशि जमा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस फिल्म अभिनेता को उक्त अवधि में कुल कितनी आय हुई;

(ग) उक्त अवधि में इस फिल्म अभिनेता पर कितना आयकर लगाया गया और उसने इसमें से कितनी धनराशि जमा की; और

(घ) श्री देवानन्द ने भारतीय फिल्म उद्योग के साथ कितने फिल्मी ठेके किये और प्रत्येक फिल्मी ठेके का मूल्य कितना था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

एक फिल्म अभिनेता द्वारा आयकर की चोरी

4376. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962-63 से 1966-67 तक के लिये प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, श्री दिलीप कुमार

पर कितना आयकर लगाया गया, उससे कितनी राशि वसूल की गई और उससे कर की कितनी बकाया राशि वसूल की जानी है;

(ख) क्या जाली कागज पेश करके उसके द्वारा करापवंचन किये जाने का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है; और

(ग) यदि हां, तो आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) श्री दिलीप कुमार के मामले में कर-निर्धारण की कार्यवाही कर-निर्धारण वर्ष 1962-63 तक पूरी हो चुकी है। उक्त कर-निर्धारण वर्ष के लिए 60,231 रुपये का आयकर लगाया गया था और यह रकम वसूल हो गई है।

कर-निर्धारण वर्ष 1963-64 से 1966-67 के लिए नीचे दिये अनुसार आमदनी विवरणियों में दिखाई गई है और रकमें जमा कराई गई हैं :

कर-निर्धारण वर्ष	विवरणी में दिखाई गई आमदनी	जमा कराई गई रकम
	रु०	रु०
1963-64	1,42,096	92,523
1964-65	2,54,111	1,45,753
1965-66	2,62,757	1,32,146
1966-67	2,39,322	1,31,630

(ख) अभी तक कोई जाली दस्तावेज सरकार के देखने में नहीं आये हैं। यह अवश्य है कि प्रोडक्शन के मामले में पकड़ी गयी सामग्री की जांच पड़ताल की जा रही है।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता क्योंकि फिलहाल कर की कोई रकम बकाया नहीं है।

Financial Assistance Sought by Bihar

4377. **Shri Ram Singh Ayarwal**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bihar Government have approached the Central Government for financial assistance in order to make payment of salaries to the State Government employees;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the amount of assistance given by Government so far?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b) and (c). Does not arise.

राजौरी गार्डन (दिल्ली) में श्मशान भूमि

4378. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नजफगढ़ रोड और राजौरी गार्डन में ब्लाक नंबर जे-2 के बीच स्थित श्मशान भूमि की चारदीवारी को कब गिराया जायेगा; और

(ख) इस श्मशान भूमि के सामने वाले स्थान का कब विकास किये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Automation in L. I. C.

4379. **Shri Mrityunjay Prasad**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he had stated that 60,000 out of the 1,60,000 employees of the Life Insurance Corporation (including the Agents) have become surplus consequent on the introduction of automation therein ;

(b) if not, the factual position thereof ;

(c) the number of employees who will be rendered surplus and the arrangements being made to provide the surplus employees with alternative jobs ;

(d) whether there is much discontentment among the employees on this account ; and

(e) if so, the steps being taken to remedy the same ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) No, Sir.

(b) and (c). The net reduction in the number of jobs on account of introduction of computers is expected to be 158 over three years. Both the Corporation and Government have given unequivocal assurances that there would be no retrenchment.

(d) and (e). All India Insurance Employees' Association is carrying on agitation against the introduction of computers. In view of the clear assurances given in the matter, Government do not propose to take any step.

Prevention of Floods in Ganga

4380. **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Engineer (flood-control) of the Central Water and Power Commission had been asked to submit a report on measures to prevent floods in Ganga which cause heavy damages in Moradabad District of Uttar Pradesh every year;

(b) if so, whether Government have received the report; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (c). A preliminary report was prepared after an inspection by an officer of Central Water and Power Commission in September, 1967. This indicated the need for detailed Surveys and Investigations for Technical assessment of the problem and formulation of proposals. These are now being carried out by Chief Engineer, Uttar Pradesh. The site will shortly be jointly inspected by the Chief Engineers Central Water and Power Commission and the Chief Engineer Uttar Pradesh, and thereafter the final report will be submitted.

ऋषिकेश में प्रतिजीवाणु पदार्थ कारखाना

4381. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋषिकेश में प्रतिजीवाणु पदार्थ कारखाने में जहां 2 वर्ष पूर्व एक बड़ा प्रयोगात्मक संयंत्र चालू किया गया था और जिसमें मुख्य संयंत्र पिछले दिसम्बर में चालू किया गया था अभी तक बेचने योग्य कोई भी पदार्थ तैयार नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). हालांकि यह सच है कि ऋषिकेश में प्रतिजीवाणु संयंत्र में अभी तक कोई बेचने योग्य पदार्थ तैयार नहीं हुआ, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि मुख्य संयंत्र गत दिसम्बर में चालू हुआ था। पोटासियम पैनिसिलिन उत्पादन लाइन को मई, 1967 में चालू किया गया था और स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादन के लिये विभिन्न लाइन्स चालू होने ही वाली हैं। बेचने योग्य पैनिसिलिन के जनवरी, 1968 से मार्कीट में उपलब्ध हो जाने की आशा है।

ऋषिकेश में प्रतिजीवाणु औषधि कारखाना

4382. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञापनों तथा चुनाव बोर्डों की सुव्यवस्थित प्रक्रियों का अनुसरण किये बिना ऋषिकेश में प्रतिजीवाणु औषधि कारखाने में कम योग्य और कम अनुभवी अधिकारी नियुक्त किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार सभा-पटल पर एक ऐसी सूची रखेगी जिसमें इस कारखाने के उच्चस्तर के अधिकारियों के नाम, उनकी योग्यतायें, पूर्व अनुभव, वर्तमान तथा पूर्व वेतन, पदनाम तथा नियुक्ति का ढंग दिया हुआ हो;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि अत्यन्त योग्य टेक्नोलोजी के विशेषज्ञों को चुन-चुन कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, दबाया जा रहा है और उनका तबादला किया जा रहा है; और

(घ) कारखाने को सुचारु रूप से चलने में बाधा डालने के लिये कारखाने के ही कर्मचारियों के प्रत्यक्ष प्रयत्नों से, इस कारखाने को बचाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) अफसरों की दो सूचियां (जिनमें से एक का वेतनमान 1300 से 1600 रुपये और दूसरे का 1100 से 1400 रुपये के बीच है) पूर्ण ब्योरे सहित संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०**-2017/67]

(ग) जी नहीं । प्रबन्धकों द्वारा किये गये तबादले कारखाने के श्रेष्ठ हितों और नौकरी की उपेक्षाओं (exigencies) में हैं । यह विचार करना ठीक नहीं है कि उन्हें परेशान और तरिस्कृत किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतिजीवाणु औषधि-निर्माण कारखाना, ऋषिकेश

4383. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिजीवाणु औषधि निर्माण कारखाना, ऋषिकेश के कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये कथित गम्भीर कदाचारों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कर्मचारी संघ ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि कुछ लोग दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं और ईमानदार अधिकारियों का तबादला करके रिकार्डों में परिवर्तन की धमकी दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले की जांच करने के लिये तथा इस सरकारी उपक्रम को जानबूझ कर नुकसान पहुंचाये जाने के प्रयत्न को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा ऋषिकेश के प्रतिजीवाणु औषधि-निर्माण कारखाने से सम्बंधित दो मामलों में जांच की जा रही है । इन मामलों में से किसी में भी किसी उच्च अधिकारी का विशेष रूप से जिकर नहीं है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी तक इन दोनों मामलों की जांच की जा रही है ।

(ख) एक अमान्य प्राप्त कर्मचारी संघ ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सूचित किया है कि अधिकारी उन व्यक्तियों, जिन्होंने जांच करने में सहायता दी है या सहायता करने के इच्छुक हैं, को तंग कर रहे हैं ।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

All India Institute of Medical Sciences, New Delhi

4385. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1734 on the 10th August, 1967 and state the nature of action taken by Government in regard to the distribution of such proselytising literature against the employees concerned among the patients in the All-India Institute of Medical Sciences, New Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : Departmental proceedings have been drawn up against an Assistant Matron and a Staff Nurse of the Institute who are allegedly concerned with the distribution of literature on Christianity in the Hospital. The enquiry is in progress.

The Nursing Staff and the Watch and Ward staff have also been cautioned to be vigilant about any proselytising activity within the premises of the Institute.

आसाम सिलिमेनाइट

4386. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० पी० सी० सी० से सम्बद्ध एक फर्म, आसाम सिलिमेनाइट के कामकाज की कोई जांच कराई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

फर्मों के निलम्बन अथवा काली सूची में रखे जाने के लिये नियम

4387. **श्री साधू राम** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्भरण और निबटारा महानिदेशक ने एक फर्म को निलम्बित करने, उस पर प्रतिबंध लगाने, उसको हटाने या उसको काली सूची में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम, विनियमन और प्रक्रिया बनाई है और क्या सभी के सूचनार्थ तथा मार्गदर्शन के लिये इनका समुचित प्रचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी;

(ग) क्या यह सच है कि जब किसी फर्म को काली सूची में रखा जाता है या निलम्बित किया जाता है या उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो उसे उस सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जाती;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि फर्मों को काली सूची में रखने से पूर्व उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये जाते और उन्हें कारण बताने और अपने पक्ष में सफाई देने का अवसर नहीं दिया जाता; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) संभरण-कर्ताओं के लिये एक मानीकृत संहिता है। इसकी प्रतियां सभी सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दी गई हैं। इस संहिता की प्रतियां जनता को नहीं दी गई हैं।

(ख) इस संहिता की एक प्रति पेट्रोलियम और रसायन मंत्री द्वारा 27 जुलाई, 1967 को तारांकित प्रश्न संख्या 1411 के उत्तर में सभा-पटल पर रखी गई थी।

(ग) उनको सूचित नहीं किया जाता है।

(घ) ऐसा करना लोकहित में नहीं समझा गया है।

(ङ) यदि कोई फर्म कदाचार करती है, तो उसका नाम काली सूची में दर्ज कर दिया जाता है, जैसा कि मानीकृत संहिता में दिया गया है। किसी फर्म का नाम काली सूची में लिखने से पहले सरकार केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करती है। फर्म को कारण बताओ सूचना जारी नहीं की जाती है।

(च) इस मामले में फर्म के साथ लिखापढ़ी करना लोकहित में नहीं समझा जाता।

नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में मकानों का अलाटमेंट

4388. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा दूकानें विशेष व्यवसाय के लिये अलाट की जाती हैं और साधारणतया व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं दी जाती तथा यदि हां, तो व्यवसाय में परिवर्तन करने के बारे में क्या नियम हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक म्यूनिसिपल दूकान में एक व्यवसाय करने की अनुमति दी जाती है और खाली दूकानों के लिये दिया जाने वाला मासिक किराया विभिन्न व्यवसायों के लिए भिन्न-भिन्न होता है;

(ग) क्या व्यवसाय में किसी परिवर्तन की विशेषतया नाममात्र किराये वाली पुरानी दूकानों के मामले में, अनुमति देने से पहले मासिक किराये/लाइसेंस शुल्क में वृद्धि कर दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और इस प्रकार की वृद्धि के नियम क्या हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हां। म्यूनिसिपल दुकानें/स्टाल विशेष व्यवसायों के लिये दिये जाते हैं। व्यवसाय बदलना समझौते की शर्तों का उल्लंघन करना है तथा प्रत्येक मामले पर उसकी गम्भीरता के अनुसार विचार किया जाता है।

(ख) किसी दुकान के खाली होने पर उसे टेण्डर द्वारा अलाट किया जाता है जिससे स्वभावतः लाइसेन्स शुल्क भिन्न-भिन्न व्यवसाय में भिन्न-भिन्न होता है।

(ग) व्यवसाय बदलने के मामलों पर पात्रता के आधार पर विचार किया जाता है; उस समय यह ध्यान में रखा जाता है कि दुकानें दूसरे व्यवसाय के उपयुक्त हैं या नहीं। दुकान पाने वाले व्यक्ति की प्रार्थना पर लाइसेंस शुल्क बढ़ाकर भी व्यवसाय बदलने की अनुमति दे दी जाती है।

(घ) जैसे उपर्युक्त भाग (ग) में कहा गया है। अलग-अलग मामले पर उसकी पात्रता के अनुसार विचार किया जाता है।

रणजीत होटल

4389. **श्री रा० बरुआ :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रंजीत होटल में ठहरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होने के कारण उसके प्रारंभ होने के समय से ही हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मूल योजना के अनुसार इसको नौकरी करने वाली युवतियों के होस्टल में परिवर्तित करने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। रहने वालों की संख्या में अभी हाल ही में सुधार हुआ है। अक्तूबर 1967 में यह अपनी विस्तार क्षमता की 73 प्रतिशत, नवम्बर, 1967 में 67 प्रतिशत थी। ऐसी संस्थाओं के लोकप्रिय होने में तथा लाभ में चलने में सामान्यतः दो से तीन वर्ष लगते हैं। अब तक जो अग्रिम बुकिंग हुई है उससे दिसम्बर, 1967 से लेकर मार्च, 1968 तक रहने वालों की संख्या में और अधिक औसत होने की संभावना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में होटल में लाभ होगा इसकी पूरी आशा है।

(ख) जी नहीं।

वनस्पति निर्माताओं द्वारा अदा किया गया आयकर

4390. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वनस्पति निर्माता ने आयकर, अधिकर तथा अन्य करों की कितनी वार्षिक राशि दी है ?

उप प्रधान-मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : वनस्पति निर्माताओं द्वारा प्रतिवर्ष चुकाये गये आयकर, अधिकर तथा अन्य करों के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

फिल्मी कलाकार द्वारा कर का अपवंचन

4391. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, राजेन्द्र कुमार को 1960 से लेकर 1967 में अब तक की वार्षिक आय का पता लगा लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में उन्होंने कितना आयकर दिया;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त फिल्म अभिनेता पिछले तीन या चार वर्षों से आयकर का अपवंचन कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उस फिल्म अभिनेता से पूरा आयकर वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में आयकर दाता

4392. **श्री गणेश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतम आयकर देने वाले पहले दस व्यक्तियों पर 1962 से 1967 तक कितना आयकर लगाया गया है;

(ख) इन व्यक्तियों ने अन्दमान सरकार तथा गैर-सरकारी स्टेशन पोतों के द्वारा उपरोक्त अवधि में वर्ष-वार कितना-कितना माल आयात किया; और

(ग) उनके नाम पर इसके अतिरिक्त कितनी सम्पत्ति और कौन-कौन से संस्थान हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

Power Projects in Madhya Pradesh

4393. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a power project is proposed to be taken up in Tikamgarh and Chattarpur districts of Madhya Pradesh in collaboration with U. S. A.;

(b) if so, the reasons for the delay; and

(c) the action taken by Government for early implementation ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (c). The Madhya Pradesh State Electricity Board had proposed the investigation by experts of USAID, of a Pilot Rural Electric Co-operative to be set up covering the district of Tikamgarh and one neighbouring tehsil of Chattarpur district. The project could not however be accommodated in the progress of investigation by the USAID team.

Safeguards for Scheduled Castes and Backwards Classes

4394. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demand was made at the All-India Scheduled Castes and Backward Classes Conference held recently that the period of safeguards for them should be extended further ; and

(b) if so, the decision taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) (a) Yes.

(b) The matter will be considered at the appropriate time.

Aid from West Germany

4395. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that West Germany has promised aid to India to the tune of 6 crores of dollars for the next year ; and

(b) if so, what is the nature of assistance ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पृथक मंत्रालय

4396. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये केन्द्र में एक पृथक मंत्रालय बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस मंत्रालय का क्षेत्राधिकार क्या होगा ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिये विदेश सहायता

4397. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को अपने परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिये स्वीडन, डेनमार्क तथा रूस से सहायता मिलने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए विदेशी सहायता की स्थिति इस प्रकार है :

स्वीडन : हाल ही में स्वीडन अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (एस० आई० डी० ए०) के एक प्रतिनिधि मण्डल ने भारत का दौरा किया और भारत सरकार से भारतीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में स्वीडन की सहायता के बारे में बातचीत की। प्रतिनिधिमण्डल की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही स्वीडन सरकार इस सहायता के सही ब्योरे और मात्रा का निर्णय करेगी।

डेनमार्क : डेनमार्क सरकार ने 10,000 लूप (एन्टीगोन) भेजे, जिन पर भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के तत्वावधान में, भारत में, क्लीनिकल परीक्षण किये जा रहे हैं। सहायता के अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

सोवियत संघ : हाल ही में रूस के स्वास्थ्य मंत्री से एक यंत्र 'वैक्यूम एस्पीरेटर' उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था जिससे गर्भपात आसानी से किया जा सकता है। भारत में क्लीनिकल परीक्षण के लिए 10,000 रूसी लूप देने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

निष्पादन के आधार पर बजट का बनाया जाना

4398. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने केन्द्र और राज्यों में निष्पादन के आधार पर बजट बनाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्र में ऐसे यूनिट स्थापित करने का है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार को अभी तक आयोग से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). पहली जुलाई, 1967 से अर्थ-विभाग में सम्पन्न कार्य सम्बन्धी बजट एकक (परफार्मेंस बजट यूनिट) संगठित किया गया है। बजट प्रस्तुत करने के प्रचलित रूप के अलावा चुने हुये मामलों में कार्यक्रम और सम्पन्न कार्य के वर्गीकरण के अनुसार अनुमान तैयार करने और प्रस्तुत करने का विचार है।

नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में खतरनाक तथा हानिकारक व्यापार

4399. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका की अपने क्षेत्र में 'खतरनाक तथा हानिकारक व्यापार' पर उनके कुप्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबन्ध लगाने की नीति है; और

(ख) यदि हां, तो भगत सिंह मार्किट के वर्तमान छपाई प्रेसों को उनके द्वारा अपने प्रभावित पड़ोसियों से 'आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र' प्रस्तुत कर दिये जाने के बावजूद भी बिजली की कम वोल्टेज की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) खतरनाक तथा हानिकारक व्यापार के लिये लाइसेंस पंजाब नगरपालिका कानून की धारा 121 के अनुसार तथा नई दिल्ली नगरपालिका के स्वास्थ्य उपनियमों और दिल्ली मास्टर प्लान की आपेक्षाओं को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं।

(ख) भगत सिंह मार्किट के छापेखाने इन स्वास्थ्य उपनियमों के उपबन्धों के विरुद्ध हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली मास्टर प्लान के अनुसार भगत सिंह मार्किट ऐसे व्यवसाय के प्रतिकूल क्षेत्र में आता है।

ग्रांड होटल, शिमला

4400. **श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1620 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रांड होटल शिमला का ठेका शीघ्र समाप्त होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो इसका नवीकरण किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसको पुनः पट्टे पर दिए जाने के परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त आय होने की संभावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) ग्रांड होटल शिमला का पट्टा 14 अप्रैल, 1968 को समाप्त हो जायेगा।

(ख) मामला परीक्षाधीन है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयली तेल शोधक कारखाना

4401. **श्री द० रा० परमार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवशिष्ट तेल पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और कितना;

(ग) क्या यह भी सच है कि अवशिष्ट तेल पर लगे उत्पादन शुल्क में वृद्धि के कारण गुजरात राज्य के तेल शोधक कोयली तेल शोधक कारखाने में उत्पादन 30 लाख टन से घटकर लगभग 18 से 19 लाख टन हो गया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कोयली तेल शोधक कारखाने में उत्पादन कम हो जाने के कारण गुजरात राज्य में मिट्टी का तेल कम मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, गुजरात राज्य को मिट्टी के तेल की पर्याप्त सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) . जी नहीं । समय-समय पर भिन्नताएं पाई गई हैं । जब यह नवम्बर, 1966 में 89.65 रुपये प्रति मीटरी टन थी तब उत्पादन शुल्क 7 मार्च, 1967 में 86·85 रुपये प्रति मीटरी टन था ।

(ग) जी नहीं । 1967-68 के दौरान में कोयली तेल शोधक कारखाने में कच्चे तेल को शोधित करने की क्षमता 2 मिलियन मीटरी टन निर्धारित की गई थी । विद्युत संयंत्र में कई कठिनाइयों के परिणामस्वरूप धुवारन विद्युत केन्द्र द्वारा अवशिष्ट ईंधन-तेल की कम खपत के कारण शोधनशाला निर्धारित क्षमता पर कार्यान्वित होने में समर्थ नहीं हुई है ।

(घ) और (ङ). गुजरात राज्य के लिए मिट्टी के तेल का मासिक कोटा 18.550 मीटरी टन है । वास्तविक सप्लाई निम्न प्रकार रही है :

जून	17951 मीटरी टन
जुलाई	14606 ,, ,,
अगस्त	17056 ,, ,,
सितम्बर	18227 ,, ,,
अक्तूबर	18563 ,, ,,

जुलाई 1967 में कम सप्लाई का कारण यह था कि स्वेज नहर के बन्द होने से आयात में बाधा पड़ी ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आवास योजनाएं

4402. **श्री द० रा० परमार :**
श्री रणधीर सिंह :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1580 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमीन खरीदनें, मकानों के निर्माण और निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित राज-सहायता कितनी है;

(ख) राजसहायता की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है या राज्य सरकारों द्वारा; और

(ग) किन-किन राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आवास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और उन राज्यों को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कितनी राशि राजसहायता दी जाती है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) उपदान की मात्रा राज्यों में भिन्न-भिन्न है तथा वह प्रत्येक मकान की जमीन के लिए 200 रुपए से 500 रुपए तक है। कुछ राज्यों में मकानों की जमीनें सरकार द्वारा अध्याप्त कर ली जाती हैं तथा उन्हें मुफ्त नियत कर दिया जाता है। साधारणतया, आवास के निमित्त उपदानों के प्रयोजन के लिए एक मकान बनवाने की लागत 1200 रुपए नियत की गई है, जो राज्य सरकार के स्वविवेक से 1600 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। हिमालय की सीमा पर स्थित बरफ से ढके क्षेत्रों के लिए लागत 2000 रुपए नियत की गई है। इस शिखर लागत के मुकाबले 75% का उपदान दिया जाता है तथा शेष 25% हिताधिकारी द्वारा दिए जाने की आशा की जाती है। राज्य योजना की स्कीमों के अधीन उपदान पर हुआ खर्च 60:40 के आधार पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में बांटा जाता है तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में वह खर्च 100% के आधार पर केन्द्रीय सरकार उठाती है।

(ख) उपदान राज्य सरकारों के जरिए हिताधिकारियों को दिया जाता है।

(ग) आवास योजनाएं किसी न किसी रूप में सभी राज्यों में चल रही हैं। चालू वर्ष के लिए राज्यों के खर्च के आंकड़े इस वर्ष के समाप्त होने पर ही उपलब्ध होंगे।

दिल्ली में फलों के व्यापारी के निवास स्थान पर छापा

4403. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमाशुल्क अधिकारियों ने अफगानिस्तान से ताजा फलों के आयातकर्ता श्री लेख राज के दिल्ली में शक्ति नगर स्थित निवास स्थान तथा क्लाथ मार्केट स्थित कार्यालय में 1963 से कई बार छापा मारा है; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक उसके विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) . सीमा-शुल्क अधिकारियों ने 31 मई, 1963 और 2 जनवरी, 1964 को दिल्ली में श्री लेख राज के स्थानों की तलाशी दो अन्य व्यक्तियों से पकड़े गये सोने के कतिपय मामलों की जांच पड़ताल के सिलसिले में ली थी। इन तलाशियों में दोषारोपणीय कुछ नहीं पाया गया और इसलिए सीमा-शुल्क कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने का सवाल उपस्थित नहीं हुआ।

दिल्ली की फल-विक्रेता फर्म द्वारा तस्करी व्यापार का किया जाना

4404. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 और 1967 में सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों ने बम्बई से 51 इन्दिरा मार्केट, दिल्ली 7 के मेसर्स लेख राज मामन चन्द को भेजे गये एक पार्सल में लगभग 5 लाख रुपये दो बार पकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म के विरुद्ध की जा रही जांच अब किस स्थिति में है;

(ग) क्या यह सच है कि यह फर्म अमृतसर, दिल्ली और बम्बई में अपनी शाखाओं के माध्यम से अफगानिस्तान से ताजा फलों और मेवों की पेटियों में चोरी छिपे सोना भेजती है; और

(घ) इस फर्म को काली सूची में शामिल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

(ग) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वित्त आयोग

4405. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व नया वित्त आयोग स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब निर्णय की घोषणा की जायेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) पिछले

वित्त आयोग की सिफारिशें 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के लिये हैं। अगला आयोग नियुक्त करने के सम्बन्ध में एक या दो महीने में निर्णय किया जायेगा।

पार्श्व गायकों द्वारा दी गई आयकर की राशि

4406. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लता मंगेशकर तथा मुहम्मद रफी, इन दो प्रसिद्ध फिल्मी पार्श्व गायकों की मासिक अथवा वार्षिक आय का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में उन्होंने कितना आयकर दिया था;

(ग) क्या यह सच है कि इन पार्श्व गायकों को रिकार्डों की बिक्री पर रायल्टी मिलती है;

(घ) यदि हां, तो रायल्टी से होने वाली आय पर अब तक कितना कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले पांच कर-निर्धारण वर्षों में अर्थात् 1962-63 से लेकर 1966-67 तक का आयकर उनके द्वारा नीचे दिये गये अनुसार अदा किया गया है।

कर-निर्धारण वर्ष	कुमारी लता मंगेशकर	मुहम्मद रफी
	रु०	रु०
1962-63	70,102	29,873
1963-64	88,016	63,630
1964-65	54,026	43,618
1965-66	60,000	31,132
1966-67	63,627	53,262

(ग) जी, हां।

(घ) रायल्टी पर उन्होंने जो आयकर दिया है वह इस प्रकार है :

कुमारी लता मंगेशकर	62,148 रु०
मुहम्मद रफी	11,751 रु०

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई तथा विद्युत की संभाव्यताओं के बारे में प्रतिवेदन तैयार करना

4407. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी अविकसित देश ने सिंचाई तथा विद्युत् की संभाव्यताओं के बारे में सर्वेक्षण करने तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2018/67]

सिंचाई और विद्युत् क्षमता के बारे में प्रतिवेदन तैयार करना

4408. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार करने का काम सुचारु रूप से करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) 1961 में योजना आयोग द्वारा सभी राज्य सरकारों को एक परिपत्र जारी किया गया था।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में इस बात पर भी बल दिया गया है कि किसी भी नई योजना को पंचवर्षीय योजना में शामिल करने से पहले इसकी पूरी तरह जांच की जानी चाहिये और लाभ और लागत के पुख्ता अनुमानों के साथ एक पूरा परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों/परियोजना अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। जहां पर आवश्यक हो, जांच प्रमाणों को सुदृढ़ करने की भी उनको सलाह दी गई है।

औषधियों के मूल्य की वृद्धि पर प्रतिबन्ध

4409. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधि उद्योग ने बढ़ती हुई लागत को ध्यान में रखते हुए औषधियों के मूल्यों में वृद्धि पर 1963 में लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने की मांग की है;

(ख) क्या सरकार इसके लिये सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). जी नहीं। ड्रग्ज इण्डस्ट्री द्वारा बताये गये मद परीक्षाधीन हैं। सरकार टैरिफ कमीशन की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है; जो स्वयं 18 आवश्यक औषधियों के मूल्य ढांचा आदि की जांच कर रहा है।

फरक्का बांध परियोजना

4410. **श्री राम चरण :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1967 तक फरक्का बांध परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ख) इस परियोजना पर आरम्भ में कितना व्यय होने का अनुमान था और संशोधित अनुमान क्या है; और

(ग) यदि अनुमानों में वृद्धि हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) 48.02 करोड़ रु०।

(ख) और (ग). 56.40 करोड़ रु० के लिये प्रशासनिक स्वीकृति 1960 में दी गई थी। 1962 में, मूल्यों में वृद्धि पर विचार करते हुए, 68.59 करोड़ रु० के व्यय के लिये मंजूरी दी गई थी। मंजूरी, सामग्री की लागत आदि में वृद्धि के कारण लागत में और वृद्धि हो गई है। पुनरीक्षित अनुमान 156 करोड़ रु० का है जो कि विचाराधीन है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का कलकत्ता से स्थानान्तरण

4411. **श्री राम चरण :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कलकत्ता में अनुसचिवीय तथा वास्तुकला के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को वहां चार वर्ष का कार्य काल पूरा करने के बाद दिल्ली वापिस बुलाने के कोई आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन आदेशों को कहां तक लागू किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक गैर-राजपत्रित वास्तुकला के कर्मचारियों का संबंध है, उनमें से किसी ने भी अपनी चार वर्ष की अवधि पूरी नहीं की है। फिर भी, उनमें से चार वापस दिल्ली स्थानान्तरण हो चुके हैं।

अनुसचिवीय कर्मचारियों का दिल्ली में वापस स्थानान्तरण उचित प्रकार से किया जायेगा ताकि कोई बड़ा विस्थापन न हो। तीन उच्च श्रेणी लिपिकों को स्वदेश वापस भेजने के संबंध में आदेश जारी किये जा चुके हैं। एक और उच्च श्रेणी लिपिक को स्वदेश वापस भेजने के आदेश

शीघ्र ही जारी किये जायेंगे। शेष कर्मचारियों को जिन्होंने कलकत्ता में अपने चार वर्षों की अवधि पूरी कर ली है तथा जो दिल्ली वापस स्थानान्तरित होना चाहते हैं उन्हें यथाशीघ्र स्वदेश वापस भेज दिया जायेगा।

बम्बई के एक उद्योगपति को दिया गया 'पी' फार्म

4412. **तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 37, पाली हिल्स बम्बई, के निवासी एक उद्योगपति श्री योधराज, को सितम्बर, 1967 में लन्दन तथा अन्य स्थानों पर जाने के लिये 'पी' फार्म जारी किया गया था;

(ख) क्या वह एक महीने से अधिक समय विदेशों में रहे; और

(ग) साधारणतः 'पी' फार्म किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है और उपरोक्त मामले के सम्बन्ध में इतने लम्बे समय के लिये पी फार्म जारी करने के क्या कारण थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां। उन्हें अपनी बेटी से मिलने के लिए, जिसका एक बड़ा आप्रेशन होना था, ब्रिटेन जाने की अनुमति दी गई थी। बाद में उन्हें पूर्व और पश्चिम जर्मनी की 25 दिन की एक व्यापार सम्बन्धी यात्रा के लिये विदेशी मुद्रा दी गई थी।

(ख) जी हां।

(ग) निकट सम्बन्धियों से मिलने के ऐसे मामलों में 3 महीने तक के लिए 'पी' फार्म की स्वीकृति आमतौर पर दे दी जाती हैं। इस प्रकार इस मामले में स्वीकृति सामान्य नीति के अनुसार ही दी गई थी।

उपभोक्ता मूल्य देशनांक

4413. **श्री गार्डिलिगन गौड** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1967 में समाप्त होने वाले पिछले बारह मास में से प्रत्येक मास में अखिल भारतीय श्रमजीवी उपभोक्ता मूल्य देशनांक के सम्बन्ध में आंकड़े क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : आवश्यक आंकड़े निम्न सारणी में दिये गये हैं :

अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य-सूचक अंक

		(आधार : 1949 = 100)
नवम्बर, 1966	...	194
दिसम्बर, 1966	...	197

जनवरी, 1967	...	197
फरवरी, 1967	...	198
मार्च, 1967	...	200
अप्रैल, 1967	...	202
मई, 1967		206
जून, 1967	...	211
जुलाई, 1967	...	213
अगस्त, 1967		215
सितम्बर, 1967		214
अक्तूबर, 1967	...	217

दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना

4414. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री न० कु० सोमानी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 नवम्बर, 1967 को दिल्ली में झुग्गियां गिराई गई थीं जिससे लगभग 10,000 व्यक्ति बेघरबार के हो गए थे; और

(ख) क्या इन झोपड़ियों को गिराने से पूर्व झुग्गियों के निवासियों को उचित वैकल्पिक स्थान दे दिया गया था ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). झुग्गी झोपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत, नई दिल्ली स्टेशन के निकट केला गोदाम क्षेत्र में लगभग 4,000 अनधिकृत झुग्गियों को, जिनमें लगभग 18,000 व्यक्ति रह रहे थे, 26 तथा 27 नवम्बर, 1967 को गिरा दिया गया। लगभग 1,500 व्यक्तियों के पात्र अनधिवासी परिवारों को अर्थात् उनको जो कि जुलाई, 1960 के पूर्व से सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर अनधिवास कर रहे थे, नजफगढ़ रोड पर नियमित झुग्गी झोपड़ी कालोनी में वैकल्पिक वास दे दिया गया था। शेष अपात्र परिवारों को, जो कि इस योजना के अन्तर्गत किसी सुविधा के अधिकारी नहीं हैं, नांगलोई तथा हस्ताल इन दो स्थानों पर भेज दिया गया।

Condition of Jhuggi Dwellers Shifted to Hastal and Nangloi (Delhi)

4415. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri N. K. Somani :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that in Hastal and Nangloi, where Jhuggi dwellers

have been resettled, many persons, mostly children and women, have taken ill due to cold and for want to housing accommodation and proper arrangements for sanitation ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b). No complaint about the illness of jhuggi dwellers shifted to Hastal and Nangloi sites has been received. Facilities of water and community latrines exist at these two sites. In addition to sweepers, one Sanitary Inspector has also been detailed for the purpose of supervision. Surveillance operations have been instituted to check any fever cases and prepare blood slides, with a view to ascertaining whether there are any positive cases of malaria. Facilities for vaccination against small pox have been extended to the persons living in these areas. A mobile van has been detailed at Hastal to provide medical relief. At Nangloi there is a regular dispensary. Adequate number of shamianas and tents have also been put up at the two sites to provide shelter against cold.

Floods in U. P.

4416. **Shi Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the steps being taken by Government to restore the means of communications dislocated as a result of heavy floods in the districts of Ghazipur, Ballia, Gorakhpur and Basti, etc?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : According to information obtained from the State Government, the portions of the roads which were cut off during the floods in the districts of Ghazipur, Ballia, Gorakhpur and Basti, have been made up in **kachha** strips and the traffic has been restored. There was no dislocation of rail communication in these districts.

Floods in U. P.

4417. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the lives and properties of lakhs of residents of Eastern districts of Uttar Pradesh particularly of Ballia and Ghazipur, Gorakhpur and Basti are still continuing to be insecure and unsafe as a result of the recent floods ; and

(b) if so, the financial assistance rendered and other steps being taken to help them in this regard ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b). This year's floods in the districts of Ballia, Ghazipur, Gorakhpur and Basti had affected a population of about 10 lakhs and a cropped area of about 4 lakh acres, besides destroying or damaging about 22,000 houses.

The State Government have so far sanctioned about Rs. 1.3 crores for gratuitous relief, housing subsidy, taccavi loans ; test relief works, etc. in these four districts. Foodgrains, milk powder, biscuits, etc. were also made available for distribution among the destitutes and other vulnerable population. Test relief works had been organised which have since been closed down as there has been no further response from the people.

A number of flood control schemes have already been executed in the eastern districts of U. P. Further works comprising construction of embankments, drainage channels, raising of villages, etc. are proposed to be undertaken by the State Government.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति के लिये परीक्षा

4418. **श्री उमानाथ :**
श्री अनिरुधन :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों ने 27 नवम्बर, 1967 को होने वाली पदोन्नति की परीक्षा का वहिष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं। स्टाफ एसोसियेशन ने परीक्षा का वहिष्कार नहीं किया किन्तु उन्होंने कुछ मांगें की हैं जो कि विचाराधीन हैं। वे इसके लिए राजी हो गये हैं कि यथा प्रस्तावित विभागीय परीक्षा की जाये तथा सरकार उनकी मुख्य मांग पर जो कि वरिष्ठ निम्न श्रेणी लिपिकों (एल० डी० सीज) को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत करने की थी, सरकार विचार करेगी। तथापि, परीक्षा के वास्तविक दिन अर्थात् 27-11-1967 को दिल्ली केन्द्र के निम्न श्रेणी लिपिकों (एल० डी० सीज) ने परीक्षा नहीं दी जो कि शेष 24 केन्द्रों पर कर्मचारियों के द्वारा दी गई थी।

(ख) एसोसियेशन की मुख्य मांग थी कि सभी ग्रेडों में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाये तथा यदि यह स्वीकार्य न हो तो उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि उच्च श्रेणी लिपिकों (यू० डी० सीज) के ग्रेड में आंशिक रूप से (चालीस प्रतिशत) परीक्षा के द्वारा तथा आंशिक रूप से (साठ प्रतिशत) वरिष्ठता के द्वारा पदोन्नति की जाये।

(ग) मांगें विचाराधीन हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर प्रदेश के दो मंत्रियों की दिल्ली में गिरफ्तारी

Shri Atal Behari Vajpayee (Balrampur): I want to raise a point of order. We have submitted an adjournment motion. Calling Attention Notice is not sufficient.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह प्रसन्नता की बात है कि आपने ध्यान आकर्षक सूचना को स्वीकार किया, पर यदि आप ध्यान आकर्षक सूचना को पढ़ें तो उसमें कहा गया है कि "उत्तर प्रदेश के दो मंत्रियों की दिल्ली में गिरफ्तारी" इसमें कहां कहा गया है कि गिरफ्तार किये गये मंत्रियों को घसीटा गया तथा गाली दी गई और पीटा गया। अतः मैं निवेदन करूँगा कि मेरे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कुछ स्थगन प्रस्ताव आये हैं वे न केवल मंत्रियों से सम्बन्धित हैं बल्कि कानून व्यवस्था तथा सरकार के विरुद्ध अविश्वास के सम्बन्ध में भी हैं। मैं उसके लिये एकदम समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। मैं मंत्रणा समिति की बैठक बुलाना चाहूंगा और तब इसके लिये समय निर्धारित करूंगा।

Shri Atal Behari Vajpayee : If you are fixing the time then we would like that a censure motion against the Government may be permitted to bring. Besides this I would like that the time fixed should be such that there may be quorum in the House. I think it should be 4 o'clock.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सब सहमत हैं तो यह ठीक है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): It is not necessary to call the Sitting of Business Advisory Committee for an Adjournment Motion. It is very clear under our Rules that it will be discussed at 4 P. M.

अध्यक्ष महोदय : परन्तु श्री बाजपेयी का प्रस्ताव मेरे सामने है। मेरे सामने कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है। यदि चार सदस्य अलग-अलग प्रस्ताव देते हैं तो मैं उन चारों प्रस्तावों पर अलग चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा नियम 56 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है।

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : क्या जब अध्यक्ष महोदय बोल रहे हों तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : इस सम्बन्ध में चर्चा की अनुमति देने के लिये मैं अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं। इस प्रस्ताव से सरकार की निन्दा के लिये आवश्यक स्थगन प्रस्ताव की सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं। जब एक स्थगन प्रस्ताव आपके सम्मुख है तो उसके सम्बन्ध में विनिर्णय लेना और उसे स्वीकार करना आपका कार्य है।

अध्यक्ष महोदय : इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में मैं कुछ व्यक्तियों से सलाह लेकर समय निश्चित करूंगा।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki): I call the attention of the Minister of Home Affairs on the following matter of Urgent Public Importance and request him to make a statement thereon.

"The arrest of two Ministers of Uttar Pradesh at Delhi on the 12th December, 1967."

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : 12 दिसम्बर, 1967 को दिल्ली के जिला दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत विधिवत लागू की गई निषेधाज्ञा को भंग करके तालकटोरा रोड पर जलूस निकालते हुए अपराह्न काल 2 बज कर 15 मिनट पर श्री प्रभु नराथण सिंह, श्री राम स्वरूप वर्मा, श्री बचन राम तथा नौ अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किये गए। उन्हें उसी दिन अपराह्न काल में 4 बज कर चालीस मिनट पर न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक अभिरक्षण में प्रतिप्रेषित कर दिया गया। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अपराधों के लिये सक्षम अधिकार वाले न्यायालय द्वारा 13 दिसम्बर, 1967 को अभियोग चलाया गया और न्यायालय के बंद होने तक के लिये साधारण कारावास का दंड दिया गया।

Shri Ram Sewak Yadav : The information given by the Hon. Minister in this regard is entirely insufficient. I want to know three or four things from him.

Whether the Home Minister was consulted before arresting those three Ministers of Uttar Pradesh? Whether it is a fact that they were given Class B by the dealing Magistrate and whether Class B on the warrant was made as class A with red ink on that warrant.

The court closes at 5.00 P. M., but the statements of five out of twelve accuseds were taken at that time. I want to know whether any Judge or Magistrate can convict any person before hearing him?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : कल गिरफ्तारी के बाद ये मंत्री और कुछ और व्यक्ति न्यायालय के सामने सड़क पर बैठे थे। कुछ सदस्य मेरे से मिले थे और निवेदन किया था कि मैं उनसे मिलूं और उनसे उस स्थान को छोड़ने के लिये कहूं। मैंने उनसे कहा था कि मैं सड़क पर नहीं मिल सकता। यदि आप मेरी ओर से उनसे कहें कि वे घर चले जांय तो मैं अवश्य उनसे मिलूंगा। आज सुबह मैं श्री राज नारायण के घर गया और उन दो मंत्रियों से मिला।

गृह मन्त्रालय पुलिस को कोई आदेश नहीं देती। पुलिस को स्वयं कानूनी तौर पर कार्य करना होता है। श्रेणी के सम्बन्ध में मुझे न्यायालय से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। परसों मजिस्ट्रेट के सामने जो वारंट था उस पर मंत्रियों को श्रेणी 'बी' देने का सुझाव दिया गया था। परन्तु मजिस्ट्रेट महोदय ने आदेश दिये कि मंत्रियों और विधान सभा के सदस्यों को 'ए' श्रेणी दी जाती है अतः वारंट में यह संशोधन किया गया था।

यदि वे समझते हैं कि आदेश गैर-कानूनी हैं तो वे उनके विरुद्ध अपील कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : Nothing has been said about the illtreatment given to the Ministers.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इस सम्बन्ध में मैं दिल्ली प्रशासन के कुछ उच्च पदाधिकारियों से मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का आग्रह करूंगा। तभी मैं जानकारी दे सकूंगा।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : प्रेस रिपोर्ट से यह पता लगता है कि इन मंत्रियों के साथ अपराधियों का सा व्यवहार किया गया। उन्होंने भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने केवल धारा 144 का ही उल्लंघन किया है। प्रजातन्त्र में शान्ति पूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई है।

पुलिस ज्यादतियों के लिये मैं अदालती जांच की मांग करूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख कर, महान्यायवादी से सलाह कर सदस्यों और मंत्रियों के विशेषाधिकारों की रक्षा करने के लिये हल निकालने के उद्देश्य से सब राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलायेंगे

Shri Madhu Limaye : Clarification should be given in this regard.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब तक मैं इस सम्बन्ध में पूर्ण सन्तुष्ट नहीं हो जाता मैं कोई वक्तव्य नहीं दे सकता। जहां तक अदालती जांच का सम्बन्ध है मेरे विचार से यह अदालती जांच का मामला नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): It is a very important incident in the history of India. Two Ministers of Uttar Pradesh have been arrested. I want to know whether some restriction were not put upon them for doing their office work.

A few days before, some Ministers of West Bengal were intended to come to demonstrate at Prime Minister's residence, but the situation was solved by the media of discussion. I want to know whether similar steps were taken in this case before violating Section 144 by these Ministers.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मंत्रियों द्वारा कानून को तोड़ना एक असाधारण घटना है।

Shri Madhu Limaye : They have done it for the protection of this constitution.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक उनकी दी जाने वाली सुविधाओं की बात है मुझे पता लगा है कि दूर के टेलीफोन सुनने या करने की सुविधाएं प्रदान की गई थीं। मुझे पता लगा है कि उन्होंने कुछ दूर स्थानों पर टेलीफोन भी किये। उन्हें मंत्रियों को उपलब्ध होने वाली सब सुविधाएं प्रदान की गईं। माननीय सदस्य ने जब यह कहा कि उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के मंत्रियों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया गया तो मुझे दुख हुआ। हमारे लिए सब राज्य समान हैं।

श्री श्रीधरन (बडागरा) : केन्द्रीय सरकार ने बिना किसी कारण के राज्य सरकारों को समाप्त कर दिया। उसने उन राज्यपालों को हटा दिया जो कांग्रेस दल के नियंत्रण में न थे। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच सम्बन्ध मैत्री पूर्ण नहीं हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि केन्द्रीय सरकार के कोई मंत्री कानून तोड़ते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मंत्री उत्तर प्रदेश में संविधान के अनुसार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंत्री बने, उन्होंने कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिये सत्याग्रह किया………

Shri Madhu Limaye : They did it for the protection of the constitution.

श्री दी० चं० शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गृह-कार्य मंत्री कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंत्रियों का सम्मेलन बुला रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : राज्यों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकारों का दायित्व है और वे इसका कड़ाई से पालन कर सकती हैं। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है इस बारे में उप-राज्यपाल का दायित्व है। हम इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

Shri Atal Behari Vajpayee : I request that our Adjournment Motion should be taken first. We want to censure this Government.

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय द्वारा दिये गए उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं। मैं यह चाहूंगा कि आप हमें स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं सब प्रस्तावों पर विचार कर चुका हूं। मुझे कुछ ध्यान-आकर्षण सूचनाएं, स्थगन प्रस्ताव सरकार की निन्दा सम्बन्धी तथा अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। गृह-मंत्री से कुछ जानकारी प्राप्त हो जाने पर मैं अपना विनिर्णय दूंगा। गृह-मन्त्री ने यह बताया कि वह कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि इन पर चर्चा की जानी चाहिए परन्तु उन पर कब चर्चा किया जाना उचित होगा इस पर विचार करना है।

Shri Madhu Limaye : I will not take much time of the House. The following sentence has been published in the "Times of India".

"Outside the court-room, they again started shouting slogans. The Magistrate on duty outside the court room shouted : "Beat and drive away the rascals."

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसी घटना घटी है तो गृह-मन्त्री अवश्य इस सम्बन्ध में जांच करेंगे।

Shri Madhu Limaye : They had a meeting with the President. Even after then the Government failed to give them humane treatment. Therefore, it is a proper subject for Adjournment Motion.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : यह सामान्य कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसका सम्बन्ध दिल्ली प्रशासन के मजिस्ट्रेटों द्वारा मंत्रियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से है। इस सम्बन्ध में सामान्य चर्चा से काम नहीं चलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्थगन प्रस्ताव लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसके कुछ और भी पहलू हैं । उसमें यह भी है कि क्या मन्त्री इस प्रकार सत्याग्रह कर सकते हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर सामान्य चर्चा रखी गई है ।

सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में घोषणा
ANNOUNCEMENT RE: ARREST OF MEMBER

(श्री राम गोपाल शालवाले)

अध्यक्ष महोदय : मुझे तुगलग रोड, नई दिल्ली के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट से निम्न-लिखित संदेश प्राप्त हुआ है ;

"मैं सभा को यह सूचित करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधादेश का उल्लंघन करने और इस प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अपराध करने के कारण लोक सभा के सदस्य श्री राम गोपाल शालवाले को संसद् भवन के लौह द्वार संख्या 2 के बाहर 14 दिसम्बर, 1967 को गिरफ्तार कर लिया जाये ।

तद्नुसार श्री राम गोपाल शालवाले को आज 11.05 (14-12-67) को गिरफ्तार कर लिया गया और इस समय वह पुलिस स्टेशन पार्लियामेंन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली में पुलिस की हिरासत में हैं । उनको बिना बिलम्ब सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा ।"

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

हरियाणा राज्य के सम्बन्ध में जारी किये गए अध्यादेश

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई दिनांक 21 नवम्बर, 1967 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे :

(1) पंजाब मनोरंजन-कर (सिनेमा-शो) हरियाणा संशोधन अध्यादेश, 1967 (1967 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1) जो हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 11 जुलाई, 1967 को प्रख्यापित किया गया था ।

(2) हरियाणा भू-राजस्व (अतिरिक्त अधिभार) अध्यादेश, 1967 (1967 का हरियाणा आध्यादेश, संख्या 2) जो हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 14 जुलाई, 1967 को प्रख्यापित किया गया था ।

(3) भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का हरियाणा अध्यादेश, संख्या 3) जो हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 14 जुलाई, 1967 को प्रख्यापित किया गया था।

(4) पंजाब नगरीय अचल सम्पत्ति-कर (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का हरियाणा अध्यादेश, संख्या 4) जो हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 21 जुलाई, 1967 को प्रख्यापित किया गया था।

(5) पंजाब यात्री तथा माल करारोपण (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का हरियाणा अध्यादेश, संख्या 5) जो हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 21 जुलाई, 1967 को प्रख्यापित किया गया था।
[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-1994-98/67]

(6) पंजाब मोटर स्पिरिट (बिक्री पर कर लगाना) (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का हरियाणा अध्यादेश, संख्या 6) जो हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 21 जुलाई, 1967 को प्रख्यापित किया गया था, तथा उसका शुद्धिपत्र जो दिनांक 27 जुलाई, 1967 के हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(7) पंजाब सामान्य विक्रय-कर (हरियाणा संशोधन तथा मान्यकरण) अध्यादेश, 1967 (1967 का हरियाणा अध्यादेश, संख्या 10) जो हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 13 नवम्बर, 1967 को प्रख्यापित किया गया था।
[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-1999/67]

Shri Ram Sewak Yadav (BaraBanki): I want to ask something regarding the arrest of the Ministers. No information has been given........

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव अपने स्थान पर बैठें।

Shri Ram Sewak Yadav**

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय ने जो भी कहा है कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

वर्ष 1966 के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं श्री के० के० शाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) वर्ष 1966 के लिए भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के भारत में समाचार पत्रों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (भाग II) की एक प्रति।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
**Not Recorded.

(2) आकाशवाणी से व्यक्तियों द्वारा प्रसारणों के लिए संहिता की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०**-2001/67]

ऐसे व्यक्तियों तथा संगठनों की एक सूची जिसे 'महत्वपूर्ण' का प्राथमिकता अधिकार प्राप्त था

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

मंत्रियों तथा सरकारी पदाधिकारियों को छोड़कर, ऐसे व्यक्तियों तथा अथवा संगठनों की एक सूची जिन्हें ट्रंककाल के लिए 3 अगस्त, 1967 तक "इम्पार्टेंट" (महत्वपूर्ण) का प्राथमिकता अधिकार प्राप्त था और जो 4 अगस्त, 1967 से वापस ले लिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2002/67]

चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में 11-12-67 को हुई आधे घण्टे की चर्चा के उत्तर में दिया गया वक्तव्य

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री श्री शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 19 के अन्तर्गत, चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में श्री एस० एस० कोठारी द्वारा 11 दिसम्बर, 1967 को उठाई गई आधे घण्टे की चर्चा के उत्तर में एक विवरण। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2003/67]

बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: SOCIAL CONTROL OF BANKS

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मै इस वक्तव्य को पढ़ूं या सभा-पटल पर रखूं क्योंकि यह वक्तव्य लम्बा है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि इस विषय पर सभा में चर्चा की जायेगी अतः इसे सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए ताकि सब सदस्य इसका अध्ययन कर सकें। सामान्यतः मंत्री महोदय के वक्तव्य के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती उस पर केवल चर्चा की जा सकती है। अतः आप इसे पढ़ सकते हैं। केवल इसको पढ़ने से समस्या हल नहीं हो सकती। अतः मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इसे सभा-पटल पर रखें।

श्री मोरारजी देसाई : मैं वाणिज्यिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2004/67]

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण
PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : गत सामान्य निर्वाचनों में अमरीकी धनराशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, 12 दिसम्बर, 1967 को सभा में कुछ सदस्यों द्वारा मेरी पार्टी के बारे में कही गई कुछ बातों के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

15 जून, 1967 को भी जब इस विषय पर चर्चा हुई थी तब भी मैंने इस आरोप को झूठा बताया था। निर्वाचन के लिये जो भी धन एकत्रित किया गया वह हमने अपने देश के मित्रों और सहयोगियों से किया। इस सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिए ताकि तथ्य का पता लग सके।

जैसे ही सरकार की प्रारम्भिक जांच पूरी हो जाये एक उचित न्याधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक जांच की जानी चाहिए। रूस के लिटरेरी गजट में प्रकाशित एक लेख में प्रो० रंगा, श्री पी० के० देव० मेरा नाम लिया गया है। मैं इसका तीव्र विरोध करता हूं।

इसको हमेशा के लिये समाप्त करने के लिये इस सम्बन्ध में अदालती जांच की जानी चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): It is regretable that only five to ten minutes are being given for clarification. We request that investigation should be made in this regard so that the facts may come to light.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं। मैं चाहूंगा कि दलों के नेता और सभा के नेता मिलकर कोई तरीका अपनाएं केवल आलोचनामात्र से काम नहीं चलेगा। कार्य-मंत्रणा समिति की आज सायं चार बजे बैठक हो रही है उसमें हम सभा के कार्य के सम्बन्ध में, विचार करेंगे।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : जहां तक इस विशेष मामले का सम्बन्ध है हमने सरकार से मांग की है कि वह इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दें। केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा की गई जांच सरकार के सम्मुख होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को सूचित कर दूंगा।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : यह दलों का प्रश्न नहीं है। कुछ पत्र विदेशों में इस विषय पर लिख रहे हैं। सरकार का यह दायित्व है कि वह इस बात की जांच करे कि इस बात में सच्चाई है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होती है और उसके बाद समवेत होगी।

(इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई)
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

(लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पर पुन: समवेत हुई)
The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C. K. Bhattacharyya in the Chair]

राजभाषा (संशोधन) विधेयक
OFFICIAL LANGUAGE (AMENDMENT) BILL

खंड 2

सभापति महोदय : अब सभा राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1967 पर खंडबार विचार करेगी।

खंड 2

जो माननीय सदस्य खंड 2 के सम्बन्ध में संशोधन देना चाहते हैं वे आधे घंटे के भीतर अपने संशोधन भेज दें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): The question of arrest of the two Uttar Pradesh Ministers was also raised simultaneously in the other House. Shri Raj Narain has been deprived of the services of the House and he has been asked to leave the House. I think some efforts for compromise should be made in this matter. I know under the Rules we cannot quote the proceedings of the other House.

Shri S. M. Banerjee: (Kanpur): I request the Hon. Chairman to ask the Home Minister to make a similar statement in the Rajya Sabha also.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, you kindly ask Shri Chavan to go to Rajya Sabha.

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): Sir, as stated by you, clause 2 of the Bill will now be taken. Is Government bringing its own amendment or will they accept the non-official amendment. This may be made clear as it will help the members in the debate.

सभापति महोदय : राजभाषा में वहां के सभापति ने जो कुछ कहा है उसके बारे में यहां के सभापति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : महोदय इस विधेयक में केवल खण्ड 2 ही महत्वपूर्ण है। इसलिये हमें इस खण्ड के प्रत्येक भाग को क्रमानुसार लेना चाहिये जैसे खण्ड 2 (i), 2 (ii), 2 (iii), आदि न कि सारे खण्ड को एक साथ।

Shri Madhu Limaye: This is a good suggestion and I endorse it.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): The Government should make its stand clear on what Shri Vajpayee has asked.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri V. C. Shukla): We will deal with the amendments as they come before the House. We have no amendments of our own.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Shri Ram Sewak Yadav: The Government should make its position clear.

Shri V. C. Shukla: The ruler of procedure do not say that I should indicate in advance what we are going to say on the amendments. I can indicate it if the Hon. Deputy-Speaker who is in the Chair asks me to do so.

Shri Amar Singh Saigal (Bilaspur): Sir, during my 18 years stay in this House, no such point of order was raised here. If this is reversed today then it may be a different matter.

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार पहले से ही यह बताने के लिए बाध्य नहीं है कि कौन-सा संशोधन उन्हें स्वीकार है और कौन-सा स्वीकार नहीं है ।

श्री सेझियान : महोदय आपके पीठासीन होने से पूर्व मैंने कहा था कि यह अच्छा होगा यदि धारा 2 की प्रत्येक उप-खण्डों पर अलग-अलग विचार किया जाए न कि सारे खण्ड पर एक ही समय विचार हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके सुझाव से सहमत हूं परन्तु संशोधन तो सारे खण्ड पर एक साथ ही पेश किये जायेंगे ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : महोदय चर्चा तो सारे खण्ड पर एक साथ ही होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य किसी उप-खण्डों पर कहना चाहे तो कह सकता है ।

Shri V. C. Shukla: Sir, will discussion take place on sub-clauses by sub-clause or they can speak on the whole clause. If they are permitted to speak on each sub-clause then they will be speaking thrice on the Bill.

Shri Madhu Limaye: We should discuss it separately.

उपाध्यक्ष महोदय : फिर मैं प्रत्येक उप-खण्ड पर 2 से 5 मिनट तक ही बोलने की अनुमति दूंगा । यदि कोई सदस्य संशोधन प्रस्तुत करता है और उसका समर्थन बहुत से अन्य सदस्य करते हैं तो उनमें से केवल एक सदस्य को ही बोलने को कहा जायेगा अन्यथा सब संशोधनों का निपटारा असम्भव हो जायेगा ।

Shri Madhu Limaye: You may select one member from each party.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हवड़ा) : मेरे विचार में सारे खण्ड पर एक साथ ही विचार होना चाहिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : खण्डवार चर्चा होना अधिक उचित होगा। अच्छा होगा यदि आप यह पूछ लें कि कौन-कौन से सदस्य कौन-कौन से संशोधन पेश करना नहीं चाहते ताकि मामला स्पष्ट हो जाये।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): You will not be able to debar members from moving their amendments. Legally you will have to dispose of all the amendments.

उपाध्यक्ष महोदय : सब संशोधन पेश किये जायेंगे परन्तु उनको बाद में खण्डवार छांटना होगा और फिर चर्चा होगी।

श्री सेझियान : प्रत्येक उप-खण्ड पर संशोधन पेश किया जा सकता है तथा सदस्य बोल भी सकते हैं। गृह-कार्य मंत्री चर्चा का उत्तर दे सकते हैं। इससे कोई असुविधा नहीं होगी।

विधि-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : एक खण्ड विधेयक का भाग है। यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो उपखण्ड वार के स्थान पर खण्डवार चर्चा करना अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई सदस्य बोलने खड़ा हो तो वह सारे खण्ड को ध्यान में रख कर बोले। जब मतदान होगा तो वह भी उपखण्ड वार नहीं बल्कि खण्डवार होगा।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): Sir, you should ask the members to speak and allot time according to the strength of the party. We have selected three to four members who will speak on different aspects of the Bill.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : महोदय, संशोधनों तथा प्रस्तावों का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन पर तो सामान्य चर्चा में ही बोला जाता है। अलग चर्चा नहीं होती।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : जिन संशोधनों को सरकार स्वीकृत करना चाहती है मैं उस पर एक संशोधन पेश करना चाहूंगा।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : यदि विधेयक पर खण्डवार चर्चा हो सकती है तो प्रस्ताव पर भी हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पर संशोधन सामान्य चर्चा के समय पेश किये थे। दोबारा चर्चा नहीं हो सकती।

Shri A. B. Vajpayee : Will there be separate voting on the Resolution and if so will members be permitted to speak again on them?

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर एक दम मतदान होगा।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : We should first know as to what are the contents of the amendments moved.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस प्रकार समय नष्ट करने की बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिये। इसमें खण्ड 2 बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : आप प्रस्ताव पर खण्ड-वार चर्चा करने को क्यों नहीं सहमत होते। जबकि विधेयक पर चर्चा करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह समझ लिया जाये कि उस पर चर्चा हो चुकी है।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : ऐसा समझना उचित नहीं होगा।

विधि-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : इन प्रश्नों का उत्तर नियम संख्या 85 तथा 88 में दिया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं विधेयक तथा प्रस्ताव पर साथ-साथ विचार हो चुका है। आरम्भ में प्रस्ताव पर भी संशोधन पेश किये गये थे। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सामान्य चर्चा के समय संशोधन भी उसमें लिए गए। इस समय तो हम खण्ड 2 तथा उसके संशोधनों तक ही सीमित रहें।

Shri Madhu Limaye : I want your ruling on this point. Sometimes you call members according to party affiliation and sometimes you ignore that aspect. I want a definite criterion to be adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री द्विवेदी को इस कारण बलाया क्योंकि उन्हें भी बोलने का अवसर देना था।

Shri Prakash Vir Shastri : The convention in this House is that spokesmen of parties are called according to their numerical strength only on general debate and not on such amendments as we have before us. Se we should not create a bad precedent.

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्य चर्चा में हमें दलों के हिसाब से चलना होता है। परन्तु कई बार यह तरीका दूसरे मौकों पर भी अपनाना होता है।

Shri Madhu Limaye : We should have a definite procedure about it.

उपाध्यक्ष महोदय : आज हम सामान्य चर्चा को नहीं ले रहे। आज तो खण्ड-वार चर्चा हो रही है। मेरे सामने इस समय दलों के नाम भी नहीं हैं। श्री लोबो प्रभु करते हैं कि उनका संशोधन पहले आया था।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : यह इस प्रकार नहीं होगा। मुझे प्रक्रिया का पता है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : क्या एक दल से एक ही सदस्य बोलेगा ? यह पता चल जाये तो हम अपने दल के सदस्यों के बोलने का समय आपस में निर्धारित कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि एक दल से एक से अधिक सदस्यों ने संशोधन दिये हैं तो एक या दो सदस्यों को ही बोलने का समय मिलेगा कुछ भी हो, चर्चा का समय सीमित करना ही होगा । मैं विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को एक-एक करके बुलाऊंगा । पहिला दौर समाप्त होने पर मैं दूसरा दौर आरम्भ करूंगा । तथापि समय तब भी सीमित होगा ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरा संशोधन यह है कि शब्द 'में' "लाई जा सकती है" के स्थान पर 'शैल' "लाई जायेगी" रख दिया जाये । "लाई जा सकती है" में अनुमति देने का अर्थ है परन्तु "लाई जायेगी" आदेश सूचक है ।

इस समय तो हिन्दी भारत सरकार में अनुवाद के रूप में ही प्रयोग में लाई जाती है । हिन्दी के परामर्शदाता श्री सिन्हा ने मुझे बताया कि भारत सरकार के कुल 20,000 अनुभाग (सेक्शन) हैं उनमें से केवल 1300 अनुभागों में हिन्दी आंशिक रूप में प्रयोग में लाई जाती है । इसमें भी नोट तो हिन्दी में बिल्कुल नहीं लिखे जा रहे हैं ।

पत्र-व्यवहार के बारे में पता लगा है कि हिन्दी राज्यों से बहुत कम पत्र और वह भी कम महत्व के हिन्दी भाषा में प्राप्त हुए हैं । इसलिए अधिकतर कर्मचारी इस हिन्दी भाषा को नहीं जानते । यदि हिन्दी को अपना लिया तो सरकार का काम ठप हो जायेगा और लोगों की हानि होगी । जो प्रशासन बड़ी कठिनाइयों से बनाया था वह समाप्त हो जायेगा ।

मैं संसोपा तथा जनसंघ दलों से कहूंगा कि वह कुछ क्षेत्रों के बारे में सोचने की बजाय सारे भारत के बारे में सोचें । कांग्रेस दल ने कहा है कि अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों को परीक्षाओं की भाषा बनाया जाये । ऐसा करना ठीक नहीं होगा । यह राजभाषा विधेयक राज रोजगार विधेयक बन गया है । इस कारण मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi): Mr. Deputy-Speaker, I want to speak on amendment Nos. 99, 103, 105, 111, 112 and 114.

The Home Minister yesterday assured the House that Hindi would be the official and link-language of India. Shri Lobo Prabhu just now stated that no noting had been done in Hindi in Central Government offices. This indicates our passivity to the issue. We should be serious about it.

The Home Minister has stated that he would be giving a report to the House every year about the propagation of Hindi.

There should be correspondence of Government in Hindi and even noting should be done in Hindi.

I hope the Government would accept my suggestions.

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : मेरा पहला संशोधन 173 है । मैंने संशोधन संख्या 174 भी पेश किया है तथा संशोधन संख्या 176 भी दिया है । उसमें "हिन्दी" के स्थान पर "हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा" रखने की बात कही है । मेरा एक छोटा सा संशोधन संख्या 178 भी है ।

Those States which have not accepted Hindi will use English while communicating with the Centre. But those States which have accepted Hindi as the official language should correspond with the centre in Hindi. The States which have accepted Hindi when corresponding with non-Hindi States should send translation of their Hindi correspondence.

But there should be no disqualification imposed on Hindi. We would even accept bilingualism for sometime i. e. both English and Hindi languages should continue side by side in the centre. For the Central Staff they should have only working knowledge of Hindi so that they may do the work in Hindi.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : हमारा कहना है कि संविधान की आठवीं सूची में जो भाषा लिखी हैं तथा अंग्रेजी वह सब सुनिश्चित दिन से सरकारी भाषा होनी चाहिये। हमारा मुख्य उद्देश्य ही यह करना है।

प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृ भाषा में बोलना चाहता है परन्तु यह उसके अनुवाद की व्यवस्था नहीं है, इसलिये यहां वह सारी भाषा बोली नहीं जाती हैं। वैसे तो तमिल को चार करोड़ व्यक्ति बोलते हैं तथा तेलगू को 4.5 करोड़ व्यक्ति बोलते हैं। परन्तु संसद् में प्रबन्ध न होने के कारण उसका यहां प्रयोग नहीं होता।

अंग्रेजी, संस्कृत, फार्सी भारत में बाहर से आई हैं परन्तु तमिल तो यहीं भारत की ही भाषा है। हिन्दी वाले चाहते हैं कि अंग्रेजी के चले जाने के पश्चात तथा अन्य भाषाओं के आने से पूर्व वह इस अवधि में हिन्दी को लागू करना चाहते हैं। हम यह सहन करने को तैयार नहीं हैं।

सरकार चालाकी से कार्य कर रही है। जब वह हिन्दी-भाषी लोगों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हिन्दी को संविधान में अच्छा स्थान दिया हुआ है। जब वह हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि नेहरू जी ने आश्वासन दिया हुआ है। कल गृह-कार्य मंत्री जी कह रहे थे द० मु० क० दल का भी लोकतन्त्र में विश्वास है और लोकतन्त्र में विचारों को बदला जा सकता है। इसी कारण मेरा कहना यह है कि इस विषय पर पुनः विचार किया जाये।

एक गोल मेज कांफ्रेंस बुलाई जाये। जो इस विषय पर बातचीत करे। उसमें सब दलों के लोग होने चाहियें।

कल एक सदस्य ने कहा था कि नेहरू जी का आश्वासन संविधान से बड़ा नहीं है। मेरा उनसे कहना यह है कि ठीक है परन्तु संविधान भी जनता से बड़ा नहीं है। करोड़ों व्यक्ति जो तमिल, तेलगू, मराठी तथा बंगला बोलते हैं वे संविधान से ऊपर हैं।

यदि सरकार ईमानदारी से कार्य करती तो अंग्रेजी को सहभाषा बनाये रखती।

क्योंकि इस विषय पर बहुत गर्मी उत्पन्न हो गई है, इसे हम सदा के लिये सुलझा लें। पहले राजा जी तथा डा० सुनीत कुमार चटर्जी भी हिन्दी के हक में थे परन्तु अब वे भी इसके विरुद्ध हैं।

आप अपनी ओर के लोगों को इस प्रकार से दूसरी ओर कर रहे हैं। हिन्दी को राजभाषा

बनाकर आप इंडिया को 'हिन्दिया' बना रहे हैं। हम अंग्रेजी के लिये संघर्ष नहीं कर रहे बल्कि हम तो अपनी मातृभाषा के लिये यह सब कुछ कर रहे हैं जब तक हमारी मातृ-भाषा को उचित स्थान नहीं मिलता।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैं पहले संशोधन का विरोध करता हूं और डी० यम० के० वालों के संशोधनों का भी विरोध करता हूं। अंग्रेजी को बहुत समय तक राजभाषा बनाये रखना एक बहुत बड़ी गलती होगी। हमें भूलना नहीं चाहिये कि अंग्रेजी थोड़े समय पहले तक हमारे विदेशी शासकों की भाषा थी। इसी भाषा से हमारे यहां दमनचक्र चलाया गया। मैं संशोधन प्रस्तुत करने वालों से पूछना चाहता हूं कि आप कब तक इस विदेशी भाषा को यहां पर लादे रखना चाहते हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने शिक्षा मंत्री को यह कहते सुना कि क्षेत्रीय भाषाओं और हिन्दी के विकास के लिये कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद हमें एक सम्पर्क भाषा चुननी चाहिये ताकि देश एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सके। मैं प्रतिपक्ष वालों से अनुरोध करता हूं कि वह अंग्रेजी को सदा के लिये बनाये रखने पर जोर न दें। हमें समझना चाहिये कि अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है। इसका हमारी सभ्यता और परम्पराओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री गोविन्द मेनन : यदि आप संविधान का अनुच्छेद संख्या 343 देखें और इस विधेयक का खण्ड 2 देखें तो आपको पता चलेगा कि सरकार इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद अंग्रेजी भाषा को जारी रखने का अधिकार लेना चाहती है।

Shri S. M. Banerjee : I want to present my amendment Nos. 116, 117, 118, 188, 189 and 190. Hindi is not my mother tongue but I have been elected to Parliament three times from U. P. One constitution had fixed fiften years for change over from English to Hindi. This was to take place in January, 1965, but it could not be done because Hindi was not found to be developed enough to take place of English. So the time limit could not be adhered to. This Bill provides for use of English until all the States are ready for change over to Hindi. I want to know from the Hon. Minister as what steps are proposed to be taken to develop Hindi so that it is fit to take the place of English as official language.

[**श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लों पीठासीन हुये**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

I suggest that all the regional languages should be permissible in Parliament. We should make maximum use of our languages. My amendments aim at these things only. If these amendments are agreed to, my friends of D. M. K. will also be happy. My next amendment is in regard to translation in English of letters written in regional languages. It is wrong to say that some political party or parties are instigating students. There is no party behind this agitation. I condemn the attack on the house of Smt. Sushila Rohatgi at Kanpur. There is apprehension in the mind of people in Hindi speaking areas that English is being imposed permanently on them. If this fear in removed, the problem will be solved.

Hindi people do not want that Hindi should be imposed on anybody. It was this point on which two Ministers of U. P. courted arrest. I do not know as to why you insist U. P. or other Hindi states to provide English translation of their letters. If some one is not able to understand Hindi it should be got translated here. I have listened to the speeches of Shri Frank Anthony and Shri Lobo Prabhu. They do not want there should be only English. They have said that there should be permission to use one's own language. It does not mean that we should banish English. We should study English because it is a world language. It has a very rich literature. We must take benefit from the richness of this language. Moreover a great number of people are well conversant with this language.

I was very much surprised when I heard from Shri Amiya Bose that Tagore was awarded nobel prize for his Gitanjli translated in English. It is not correct. This was said that Bengalis and people from Madras will fight. This is also wrong. Bengali people are settled all over India. They are citizens of India. We should not think in terms of provinces. This sort of thinking is not in the interest of the unity of our country. Our aim should be to strengthen our country's unity. We should not do anything which undermines our country integrity. We know that the communal elements raise their heads in our country. If the question of language is given communal colour, it will harm our secular image. We should see that there is no danger to our country's unity.

We fought our freedom struggle, with Hindi as a weapon. Our patriotic songs were in Hindi language. These songs inspired crores of our people. We want that Hindi should be made the official language but we should persuade our brethern in Madras state to accept it. We can make some concession for them. We should not impose Hindi on them. First they should be convinced that English cannot be retained for ever.

As religions do not preach animosity, similarly languages should not be the cause of friction. We are all one. I hope Government will accept our amendments or Government should itself bring forward amendments. If changes are not made in the Bill, the result would be very serious.

Shri Manubhai Patel (Dabhoi) : Sir, I want to oppose the amendments moved by D.M.K. members. We should have introduced Hindi as official language right in 1947. It is very unfortunate that we could not bring Hindi in 1965 i. e. at the date fixed in our constitution. Our friends in Tamilnad have some doubts and complaints. I think this Bill is compromise between two extreme views. We should view the language as Indians. Keeping in the national view point that our constituent Assembly adopted Hindi as our official language. We cannot have any foreign language as our official language much less English language. If some feel that they would be put to hardship by introduction of Hindi, their difficulties could be considered and removed. Some time limit could be fixed when Hindi would be made official language. They should agree with this compromise Bill.

I request my D. M. K. friends that they should think over this problem in its true perspective. They should not become sentimental while discussing the language question. D. M. K. people should know that other non-Hindi states are not opposed to Hindi being made the official language. It is only Madras state which is not in favour of Hindi at present. Now this Bill is a compromise Bill. It should be accepted without any opposition. The spirit of cooperation will help in bringing the people of different regions closer.

There is an agitation going on in the country against English language. It is not against Tamil language. The people of Tamilnad should not be perturbed on account of this agitation.

Peaceful agitation is alright but it should not be allowed take an ugly turn. It is not proper to indulge in arson and looting. This is not in the interest of Hindi.

I belong to non-Hindi speaking state. But as we have decided to adopt Hindi as our official it becomes our duty to learn Hindi and make every effort for spreading it. In Gujarat state Hindi language is being given all encouragement. When Indians visit Russia or some other non-English speaking country, they feel embarrassed as they speak English and not Hindi. We are a free nation. We must have our own language as our official language.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : In a democracy the language of the masses should be recognised and encouraged. If there are differences on the language question, these differences can be removed. I do not blame non-Hindi speaking people for making this problem an intricate problem. I blame for this to the people in power. They include people from the North also. The I. C. S. officers were responsible for creating this difference of opinion. We had three Prime Ministers since independence. All of them belonged to Hindi areas. Had they adopted since 15th August, 1947 this trouble would not have arisen. By now Hindi would have fully developed. It is very unfortunate that bureaucrats who holding the important positions were very much against the introduction of Hindi as official language. These big bosses in Government service did allow any Indian language to come forward. I would say that if we want to strengthen democracy, we must introduce the language of the people.

I am against imposition of Hindi on anyone but we should also see that English is also not imposed on anyone. The standard of English is falling in our country, because it is a foreign language. It was imposed on us by our foreign rulers. How can it continue after the departure of those rulers? It is said that Political Parties are behind language agitation. I do not agree with contention. It is future prospects that are linked with this matter. The youngmen of Hindi areas are afraid that their future will be dark, if they are compelled to learn English—a foreign language. If they are offered their due share in services, they will not agitate. The champions of English language are doing great harm to Hindi when they say that in Bihar Hindi is the language of the State and it is Bihari etc. Similarly they can say that there is no Hindi. These are only dialects like the Rajasthani and Bihari. This type of arguments are not convincing. My suggestion is that the states who want to retain English should be given a quota in the services according to their population. We should provide facilities for translation in all the languages that are listed in eighth schedule of the constitution. Here also we should be allowed to use our respective languages. Necessary arrangements for translation should be made.

In regard to working in the Central Government offices, persons not knowing Hindi should be allowed to work in language of their choice. Another point which I want to emphasise is that the intellectuals of Hindi areas should adopt Hindi as their own language. They shed away the feeling that Hindi is an inferior language.

It is said that Hindi is an undeveloped language. I want to tell my friends that in the seventeenth century English was similarly declared as undeveloped language. But now it is an international language. A time will come when Hindi will be accepted by all the States of India. There was a time when French and Latin were the dominant languages of England and English was an undeveloped language.

Shri Kushak Bakula (Laddakh) : It is a matter of shame that even after 20 years of attainment of independence a feeling of slavery is still here. We are still clinging to a foreign language. We decided to retain English, because our educated people who were in great number

in services did not know Hindi. We fixed a period of 15 years from 1950 for switch over from English to Hindi. As we had no books of Hindi pertaining to science and technology, it was proper to continue English.

But now that period is over and it is in our national interest to do away with English language. At the same time we should take note of the difficulties of people belonging to non-Hindi speaking states.

They should be given adequate protection. In the circumstances we should retain English for some more time and simultaneously Hindi should be developed and made popular throughout the country. The Hindi speaking States should be allowed to switch over to that language forthwith. All Hindi lovers should work for its development. It cannot be made popular by violence. It should be by persuation and understanding. The Government should provide all assistance for the development of Hindi. Hindi should be made compulsory in all educational institutions. So far as the advance knowledge of science is concerned, English will have to be retained.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरे संशोधनों की संख्या 69, 70, 73, 74 और 76 है। मेरा दल इस विधेयक के द्वारा भाषा के प्रश्न पर एक प्रकार का समझौता करना चाहता है। मैं न तो अंग्रेजी से घृणा करता हूं और न ही हिन्दी से। मेरे विचार में यह आन्दोलन अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं बल्कि अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के विरुद्ध है। इस सदन में ही हमें बर्दाश्त नहीं किया जाता तो बाहर कैसे किया जायगा। हिन्दी समर्थकों के बर्ताव के फलस्वरूप मेरा हिन्दी के प्रति प्रेम बहुत कम हो गया है। मैं हिन्दी के खिलाफ नहीं हूं। परन्तु हिन्दी के नाम पर अंग्रेजी बोलने वालों के प्रति जो घृणा व्यक्त की जा रही उसे हम सहन नहीं कर सकते। हमें तमिलनाड आदि के लोगों की कठिनाई की ओर ध्यान देना चाहिये और जब तक वे हिन्दी के लिये तैयार नहीं होते अंग्रेजी को जारी रखना चाहिये और हिन्दी लादी नहीं जानी चाहिये। हिन्दी लादे जाने का हम घोर विरोध करेंगे।

हम चाहते है कि अंग्रेजी को जारी रखने के लिये इस विधेयक में उचित संशोधन किया जाना चाहिये। मेरे संशोधन संख्या 63 का आशय भी यही है। हिन्दी के साथ-साथ हमें देश की अन्य भाषाओं को भी प्रोत्साहित करना चाहिये। हम हिन्दी चाहते हैं परन्तु इसे हम पर लादा नहीं जाना चाहिये। हिन्दी समथर्कों को अपना रवैया बदलना नहीं चाहिये दक्षिणी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को पीटना बन्द होना चाहिये।

गैर-हिन्दी क्षेत्रों के लोगों को उत्तर के साथ अंग्रेजी अनुवाद की एक प्रति भेजी जानी चाहिये। हमें बराबर का दर्जा मिलना चाहिये। नहीं तो दक्षिण भारत पर बहुत खराब प्रतिक्रिया होगी अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि हमें समझौते की भावना से चलना चाहिये और दूसरों की मुश्किल का ध्यान रखना चाहिये। हम अपनी ओर से हिन्दी सीखने का भरसक प्रयत्न करेंगे। आप हम पर हिन्दी लादिये नहीं। साथ-साथ हम अंग्रेजी को पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है।

Shri Onkar Lal Bohra (Chitorgarh): My conscience does not allow me to support

the Bill. But now it is not a question of the language, it has become a question of national integrity. Therefore, I support the Bill.

Instead of solving the problems, we try to suppress them. The need of the hour was to find a solution to the question of implementing Hindi as the national language of our country. The majority of the people speak Hindi and it is understood throughout the country. It would have been better if we had made Hindi the official language of the country just after independence. It was a mistake that we did not solve this problem then. Even now we should wake up and rectify that mistake without any delay.

Shri Nambiar has said that the people of the South are held in contempt for their pleading for English, as official language. Dr. Radhakrishnan, who held the highest office in the country, hailed from South. People from Madras are occupying high posts in northern India and Central Secretariat. Therefore, such a feeling that the people of south are looked down upon is wrong.

The late Prime Minister gave an assurance to the people of the South, but they should not treat it as a right. It is unfortunate that they are struggling for the continuance of English. Mr. Frank Anthony has said that English stands for the integration of the country. Rather it has done a great harm to the country: It is the main hinderance in the way of the unity of the country. As long as English remains in the country we cannot be united. Therefore, the earlier it goes out of the country, the better will it be for the country.

Hindi has not been recognised as an official language simply because it is the mother tongue of the people of a number of States. It cannot be equated with the other languages mentioned in the Eight Schedule of the constitution. I request the Government to admit the mistakes committed in the past and take concrete steps to get the due status for Hindi.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : इस विषय पर मलायली लोगों के विचार व्यक्त करने से पूर्व मैं भारतीय इतिहास के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले पिछले चार हजार वर्षों में भारत कभी एक नहीं था। वह कभी भी राजनैतिक दृष्टि से किसी एक साम्राज्य के अधीन नहीं रहा है। अंग्रेजों के यहां आने के पश्चात अंग्रेजी भाषा ने हम में एकता स्थापित की।

जब मैं पिछले सप्ताह अपने राज्य केरल में गया तो लोग पूछने लगे कि हमारा भविष्य क्या है। केन्द्रीय सरकार ने हमें कोई उद्योग नहीं दिया है। वह हमें चावल नहीं दे रही है। अब अंग्रेजों के चले जाने के बाद इस देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में पारस्परिक संघर्ष है। इस प्रकार के संघर्ष के लिये हमें कोई निर्णायक चुनना होगा। और भाषाओं के इस झगड़े में अंग्रेजी भाषा ही वह कार्य कर सकती है। यदि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों पर हिन्दी लादी जाये तो भारत की एकता नहीं बनी रह सकती। संविधान के उपबन्धों के नाम पर भी हिन्दी को लादा नहीं जा सकता। यह याद रखना चाहिये कि द्रविड़ भाषायें भारत की सबसे पुरानी भाषायें हैं। उन भाषाओं का भारतीय-आर्य्य भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। हम हिन्दी भाषा का व्याकरण

नहीं समझते हैं क्योंकि वह हमारे लिये एक विदेशी भाषा है। हमारा एक बिल्कुल भिन्न क्षेत्र है जिसकी भाषा, व्याकरण तथा साहित्य सभी भिन्न है। हमें दक्षिण के लोगों पर दबाव डालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये अन्यथा इसके परिणाम गम्भीर होंगे।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur): I oppose the Bill in its present form. I request the Home Minister to accept the amendments moved by Shrimati Sucheta Kripalani, Shri Balmiki Choudhuri and other members of our group. Only then can we support the Bill.

It is wrong to say that only 35 lakh persons know Hindi. Only 20 per cent oppose Hindi. Those who talk of democracy and still support English should know that the opinion of 20 per cent cannot be imposed on 80 per cent of our population. It is also not proper to talk of civil war on this issue. The unity of the country is the greatest thing and for that we are prepared to make the highest sacrifices.

The communists are inciting people on the issue of language. We may continue both English and Hindi for some time to come and not impose any language on those who do not like it. If we want the unity of India, we should accommodate each other.

I would urge the Government that since Hindi has been accepted as the official language of the country, due importance should be given to it. Due encouragement is not given to Hindi by Lok Sabha Secretariat. Hindi is being accorded a step-motherly treatment in this Secretariat. The questions asked in English are not replied in Hindi. I would like that, written and oral answers should also be given in Hindi. The Lok Sabha Secretariat should have taken initiative for the propagation and development of Hindi, which it has failed to do. Attention should be given to it.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 पर संशोधन संख्या 12, 15 से 17, 21 से 25, 27, 29 से 31, 34, 36, 38, 43, 44, 46, 49, 51 से 53, 69, 70, 72 से 79, 81, 83 से 89, 92, 93, 97, 98, 100, 102, 105, 110, 111, 116 से 118, 132, 136, 137, 139, 145, 148, 151, 159 से 162, 168, 170, 171, 173, 174, 176, 178, 188 से 190 तथा 193, प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : मैं संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर) : मैं संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 17 तथा 21 प्रस्तुत करता हूं।

श्री यज्ञ दत्त शर्मा (अमृतसर) : मैं संशोधन संख्या 22 तथा 23 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं संशोधन संख्या 24 तथा 25 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नीति राज सिंह चौधरी : मैं संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ना० स्व० शर्मा : मैं संशोधन संख्या 30 तथा 31 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 34, 36,38 और 43 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 44 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ना० स्व० शर्मा : मैं संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ना० स्व० शर्मा : मैं संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 53 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 69 और 70 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ना० स्व० शर्मा : मैं संशोधन संख्या 72 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 73 और 74 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ना० स्व० शर्मा : मैं संशोधन संख्या 75 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 76 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कृ० गु० देशमुख : मैं संशोधन संख्या 77 और 78 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री ना० स्व० शर्मा : मैं संशोधन संख्या 79 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सेझियान : मैं संशोधन संख्या 81 और 83 से 89 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Sharda Nand : I move amendment No. 92.

श्री यज्ञ दत्त शर्मा : मैं संशोधन संख्या 93, 97, 98, 100 और 102 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हर दयाल देवगुण : मैं संशोधन संख्या 105 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री यज्ञ दत्त शर्मा : मैं संशोधन संख्या 110 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हर दयाल देवगुण : मैं संशोधन संख्या 111 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं संशोधन संख्या 116 से 118 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मैं संशोधन संख्या 132 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मधु लिमये : मैं संशोधन संख्या 136, 137 और 139 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राममूर्ति : मैं संशोधन संख्या 145 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवराव पाटिल : मैं संशोधन संख्या 148 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देशराज : मैं संशोधन संख्या 151 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रागे : मैं संशोधन संख्या 159 से 162 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 2,

पंक्ति 25 से 31 के स्थान पर पढ़िये—

"a translation of such communication in the English language or, as the case may be, in Hindi shall also be provided till such date as the staff of the concerned Ministry, Department, office or corporation or company aforesaid have acquired a working knowlege of Hindi."

["ऐसे पत्र का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में अथवा, यथास्थिति हिन्दी में, तब तक संलग्न किया जायेगा जब तक कि सम्बन्धित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय अथवा निगम अथवा उक्त समवाय के कर्मचारी हिन्दी में काम करने योग्य ज्ञान प्राप्त न कर लें।"] (168)

श्री देवराव पाटिल : मैं संशोधन संख्या 170 तथा 171 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मैं प्रस्ताव करती हूं।

पृष्ठ 2, पंक्ति 2 से 6 के स्थान पर पढ़िये—

"Provided that the English language shall be used for purposes of communication between the Union and a State which has not adopted Hindi as its official language.

Provided further that where Hindi is used for purposes of communication between one State which has adopted Hindi as its official language and another State which has not adopted Hindi as its official language, such communication in Hindi shall be accompanied by a translation of the same in the English language:"

["परन्तु अंग्रेजी भाषा को संघ तथा किसी राज्य, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार न किया हो, के बीच संचार के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किया जायेगा।

परन्तु यह और भी कि जहां हिन्दी का किसी ऐसे राज्य के जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है, और ऐसे राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है, बीच संचार के प्रयोजन से प्रयोग किया जायेगा, हिन्दी में ऐसे पत्र के साथ उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संलग्न किया जायेगा।"] (173)

पृष्ठ 2, पंक्ति 7,

"Provided further" ["परन्तु यह और भी"] के स्थान पर "Provided also" ["परन्तु यह भी"] शब्द रखे जायें (174)

पृष्ठ 2, पंक्ति 15,

"Hindi" ["हिन्दी"] के स्थान पर "Hindi or English language" ["हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा"] शब्द रखे जायें। (176)

पृष्ठ 2, पंक्ति 33,

"both the English language and Hindi" ["अंग्रेजी भाषा तथा हिन्दी दोनों"] के स्थान पर "both Hindi and the English language" ["हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा दोनों"] शब्द रखे जायें (178)

श्री स० मो० बनर्जी : मैं संशोधन संख्या 188 से 190 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं संशोधन संख्या 193 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Shinkre (Panjim): Goa is a small territory and it had to face attacks on religion and language and we therefore, understand the sentiments on language issue. We were not allowed to get education in Marathi during Portuguese regime but Goa had accepted Hindi as the national language even before its liberation. In Goa, people respect Hindi as much as they respect Marathi.

Hindi is not a foreign language. It is the language of India. Goans have propagated Hindi more than others. The attempts of those, who want that English should remain for ever in this country, are bound to fail.

When I spoke for the first time in this House I spoke in my mother tongue i. e. Marathi. After that I have been speaking in our national language that is Hindi. I want to make clear to my friends from Kerala and Madras that they will not get employment through the medium of English language. According to my opinion a time limit should be prescribed for complete switch over from English to Hindi. That would prompt the people of non-Hindi areas to learn Hindi at a greater speed. All the sections of our people should get prepared for change over.

Shri Chandrika Prasad (Ballia): Sir, this Bill has caused a series of reaction in our country and there is an agitation going on in north India. This trouble has been caused by the champions of English. They want to impose English on us for ever. We are prepared to study any of the Indian languages but would not like English--a foreign language—to be imposed on us. I feel these champions of English language want to keep their hold on the entire administrative structure of our country.

I have got proof to show that some political parties are behind this agitation. We know that some Ministers of U. P. have come to Delhi in this connection. They are planning to break the law. We never thought ministers would do like that. I can say that all these are political moves.

First D. M. K. people inspired the acts of arson and vandalism in south India and we are seeing its reaction in north India. It is not a simple question of language but it is an attempt to defame Congress Government. I being a Hindi supporter cannot support this type of agitation. I will have to vote for this Bill. It was our desire that we should have our own language as our lingua franca. All independent countries have their own languages. It is very unfortunate that some of our friends are championing the cause of English which is a foreign language. Keeping in view the difficulty of our friends of South India a transition period of 15 years was prescribed but even after that they were not prepared for that. And late Shri Nehru gave them certain assurances and in 1963 a Languages Act was passed. He had said that Hindi would not be imposed on South India.

But it was never said that Hindi would never be adopted. He was not against Hindi being given the status of official language.

I request that the amendments moved by Smt. Kripalani should be accepted. Some modifications should be made in this Bill. It should not be compulsory for one Central Department to send English translation to another Central Department. A time limit should be prescribed for change over to Hindi. The Central Government offices located in Hindi states

should be permitted to transact their work in Hindi. The English letters should be accompanied with a Hindi translation.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मैं इस विधेयक के बहुत से उपबन्धों से सहमत नहीं हूं। मुझे कुछ सज्जनों द्वारा कही बातों पर भी खेद है। फिर मैं मानता हूं कि यह एक समझौते का रास्ता है। हमें देश में शान्ति स्थापित कराने के भरसक प्रयत्न करना चाहिए। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए और लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मैं इस विधेयक से सहमति व्यक्त करता हूं।

इस विधेयक में सभी भाषाओं को एकसमान स्वीकार नहीं किया गया है जैसा कि हमारे संविधान की आठवीं सूची में है। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि हिन्दी को सभी को सीखना होगा। आप यह किसी पर लाद नहीं सकते।

हमें अपने देश की सभी भाषाओं को समान अवसर उपलब्ध करना होगा और यह ध्यान रखना होगा कि कोई वर्ग घाटे में न रहे। केवल तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। नहीं तो हम सबको बहुत हानि होगी।

यह सरकार काश्मीर से कन्याकुमारी तक इस विशाल देश पर राज कर रही है। इसे किसी एक वर्ग की भाषा को चाहे वह बड़ा वर्ग ही क्यों न हो, सारे देश पर लादना नहीं चाहिये। इसे सभी भाषा-भाषियों के हितों का ध्यान रखना चाहिये। आज हम देश के पुनः निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। इस कार्य में सभी क्षेत्रों के लोगों को अपना-अपना योगदान देना है। दक्षिण वालों को आप छोटा दर्जा नहीं दे सकते। दक्षिण वालों की भाषा थोड़े व्यक्ति बोलते हैं। यह ठीक है परन्तु इस कारण से उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिये। एक लोकतन्त्र में 80 प्रतिशत कार्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। 80 प्रतिशत फाइलें मंत्रियों तक नहीं पहुँचती हैं। अतः सेवाओं का बहुत महत्व है। फिर इन सेवाओं से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए राष्ट्रभाषा के नाम पर आप अन्य भाषाओं वाले लोगों को वंचित न करें। मेरे विचार में तो केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं में राज्यों की जनसंख्या के अनुपात से भर्ती होनी चाहिए।

हिन्दी लागू करने के लिये हमें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। पिछले 20 वर्षों में हमने कुछ नहीं किया है। कानून हमारे समूचे देश पर लागू होते हैं उनका अनुवाद किया जाना चाहिए। केवल पत्रव्यवहार के लिए ही भाषा की आवश्यकता नहीं होती। फिर कानूनों के अनुवाद को सभा को स्वीकृति देनी होगी। अदालतें केवल अनुवाद को स्वीकार नहीं करेंगी। अंग्रेजी को हटाकर उसके स्थान पर हिन्दी को बिठाने के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की है। हम अंग्रेजी को सदा के लिये बनाये रखने के पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अंग्रेजी का स्थान हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं को लेना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार करने के लिये एक संसदीय आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। मेरा सभी वर्गों से अनुरोध है कि इस विषय पर शान्त भावना से विचार करें।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Bagpat): Sir, I present my amendment Nos. 12, 17, 21, 44 and 53. Hindi language has been neglected during the last 20 though it was adopted as official language. It has been termed as an undeveloped language. Our constitution had provided for appointment of two commissions to review the progress of Hindi, but only one language commission has been appointed. Instead of accelerating the use of Hindi, we are now restricting its use. Now they want to declare Hindi as official language, but the dominant status will be that of English. This discrimination against Hindi should end forthwith.

A demand has been made that a time limit should be for switch over to Hindi. That was done previously also, but that schedule was not adhered to. In this way introduction of Hindi is being postponed and English is being retained. Now the right of removing English has been given to non-Hindi people. They will never allow Hindi to take its due place. In this connection my amendments are a compromise. It should be accepted. Let two thirds of our States decide about the introduction of Hindi. It has been claimed that English is binding our country together. But I feel that English is dividing our country. It were the English who are responsible for creation of Pakistan. We should do away with English language as early as possible.

Our foreign rulers had sown the seeds of division in our country. They gave wrong twist to our history. It is due to that that our friends belonging to D.M.K. think themselves as a separate people. We are all Indians. We have common past history and cultural and historical heritage is the same. Now it is Hindi which will bring us still closer.

I request the Congress Members to think in terms of the masses of the country. These few officials of the Central Secretariat are for masses and the masses are the real masters Now we should not impose English on our countrymen at the instance of a few I. C. S. officers. We got rid of foreign rulers. Similarly we should now do away with English language.

We want justice for Hindi and other Indian languages. These languages should be given due recognition and should be used for all official work. English should be removed from its present position.

Shrimati Savitri Shyam (Aonla): This Bill is a compromise between extreme views on the language question. It is a pity that English speaking people have not taken it in a sporting way. It is our misfortune that we attach too much importance to regionalism.

There is no dispute over the official language of this country. This question has long been decided. This language none other but Hindi. It was decided keeping in view the percentage of Hindi speaking people. Now if some people do not know Hindi, they can learn it. It is an easy language.

English is a foreign language. It was imposed by foreign rulers, because they had their own axe to grind. Now we are a free nation. It is not in keeping with our honour and self respect to have a foreign language as our official language.

Hindi has not been developed during these twenty years. I hold three categories for this state of affairs. First is the Congress Government—ruling party—which did precious little for development of Hindi. Secondly the high officials never paid attention to Hindi. Thirdly the supporters of Hindi also did harm to the cause of Hindi by raising more slogans. They should work for Hindi in a spirit of persuation and understanding.

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

ग्यारहवाँ प्रतिवेदन
Eleventh Report

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 1967/24 अग्रहायण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 15, 1967/Agrahayana 24, 1889 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—22-7-68—600.